राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11]   तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस   [संख्या : 2

मंगलवार,

27 अगस्त, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सांगानेर की वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कें

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जयपुर नगर निगम एवं सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? तथा क्या सरकार अब सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जयपुर नगर निगम एवं सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों के सर्वे की प्रक्रिया चालू है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्षा का दौर अभी जारी है। सर्वे के कार्य को 15 सितम्बर, 2013 तक पूरा करवाया जायेगा। दिनांक 23.08.2013 तक के सर्वे का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में जहां-जहां भी वर्षा से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहां सुधार कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं और अक्टूबर माह के अन्त तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं पहले तो आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ये जो सड़कें टूटती हैं, ये कुछ ऐसे स्पाट्स हैं, हर साल वहीं से सड़कें टूटती हैं। हर साल सड़क टूटती है और कम से कम 50 से 70 करोड़ रुपये हर साल वहीं पर खर्च होते हैं और वही सड़कें वापस टूटती हैं। ऐसे कम से कम 6 हजार पाइंट्स जयपुर शहर में हैं, जिनमें नगर निगम भी है, हाउसिंग बोर्ड भी है और जे डी ए की कालोनीज भी हैं...

श्री अध्यक्ष: ये वहीं से टूटती होंगी, जहां से आप आते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सिविल लाइंस के आस-पास ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष: आप चलते हो वहां?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सिविल लाइंस।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो छोटी गलियां जयपुर की हैं, पहले लोगों के पास वाहन नहीं थे अब गाड़ियां आ गयीं, रैम्प बना दिये तो छोटी गलियां सकड़ी हो गयीं और सारा पानी सड़क पर इकट्ठा होता है। इस कारण से डामर की रोड वहां से टूट जाती है।

तीसरा यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने कालोनीज को नगर निगम को ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन एक कौड़ी दी नहीं, या बहुत कम पैसा दिया। अब नगर निगम यह कहता है कि हमारे पास कालोनी आ गयी लेकिन पैसे नहीं आये और हाउसिंग बोर्ड कहता है कि हमने नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड की जो कालोनीज हैं, उन सब में हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी बसावट हो गयी है और किसी भी प्रकार से सरकार की मंशा भी उनको आबंटन करने की है लेकिन वहां पर विकास कार्यों पर रोक होने के कारण से, पृथ्वीराज नगर है, गोवर्धन नगर है, रामपुरा रोड है, एग्रीकल्चर की बसी हुई कालोनीज, गोवर्धन नगर और कृषि नगर की 40 कालोनी ऐसी हैं जिनकी आज हालत बहुत दयनीय है मेरे क्षेत्र में। इसी प्रकार, रामपुरा रोड की 50 कालोनीज हैं, तुलसी नगर की 30 कालोनीज हैं, वहां आने-जाने और पानी निकासी की बिलकुल व्यवस्था नहीं है।

इसलिये मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों का आप क्या काम करना चाहेंगे और किस प्रकार उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सांगानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने बताया, इस बात का भी सर्वे करवा लिया जा रहा है कि कहां-कहां पर पानी भरता है। जिन पाइंट्स पर पानी भरता है, जैसे आपने संख्या बता दी, 4 हजार या 5 हजार समथिंग सब कुछ हैं, उस तरीके से भी जे डी ए के द्वारा, नगर निगम के द्वारा और हाउसिंग बोर्ड को भी आदेश दे दिये गये थे इस बात के कि वे उन पाइंट्स को तलाश कर लेवें जहां पर कि पानी भरा रहता है।

इनमें 4 चीजें हैं। 4 चीजों में पहली बात तो यह है कि एक जेट पैचर मशीन आती है, वह जेट पैचर मशीन ट्रक के ऊपर होती है, उसी में सब कुछ सारा, सब कुछ शामिल होता है और वह 2 मीटर बाई 2 मीटर के गड्ढों को 5 मिनट में भर देती है। तो उस तरीके से वह मशीन, चूंकि आर्डर देकर के मंगवाने में काफी टाइम लग रहा है, इसलिये 3 करोड़ रुपये की निविदाएं उसके लिये जारी कर दी गयी हैं ताकि पैचवर्क उससे फटाफट में, और रात-दिन काम करती है, 24 घण्टे काम करती है वह मशीन। एक तो यह है।

दूसरी बात यह है कि 4 तरह से इसको देखा जाता है, जहां-जहां पर भी जो-जो आइडेंटिफाई हुए हैं ऐसे पैचेज और ऐसी रोड्स जहां पर नवीनीकरण की, रिन्यूअल की जरूरत है या पैचवर्क की जरूरत है, तो वे 4 उनके तरीके निकाले गये हैं। एक तो यह कि मैस्टिक फिनिशिंग हो, मैस्टिक फिनिशिंग होती है वह रबर के ऊपर, रबर के जैसे डल जाती है, उसके ऊपर; दूसरा, इंटरलाकिंग टाइल्स की, कहां-कहां इंटरलाकिंग टाइल्स हो सकती है, वह भी आईडेंटिफाई किया जा रहा है। जहां पर कि मैस्टिक फिनिशिंग हो सकती है, वह भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कहां सी सी करना है वह भी आईडेंटिफाई किया जा रहा है। एक नया प्रयोग अभी टोंक रोड पर किया गया है जिसमें 6 इंच तक उस सड़क को उखाड़ा गया है और उखाड़कर व्हाइट टापिंग सीमेण्ट से उसको भरा गया है। उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आये हैं।

तो मैं आपको यह एश्योर करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार बहुत गम्भीर है। जो समस्याएं आपके द्वारा या जयपुर के विधायक गण के द्वारा बतायी गयी हैं, उन सब पर करीब-करीब काम हो रहा है। यह प्रक्रियाधीन है। 31 अक्टूबर तक सारे पैचेज और सारा रिन्यूअल का काम खतम कर दिया जायेगा।

आपने 2-3 बातें बतायी हैं, 2-3 जगहों का नाम लिया है आपने...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सारे राजस्थान की कह रहा हूं; केवल जयपुर, जयपुर नहीं, अजमेर में भी यही हाल है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले प्रश्न पढ़ लीजिये, उसके बाद में बोलिये। प्रश्न सिर्फ जयपुर तक सीमित है, वह भी नगर निगम की सीमा तक....

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप मंत्री तो राजस्थान के हैं, इसलिये आपसे कहा है कि आप राजस्थान के मंत्री हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सड़कें तो पूरे राजस्थान की खराब हैं। जयपुर क्या...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...नगरपालिका, वहां पर कुछ सड़कें चलने लायक भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में 100 करोड़ की सड़कें पानी में बह गयीं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल सांगानेर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है प्रश्न। माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। किसी और का अंकित...(व्यवधान) अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। केवल सांगानेर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न का पूरा...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य को मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): या तो प्रश्न लगाया करो। पहले मुझे मेरा प्रश्न पूछने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रश्न बहुत साफ है, जयपुर नगर निगम क्षेत्र और सांगानेर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है। आपने 4 बातें उठायीं, एक तो रामपुरा सड़क नवीनीकरण का कार्य, तो केसर सर्किल से रेल्वे फाटक तक का कार्य, यह प्रक्रियाधीन है, इसको मंजूर कर लिया जायेगा और इस पर करीब-करीब 1 करोड़ 24 लाख 30 हजार रुपया खर्च होगा; 2 किलोमीटर की लेंथ है इसकी।

दूसरा, आपने बताया कि गोवर्धन नगर, सेक्टर रोड़ निर्माण कार्य, जिसमें टोंक रोड से गोवर्धन नगर रेलवे फाटक तक 1.4 किलोमीटर की सड़क, यह भी प्रक्रियाधीन है, इसकी भी ए एण्ड एफ जारी हो जायेगी और 1 करोड़ 76 लाख रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है।

तीसरा, आपने चौरड़िया पेट्रोल पम्प के पीछे की कालोनीज के बारे में बताया। आपने तो बताया कि 50 कालोनीज हैं लेकिन जो हमने आइडेंटिफाई की हैं वे कुल मिलाकर के 14 कालोनीज हैं। मैं नाम ले देता हूं उनके- रामद्वारा कालोनी, दादू गुरुदेव नगर, सूर्य नगर, श्यामपुरी, 5-6-7-8 महावीर नगर, सी-डी-ई-जेड प्रिंटर्स कालोनी, शिव कालोनी, श्याम विहार, गोपी नगर स्कीम, गोपी नगर एक्सटेंशन और स्कीम नम्बर 36 । इनके अलावा भी अगर आप यह समझते हैं कि कहीं आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर आप लिखें मुझे, मैं निश्चित तौर पर उसमें उचित कार्यवाही करवाने का प्रयत्न करूंगा।

एक और बताया है आपने, बावड़ीवास, तो बावड़ीवास में जो सड़क का निर्माण कार्य है वह भी 1.4 किलोमीटर का है और उस पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा, वह भी प्रक्रियाधीन है; वह भी मेरा ख्याल है, ए एण्ड एफ मंजूर होकर काम हो जायेगा; यह होगा, भौमियां जी के चबूतरे से रेलवे लाइन फाटक तक।

तो करीब-करीब, मैं यह समझकर चलता हूं कि आपका जो पूरा क्षेत्र है जिसमें खास तौर पर जो यह गोवर्धन नगर वाली सड़क है, इस सड़क के बाबत मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 100 फीट की तो सड़क है चौड़ाई में, मानचित्र में तो 100 फीट दे रखी है लेकिन असल में वहां पर चौड़ाई 60-65, 60-65 फीट से ज्यादा नहीं है। तो जे डी ए का यह प्रपोजल था कि यहां पर सिर्फ सड़क बना दी जाए, लेकिन उचित यही समझा गया कि इसमें नाली का निर्माण भी हो ताकि जो पानी भराव हो, वह नाली के जरिये निकल जाए। तो उसके भी आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब और क्या चाहिये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है जिस ढंग से सांगानेर की आपने स्टडी की है, यह कोटा छोड़कर सांगानेर आने का विचार तो नहीं है ना आपका?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की तो कृपा ही चाहिये। अब आपके सामने मैं कभी आ नहीं सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं कि यह नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। उस प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। हाउसिंग बोर्ड की जो कालोनियां हैं, उनमें जे डी ए काम नहीं करा पा रही है, उसमें नगर निगम काम नहीं करा पा रही है। प्रश्न संख्या एक।

दूसरा, हमारे मैयर ने आपको एक पत्र लिखा है कि मैं मैयर तो हूं लेकिन ओर्नामेंटल मैयर हूं, मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। नगर निगम में चूंकि आप काम नहीं करने दे रहे हो और मुख्य मंत्रीजी काम नहीं करने दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप भी तो नहीं करने दे रहे होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह नगर निगम काम नहीं कर पा रही है। मैं चाहूंगा कि इन सड़कों की कम से कम हम एक अथोरिटी ऐसी बना दें जो इन तीनों का समन्वय कर सके और काम करा सके। कभी वह रोड फोड़ देता हैं, कभी वह फोड़ देता है, कभी कलक्टर रोक देता है, कभी नगर निगम कर देती है। इसलिए जयपुर में इनकी एक अथोरिटी बनाना आवश्यक है ताकि उसको पूछकर सारा काम हो। सड़कों की अथोरिटी एक बनकर, एक हैड के नीचे आ जाये ताकि वह काम सुचारु रूप से चल सके।

आपने बाकी जो 31 अक्टूबर तक कराने के लिए कहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

प्रदेश में पालीथिन बैग्स के निर्माण पर प्रतिबंध

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पालीथिन बैग्स के निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो कब से? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रतिबंध के उपरांत भी प्रदेश में पालीथिन बैग्स का उपयोग जारी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रतिबंध लगाये जाने के पश्चात् जुलाई, 2013 तक पालीथिन बैग्स के निर्माण एवं बिक्री के लिये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमे दर्ज कराये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में पालीथिन बैग्स पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से लागू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, यह नगर निगम से सम्बन्धित सड़कों का मामला है, मेरा भी एक पूरक प्रश्न था। स्थगन भी लगा रखा है मैंने।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मंत्रीजी। जवाब दीजिये प्रश्न का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने स्थगन भी लगा रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। स्थगन की बात अभी करने की नहीं है। अभी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

पर्यावरण मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 द्वारा राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन पर दिनांक 01 अगस्त, 2010 से रोक लगाई गई है। सम्बन्धित अधिसूचना एवं संशोधन अधिसूचना की प्रतियां परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर उपलब्ध हैं।

(श्रीमती बीना काक)

(2) प्रतिबंध के बावजूद राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना के प्रावधानों की समुचित जानकारी न होने, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जाग्रति न होना, आदि इसके कारण हो सकते हैं।

(3) पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है क्योंकि इस हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा सीधे ही न्यायालय में मुकदमा दायर करने का प्रावधान है।

(4) जी हां। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:-

1. अधिसूचना के प्रावधानों, वैकल्पिक सामग्री के उपयोग के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किये गये।

2. प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़ा, सेलूलोज एवं कागज से बने कैरी बैग्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2010 से करों में छूट प्रदान कर दी गई है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समस्त जिला कलक्टर्स को अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रतिबंध हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला स्तर पर निरीक्षण दलों का गठन कर उनके माध्यम से सघन जांच अभियान चलाये जाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किये गये हैं तथा न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर समस्त जिला कलक्टरों से प्लास्टिक कैरी बैग्स के सम्बन्ध में उनके स्तर से की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है तथा उक्त प्रतिबंध को कठोरता से लागू करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कोई असर नहीं हुआ। आपने जो प्रसार किया, लोगों को आश्वस्त किया कि अब इन प्लास्टिक की थैलियों से पीछा छूट जायेगा...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को। माननीय सदस्य, पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूरक प्रश्न पूछने दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपका एक रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और आपने अभी जो घोषणाएं की हैं ना, उनका भी यही हश्र होगा।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया, उसमें प्लास्टिक बैग्स के उपयोग को पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया। राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी की अच्छी सोच के कारण से कि पर्यावरण दूषित नहीं हो और पशुओं को भी किस तरीके से बचाया जा सके...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका, पूरक प्रश्न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन कर रहा हूं, यह एक अच्छा निर्णय था, लेकिन उस अच्छे निर्णय की पालना नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे यह प्रश्न लगाना पड़ा। जब यह अधिसूचना जारी हुई थी तो कुछ दिनों तक के लिए तो यह बात चली थी लेकिन उसके बाद में बिलकुल ऐसे हो गया कि जैसे इस कानून की एक प्रतिशत भी पालना नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिला कलक्टरों और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, इनके द्वारा इस अवधि में कितने प्रकरणों में न्यायालयों में परिवाद दर्ज कराया गया, जिलेवार सूची और उनमें भी विशेष रूप से ऐसे जो विनिर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने से सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनके कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, इनमें वे लोग, जो बाहर से आयात करके लाते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, बोम्बे से, कहीं से भी, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी?

तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि विभिन्न जिला कलक्टरों के माध्यम से किन-किन जिलों में, किस-किस अवधि के दौरान इनको रोकने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको जब्त करने के लिए, इनके खिलाफ परिवाद करने के लिए अभियान चलाया गया? अभियान की अवधि और ऐसे लोग जो विनिर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने एवं बाहर से आयात करने वाले लोगों के खिलाफ, केवल रेहड़ी वालों की नहीं पूछ रहा हूं, रेहड़ी वाला तो गरीब आदमी है, उसको तो आप कभी भी पकड़ सकते हो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दो क्वेश्चन और रह गये हैं, छोटे-छोटे, वे बाद में निवेदन करूंगा।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्लास्टिक से, प्लास्टिक कैरी बैग्स से बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से, आपके माध्यम से इस सदन को भी कुछ जानकारी देना चाहती हूं, जो कि पार्ट आफ अवैयरनेस होगा। कुछ 4-5 पाइंट हैं, जो कि बहुत गम्भीर हैं; जिन्हें जानकारी नहीं है वे सुन लें क्योंकि सभी चीजों की सबको जानकारी नहीं होती है।

वर्ष 2009 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति दिन 15,800 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। केवल हवाई अड्डों में ही प्रति दिन 40 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है। प्लास्टिक के निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स मानव के शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जिनमें पैदाइशी विषमतायें भी शामिल हैं। खास तौर से एक केमिकल होता है विसफिनाल जो कि प्लास्टिक को बनाने के काम में आता है, इसके बिना प्लास्टिक बन नहीं सकता है, यह बहुत ही हानिकारक और खतरनाक केमिकल है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह जानकारी तो आपने जहां से कलेक्ट की है, वह कइयों के पास है...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अगर हमारे माननीय सदस्य यह जानकारी नहीं जानते तो हम क्या मेसेज दे पायेंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, आप तो उनके प्रश्न का उत्तर दे दें, कितनों के खिलाफ कार्यवाही का।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): उनके प्रश्न की चिंता आप क्यों कर रहे हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं भी सदन का एक सदस्य हूं, मेरे को भी चिंता करने का अधिकार है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आप क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हैं? अगर वे मुझे उठकर कहें कि आप यह मत बताइये तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति है... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति है और मैं सदन का सदस्य हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति है, मंत्री महोदया...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप भाषण करेंगी तो भाषण सबको आता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सबको बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह भाषण सबको आता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बताइये ना, पहले प्रश्न का उत्तर बताओ। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मैं पहले मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दे रही हूं इस वक्त ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले प्रश्न का उत्तर दे दो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह जवाब थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आप लोग सुनना ही नहीं चाहते कि क्या नुकसान है। आप बता दीजिये उठकर कि क्या नुकसान है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न सदन की सम्पत्ति है, हमारा अधिकार है ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मैं तो बताऊंगी, इनको बताऊंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनका अधिकार ही नहीं, हमारा अधिकार भी है जानने का। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): भाषण नहीं चाहिए, सदन में उत्तर चाहिये। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बेटा-बेटी हो तो थाली बजायें ...(व्यवधान) परिणाम तो सब जानते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): प्लास्टिक के उत्पादन में काम आने वाले केमिकल्स दूधमुंहे बच्चों पर विपरीत प्रभाव, जिन्दा रहने की

(श्रीमती बीना काक)

प्रतिशत में कमी लाते हैं। मैं भी यह कहना चाहती हूं कि जो-जो इसके दुष्परिणाम हैं, कृपा करके आप सब भी इसमें सहयोग दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सरकार का डंडा आपके पास है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अधिकृत अधिकारियों द्वारा, कलक्टर्स द्वारा जो-जो कार्यवाहियां की गयीं, चाहे वह विनिर्माण के लिये, चाहे प्लास्टिक को जब्त करने के लिए, तो अजमेर में न्यायालय में 7 वाद दायर किये गये; अलवर में 13; बांसवाड़ा में 10; बारां में 6; बाड़मेर में 4; भीलवाड़ा में 29; भरतपुर में 14; बीकानेर में 35; बूंदी में 15; चित्तौड़गढ़ में 10; चूरू में 14; दौसा में 33; धौलपुर में 2; डूंगरपुर में शून्य; गंगानगर में 15; हनुमानगढ़ में 38; जयपुर में 37; जैसलमेर में 5; जालौर में 5; झालावाड़ में 12; जोधपुर में 1; झुंझुनूं में 32; कोटा में 12; करौली में 1; नागौर में 12; पाली में 9; प्रतापगढ़ में शून्य; राजसमंद में 2; सवाई माधोपुर में शून्य; सीकर में 2; सिरोही में 1; टोंक में 246; उदयपुर में 8 और टोटल योग 630। (व्यवधान) यह इनका एक क्वेश्चन।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली ने दोषसिद्ध होने का निर्णय करते हुए 10 हजार रुपये से दण्डित किया। कई जगह 5 हजार रुपये से दण्डित किया, कई जगह पर 15 हजार रुपये से और इस तरह से उन्हें दण्डित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालयों में प्रतिबन्ध के उल्लंघन का दोषसिद्ध होने पर अपराधी को 5 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रुपये जुर्माने तक दण्डित करने का प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक भी नहीं किया। एक भी नहीं किया।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : किया है न। मैंने आपको बताये हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अभी कितने लोगों को आपने दण्डित किया, इन प्रावधानों के अनुसार? यह तो बताओ।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : बता तो दिया। लिस्ट तो बता दी मैंने।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुकदमे नहीं, दण्डित एक को नहीं किया। (व्यवधान) एक को ही जेल नहीं की। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : अब हम चाहते हैं, जैसी कि आप सभी की इसमें चिंता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी चिंता है और आपको मैं बताना चाहती हूं कि प्लास्टिक के उपयोग, विनिर्माण से चिंतित होते हुए अभी जो टैक्सटाइल पैकेज भी मुख्य मंत्रीजी और कैबिनेट ने अनाउन्स किया है, उसमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए, जैसे पैक बोटल्स हैं, उनसे किस तरह से फाइबर बनाया जा सकता है, उसमें भी रियायतें देने के लिए और कैबिनेट के डिस्कशन के लिए स्पेशल इस टैक्सटाइल पालिसी के अन्दर इसको भी डाला गया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक क्वेश्चन और, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : एक मिनट और। अंत में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: शोर्ट करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : हम सब चिंतित हैं और जैसी कि आप सब की यह चिंता है कि इसमें अधिक कार्यवाही जितनी होनी चाहिए, नहीं हुई, इन प्रावधानों को और ज्यादा सीरियस बनाने के लिए हमने यह महसूस किया कि 1986 का जो एक्ट है, उसमें केवल कुछ ही अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया में केसेज दर्ज करने के लिए आथोराइज किया गया है...

श्री अध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : हम यह भारत सरकार को प्रस्तावित करना चाहते हैं और करेंगे...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तीन साल पहले यही दोहराया था।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): एन्वायरनमेंट एक्ट के खिलाफ किए गए अपराधों को शमन करने का प्रावधान भी सम्मिलित किया जाए। ऐसा संशोधन होने से अधिकृत अधिकारी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर स्वयं जुर्माना लगा सकेगा। एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में राजस्थान सरकार संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित करना चाहती है कि इस एक्ट का उल्लंघन समाज की वेल-बीइन्ग का उल्लंघन माना जाए तथा इसमें वर्तमान में जो भी जुर्माने का प्रावधान है, उसको अगर दूसरी बार जुर्माना लगता है...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। शोर्ट करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): ...तीसरी बार जुर्माना लगता है तो उसकी मात्रा को भी, पैसे की मात्रा बढ़ाई जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल एक क्वेश्चन।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): ऐसे प्रकरण एवं उल्लंघन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता सवाल करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): गर्वनमेंट आफ इण्डिया को प्रपोज कर रहे हैं।

लास्ट वन पाइण्ट।

श्री अध्यक्ष: क्यों लम्बा कर रहे हैं? अगला प्रश्न आ जाये। (व्यवधान) हां, बोलें, बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी की जानकारी में भी लाना चाहूंगा कि अकेले जयपुर के विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में 21 फैक्टरियां हैं जो विनिर्माण भी करती हैं और भण्डारण भी करती हैं और बाहर से भी इतनी ही ज्यादा संख्या में आता है। सीकर जैसी जगहों पर 500 दुकानों में प्लास्टिक बिकता है। इनके ऊपर कार्यवाही आज तक हुई है? तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से इतना आश्वासन चाहता हूं कि इस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी...

श्री अध्यक्ष: आपको पूरी जानकारी दे दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और बनाने वालों पर भी कार्यवाही की जायेगी, केवल ठेले वालों पर नहीं की जायेगी। इतना आश्वासन, यह आश्वासन दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): प्रश्न संख्या 3 ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदया कुछ कहना चाहती हैं।

प्रदेश में नवीन जिलों के गठन के मानदण्ड

3. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) प्रदेश में नये जिलों के गठन हेतु क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से जुलाई, 2013 तक सरकार द्वारा नये जिलों के गठन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 10 वर्षों में सरकार को किन-किन क्षेत्रों से नये जिले गठन करने के लिए मांग की गई और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सांभर को जिला बनाने की मांग कब से की जा रही है तथा उसको जिला नहीं बनाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सांभर को अब जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) नये जिले बनाने के लिए कोई नियम एवं मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) राज्य में नये जिलों के सृजन/पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9 (37)राज.ग्रुप-1/2010 दिनांक 28.5.2012 से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) विगत 10 वर्षों में जिन-जिन क्षेत्रों से नये जिले बनाने की मांग की गई, उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। नये जिले बनाने सम्बन्धी प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष परीक्षणाधीन है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय मंत्रीजी, दो पाइंट और हैं। आप पन्ना तो पलटो। अध्यक्ष महोदय, ये तो बैठ गये।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सांभर का है।

(4) सांभर को जिला बनाने सम्बन्धी मांग लम्बे समय से की जा रही है। वर्तमान में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभी तक राज्य के किसी भी शहर/क्षेत्र को जिला बनाने हेतु सिफारिश नहीं की गई है। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम स्तर पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभी तक

(श्री हेमाराम चौधरी)

राज्य के किसी भी शहर/क्षेत्र को जिला बनाने हेतु सिफारिश नहीं की गई है। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम स्तर पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 से सरकार की ओर से यही जवाब सुनने को मिल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो समिति का गठन किया गया है, इसमें तय समय सीमा चार माह की दी गई थी। वर्तमान में इस समिति की क्या स्थिति है? रिपोर्ट क्यों नहीं प्राप्त हुई है? इस समिति ने कब-कब बैठकें कीं और उसमें क्या-क्या काम किया? और सरकार यह भी जवाब दे कि समिति पर राज्य सरकार ने अब तक कितना खर्च वहन किया? इस समिति को बनाने और उसकी मीटिंगों या दौरे या जो भी हुए, उन पर राज्य सरकार ने कितना पैसा इन पर वहन किया? मंत्रीजी, ये तीन जवाब दे दें, इसके बाद मैं और बात पूछूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नए जिले बनाने के लिए समिति का गठन 28.5.2012 के आदेश के द्वारा किया गया और उसके बाद में समिति लगातार बैठकें आयोजित कर रही है, परन्तु पूरे राजस्थान में नए जिले बनाने की जो मांग है वह बहुत ही वृहद स्तर पर आई है, 42 की। अभी वर्तमान में तो 33 जिले हैं और 42 नए शहरों और क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है और आई हैं। 42 नए जिले बनाने की मांग, इतनी बड़ी मांग समिति के समक्ष आई है तो समिति को प्रत्येक मांग पर बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है। इसके लिए समिति ने अभी तक पूर्ण रूप से अध्ययन करके अभी कोई रिपोर्ट सरकार को प्रेषित नहीं की है। जब तक समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित नहीं करेगी, तब तक सरकार नए जिलों के गठन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। पूर्व में भी, जब भी कोई भी नये जिले का गठन हुआ है तो वह समिति गठित करके, समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही गठित हुआ है। इसलिए अभी समिति अपना काम कर रही है और समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद ही निर्णय किया जा सकेगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें और पूछी थीं कि समिति की कब-कब बैठकें हुईं और कितना खर्चा हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मूल प्रश्नकर्ता को ही मैंने इजाजत दी है, अन्य का अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मूल प्रश्नकर्ता। अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कब-कब बैठकें हुई हैं, यह तो बता दें; कितना खर्च किया, इसका जवाब तो दें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया है कि समिति की कितनी बैठकें हुईं, कितना खर्चा किया। मंत्रीजी यह जवाब दें। (व्यवधान) इसके आर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष का वेतन अलग से निर्धारित होगा, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी तो बैठकें हुईं और कितना हमने वेतन भुगतान किया समिति को? यह जवाब तो दें मंत्री महोदय, बताये सरकार।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दिया जाये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): समिति ने अभी तक अपनी बैठकें पूरी नहीं की हैं, उसके बिना बैठकों के बारे में बताना सम्भव नहीं है। उसके ऊपर कितना व्यय हुआ, तनख्वाह, वगैरह का, यह प्रश्न अलग से है, इसका इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रश्न तो सिर्फ जिलों के पुनर्गठन से सम्बन्धित है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे लेना-देना नहीं है? आदेश में लिखा है, अलग से वहन किया जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बतायें, आपने इस हाउस में यह सूचना दी थी कि हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपना घोषणा पत्र मुख्य सचिव को सुपुर्द कर दिया है, क्या आपके घोषणा पत्र में नए जिले बनाने का कोई प्रावधान था? और अब ये पांच साल पूरे हो रहे हैं और इस कमेटी के गठन को 1 साल 3 महीने पूरे हो गये, 1 साल 3 महीने तक आपने इतने लोगों की तनख्वाह दी और उसके बाद उनकी रिपोर्ट, जो 4 महीने में आपने इनको अधिकृत किया था, इसकी रिपोर्ट 4 महीने में आपको करनी थी; यह जो आपकी पहली कमेटी है, उसके बाद इसका समय आपने कब-कब बढ़ाया? समय बढ़ाने के बाद अब तक इन्होंने आपको क्या रिपोर्ट दी या कुछ अपनी प्रोसीडिंग्स भी दीं कि मीटिंग में हमने किया, नहीं किया? केवल बैठे-बैठे लोगों को तनख्वाह देने के लिए कमेटी का गठन करके राजस्थान के लोगों को आपने एक तरह से भ्रम में डाल दिया कि हम नये जिले गठित कर रहे हैं। एक साल और आपका पूरे पांच साल का कार्यकाल खतम हो रहा है। आप तो कह रहो हो कि वह घोषणा पत्र हमारा बाइबल है, तो अब बाइबल तो आपकी कल खतम हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में यह बात कही, इसीलिए ही तो इस समिति का गठन किया गया और समिति का जो गठन किया गया, वह नये जिले बनाने के उद्देश्य से ही किया गया। परन्तु जैसा मैंने कहा, 42 और नये शहरों, क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग इस समिति के समक्ष आई, तो इतनी बड़ी जब, 42, अगर दो-चार की आती तो उस पर कमेटी जल्दी से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे सकती थी। इसलिए कमेटी ने यह अपनी समस्या बताई कि इतनी बड़ी मांग है और इन सब 42 स्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कमेटी का समय बढ़ाया जाना जरूरी है और कमेटी की मांग पर समय चार महीने का आगे बढ़ाकर के किया। अभी 31 अक्टूबर तक इस कमेटी का समय निर्धारित है और 31 अक्टूबर से पहले-पहले रिपोर्ट आ जाएगी तो नये जिले बनाने का, गठन का निर्णय लिया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने केवल शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दी है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आपके ही प्रश्न संख्या 4320 में यह जवाब दिया है, अभी आप यह फरमा रहे हो कि इस समिति का कार्यकाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

है, मेरे यहां आपने कहा कि इनका कार्यकाल 30 नवम्बर तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। मैंने पूछा, क्या यह समिति की रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट होगी और इसी रिपोर्ट के उपरांत अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया सरकार की होगी; आपने कहा, नहीं, सरकार अपने स्तर पर निर्णय करेगी। तो फिर इस कमेटी को बनाये रखने का औचित्य क्या है, जब इस कमेटी के आधार पर आप निर्णय ही नहीं लोगे? आखिर, यह मामला आप लम्बित क्यों रखना चाहते हो? समिति को आपने सिर्फ कुछ मुद्दे, पैरा, रेफरेंस पाइंट दे रखे हैं, उसके आधार पर वह सूचना एकत्रित कर रही है। तो क्या ये रेफरेंस पाइंट्स गवर्नमेंट अपने स्तर पर नहीं कर सकती? आपने स्वयं ने यह लिखा है, जी नहीं...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं; माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप यह बताएं कि फिर इस कमेटी का औचित्य क्या है? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का आप कह रहे हो, रिपोर्ट है...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, जवाब आ रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब दें।

(माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह ने सदन कूप में धरना दिया)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जैसा शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कमेटी ने समय सीमा बढ़ाने के लिए 31 नवम्बर तक

(श्री हेमाराम चौधरी)

की मांग की थी; जरूरी नहीं है कि 30 नवम्बर तक की मांग समिति ने की है तो उसको 30 नवम्बर तक ही बढ़ायें; सरकार ने उचित समझा, 30 नवम्बर तक मियाद नहीं बढ़ाकर के, 31 अक्टूबर तक ही इसकी मियाद बढ़ाई जाए। इसलिए नवम्बर के बजाय अक्टूबर तक इसकी मियाद बढ़ाई गई।

आपने कहा, कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके लिए सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह कहने का मतलब यह है कि कमेटी रिपोर्ट देगी, कमेटी तो कल रिपोर्ट, मान लो, यह दे दे कि 42 ही जिले बना दिये जाएं, पर सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी...

श्री अध्यक्ष: गुणावगुण के आधार पर सरकार तय करेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जरूरी नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट अंतिम हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क जांचें

4. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अस्पतालों में मरीजों की नि:शुल्क जांचें की जाती हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) में किन-किन अस्पतालों में किस-किस मरीज की कौन-कौनसी नि:शुल्क जांचें की गईं? दिनांकवार नि:शुल्क जांच प्रारम्भ की तिथि से 15 अगस्त, 2013 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नि:शुल्क जांच पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय किन-किन मदों में समायोजित करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या नि:शुल्क जांचें निजी अस्पतालों में भी प्रारम्भ की गई हैं? यदि हां, तो पाली जिले के कौन-कौन से निजी अस्पतालों को इसमें सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में दिनांक 15 अगस्त, 2013 तक राजकीय अस्पतालवार कितने लैब टेक्निशियन कार्यरत हैं व कौन-कौन से अस्पतालों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (डा. राजकुमार शर्मा): (1) जी हां। मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत की जाने वाली नि:शुल्क जांचों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) के अन्तर्गत संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची एवं रानी में 1 जुलाई, 2013 से तथा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांता, सारण, आउवा, धामली, जोजावर, राणावास, धनला, कन्टालिया, सिरियारी, पांचेटिया, बागौल, पनोता, खिवाड़ा, जवाली में 15 अगस्त, 2013 से नि:शुल्क जांचें योजनानुसार की जा रही हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों में 15 अगस्त, 2013 तक की गई नि:शुल्क जांचों का विवरण दिनांकवार, मरीजवार, जांच के नाम सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) नि:शुल्क जांच पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय बजट मद टी.एफ.सी. एवं मद-2210-06-101-2001 के उपमद 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन) एवं 18-मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र (चिकित्सकीय उपकरण) में समायोजित करने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब टेक्निशियन के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 21 जुलाई से सी एच सी पर नि:शुल्क जांचें स्टार्ट कीं और ये नि:शुल्क जांचें जो की गईं, उनमें लैब-टेक्निशियन और ये जो पद स्वीकृत ही नहीं हैं और फिर जांचें हो रही हैं तो ये जांचें कौन कर रहा है? यह तो बता दें,

(श्री केसाराम चौधरी)

माननीय मंत्री महोदय। आपने बताया कि कन्टालिया में लैब-टेक्निशियन का पद कम्पलीट रिक्त है और कन्टालिया में आपने जांचें बताई हैं, तो ये जांचें किसके द्वारा की गईं? यह, मंत्री महोदय, जवाब दें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लैब-टेक्निशियन नहीं होना बताया, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि हमने सभी सी एम एच ओज को, सभी पी एम ओ को और सभी जितने भी अस्पताल के इंचार्ज हैं, उनको अधिकृत किया है कि जब तक सरकार परमानेंट लैब-टेक्निशियन वहां उपलब्ध नहीं कराएगी, तब तक वहां पर डेली वेजेज पर रख सकते हैं और वहां पर लैब-टेक्निशियन कार्य कर रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह संविदा पर जो लैब-टेक्निशियन लिये हैं, उन संविदा पर लिये हुए लैब-टेक्निशियनों का, उनको क्या तो पैसे दिये जा रहे हैं? और यह किस तरह से इनकी भर्ती की गई? इसी तरह से राजस्थान के नौजवानों के साथ यह धोखा किया जा रहा है। विद्यार्थी मित्र लिये, वन मित्र लिये और अब यह संविदा पर ये लैब-टेक्निशियन ले रहे हैं। तो क्यों नहीं इनकी विधिवत भर्ती करके इन बच्चों को लिया जाए ताकि इनका भविष्य उज्ज्वल हो जाए और इनके साथ धोखा न हो? यह सरकार हमेशा धोखा करती आई है। जो लैब-टेक्निशियन आपने संविदा पर लिये हैं, उनको क्या पैसे दे रहे हैं? और इनको परमानेंट करेंगे या इनको संविदा पर ही रखते जाएंगे, यह खुलासा कर दें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर अस्पताल पर जो अधिकृत हमने चिकित्सकों को किया है, वहां पर कोई एक तनख्वाह का सिस्टम नहीं रखा है। वहां योग्यतानुसार, जो भी लैब-टेक्निशियन हमारे वहां का प्रभारी लेता है, वह एम आर एस फंड से, जो सरकार की तरफ से फंड दिया जा रहा है, उससे उसका वेतन देते हैं। एम आर एस में काफी हैं और हमने, हमारी सरकार ने काफी लैब-टेक्निशियनों की भर्ती की है, और भी भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं, और अभी जो हम लोग संविदा पर ले रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें; आपस में चर्चा नहीं।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): इसकी एक सतत प्रक्रिया है; मेरिट के आधार पर या टैस्ट के माध्यम से, इसमें कोई इंटरव्यू हम नहीं रखते, जो मेरिट में आएगा उसका सलेक्शन होगा। उसके अन्दर ट्रांसपेरेंसी है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आपने संविदा पर जो लिये हैं मगर कन्टालिया में तो कोई लैब-टेक्निशियन आपने बताया ही नहीं और आपने इसमें जांचों में बताया है कि कन्टालिया में जांचें हुई हैं, तो फिर ये जांचें किसने की हैं? मैं यह पूछना चाह रहा हूं। मंत्रीजी, ये आपने की हैं या किसने की हैं? और संविदा पर ये जो लैब-टेक्निशियन लिये हैं, उनको वेतन कितना देंगे? यह तो बता दो।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि वहां कंटालिया के अन्दर लैब टेक्निशियन संविदा पर रखा हुआ है। वेतन का मैंने निवेदन कर दिया है कि वेतन के लिए वहां के सी.एम.एच.ओ. को अधिकृत किया गया है कि वे जिलेवाइज वेतन सब लैब टेक्निनिशन को दें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने यह बताया है कि संविदा पर लिये हैं, मगर आपने पद बिलकुल रिक्त बताया है। तो कंटालिया में फिर कौनसा लैब टेक्निशियन है? आपने जो यह जवाब दिया है, यह सत्य है या असत्य है? संविदा का क्या, इसमें तो पद ही रिक्त बताया है, बिलकुल खाली बताया है, पद है ही नहीं। आप खड़े हो जाओ, आप जवाब दे दीजिये, मंत्रीजी, इनको नहीं आ रहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, परमानेंट लैब टेक्निशियन की नियुक्ति नहीं है इसलिए रिक्त बताया गया है। संविदा पर वहां पर लैब टेक्निशियन ले लिया गया है और लेबर एक्ट के तहत जो भी नियमों के अन्दर आता है, वह तनख्वाह उनको उपलब्ध करायी जा रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह जवाब दिया है, वह गलत है या सही?

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कोटा में क्यों नहीं रखा गया? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, कोटा के एम डी एस हास्पिटल में.....

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकार चुका हूं।

शाहपुरा (जयपुर) में खेल स्टेडियम के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

5. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे में खेल स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त खेल स्टेडियम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जुलाई, 2013 तक कौन-कौन से कार्य किये गये व कौन-कौन से कार्य कब तक किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खेल स्टेडियम के निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा क्या-क्या शिकायतें की गईं एवं सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) जी हां। शाहपुरा में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु जारी की गई स्वीकृति एवं उनके अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन अनुसार कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

शेष कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का तखमीना प्राप्त हुआ है जिसके परीक्षण उपरान्त, स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2007 में नियत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जानी सम्भव हो सकेगी।

(2) इस क्रम में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर तत्समय भिजवा दिया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दो विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा, तत्समय से आपका क्या अभिप्राय है? 13वीं विधान सभा से अभिप्राय है? तत्समय से 13वीं विधान सभा से अभिप्राय है? 13वीं विधान सभा से अभिप्राय है तो वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कापी मंगवाइये और अगर 13वीं विधान सभा से अभिप्राय नहीं है तो 13वीं विधान सभा में किसी भी प्रश्न का जवाब 12वीं विधान सभा या उसके पहले की किसी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

विधान सभा के आधार पर, यह कह कर कि तत्समय भिजवा दिया गया था, गरिमा के अनुकूल नहीं है।

दूसरी चीज, मैं आपसे अनियमितताओं के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं, आप पी.डब्ल्यू.डी. से तखमीने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, आपका यह पूरा का पूरा स्टेडियम निर्माण का जो काम होता है यह इंटीग्रेटेड स्टेडियम डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होता है। इससे पहले आपकी राजस्थान स्पोर्टस काउंसिल ने तीन प्रकार के तखमीने बनवाये, एक तहसील या सब-डिविजन स्तर का था, एक जिले स्तर का था और एक डिविजनल स्तर का था। जब आप यह देखेंगे कि अगर तहसील स्तर का, क्योंकि शाहपुरा तहसील स्तर में आता है, तो उस तखमीने का टोटल जो आपका था, यह 97 लाख 43 हजार 95 रुपये में बनना तय था, जिसका नक्शा आपके आधार पर आपके स्पोर्टस काउंसिल से पंजीकृत है और ए.ईएन. और जे.ईएन. द्वारा बनाया गया है। आदरणीय, इस 97 लाख के बदले आज सार्वजनिक निर्माण विभाग 320 लाख रुपये मांग रहा है। अनियमितता मैं इसकी पूछ रहा हूं। आप द्वारा अनुमोदित, स्पोटर्स काउंसिल द्वारा प्रेषित मापदण्डों के आधार पर 98 लाख के 2008 में जिस तखमीने को बनाकर आपने पेश किया, अगर बी.एस.आर. रेट आप देख भी लें तो 30 प्रतिशत बढ़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा 120 लाख में बनना चाहिए था, पर 325 लाख रुपये का तखमीना पेश हुआ और 50 लाख आप खर्च कर चुके हैं। इस अनियमितता की बात कर रहा हूं। जहां आपके तखमीने में.....

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अनियमितता है।

श्री अध्यक्ष: या नहीं है? यही पूछ रहे हैं कि है या नहीं है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): है, यही तो है; ये कह रहे हैं कि है ही नहीं। जब आपने तखमीना तैयार किया तो या तो 97 लाख वाला जो तखमीना तैयार हुआ, वह गलत है या पी.डब्ल्यू.डी. 325 लाख मांग रहा है, वह गलत है। 50 लाख आपने खर्च कर दिये, 97 लाख का टोटल प्रोजेक्ट था और....

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अभी भी वे आपसे 220 लाख और मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो यह पैसा गया है। इसका जवाब दीजिये, यह कहां गया है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। जवाब दिला रहा हूं।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपनी बात बतायी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लगातार जिस तरह से खेल स्टेडियम के रूप में शाहपुरा में पैसा देते आ रहे हैं, ज्यों-ज्यों तखमीने बनते रहे, उनके आधार पर जो पैसा आबंटन करने का मामला था, 1999 में उस समय हमने दो लाख रुपये देने का काम किया, 30.01.2001 को तीन लाख रुपये, 9.11.2001 को चार लाख रुपये...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपने जो पैसा दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनें आप। आप, सदस्य, जवाब तो आने दें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपका जो तखमीना है, वह सही है या पी.डब्ल्यू.डी. जो तखमीना दे रहा है, वह सही है? आप यह बता दें। मैं आपकी उदारता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा, आपके पैसे पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा, पैसे के उपयोग की जो एजेन्सी है उसका तखमीना आप मान्य करेंगे या आप द्वारा अनुमोदित तखमीने को आप मान्य करेंगे? यह बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्पेसिफिक सवाल है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): हम स्पेसिफिक सवाल भी जानते हैं और दूसरा सवाल भी जानते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 1999 से चल रहा है तो इसमें ओलम्पिक कराने का विचार है क्या?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आपकी भावनाओं की भी कद्र करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था, जो लगातार हमने 9 लाख दिये, उसी पर मैं आ रहा हूं और माननीय सदस्य ने अपनी भावना को अवगत कराने का काम किया है, 2011 में 2.11.2011 को तखमीने के आधार पर जो पैसे की प्रथम किश्त आबंटित करनी थी, वह 40 लाख रुपये आबंटित करने का काम कर दिया; कुल टोटल पैसा 49 लाख रुपये देने का काम कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी जो हमें तखमीना मिला है, उस तखमीने के आधार पर हम तय करने का काम कर रहे हैं। जो तखमीना मिला है, उसके आधार पर स्टेजवाइज काम होते हैं, जिला स्तर पर

(श्री मांगीलाल गरासिया)

अपना काम जिस रूप में होता है, तहसील स्तर पर जिस तरह स्टेडियम निर्माण करने का काम होता है और सम्भाग स्तर पर स्टेडियम निर्माण करने की अलग-अलग स्टेजेज बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो इतने तक सीमित कर दो, तखमीने की जो बात पूछी है उसको स्पष्ट करके छुट्टी कर दो। जिला स्तर, सम्भाग स्तर को छोड़ो।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं वही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो तखमीना हमें मिला है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): तखमीना तो आपने बना कर दिया है, आपको मिला कहां से है?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): यह तखमीना जो हमें प्रस्ताव के रूप में मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, आप एक मिनट विराज जाएं, मैं आपकी बात आसान कर देता हूं। मेरा काम किसी पर यहां दोषारोपण करना नहीं है। मैं आपका ध्यान एक चिट्ठी है उसकी तरफ कर देता हूं, जो पी.डब्ल्यू.डी. ने आपको लिखी है और इस चिट्ठी में इन्होंने यह कहा है कि कुल राशि 310.46 लाख रुपये चाहिए। इसका मतलब, पी.डब्ल्यू.डी. यह कह रही है कि जो स्पोर्टस काउंसिल के द्वारा तैयार किया हुआ डी.पी.आर. है, वह गलत है और जो पी.डब्ल्यू.डी. ने तैयार किया है, वह सही है और उनमें 200 प्रतिशत का फर्क है। बात तो यह है। आप जितने पैसे में 500 रनिंग मीटर बनाना चाहते हैं सीटिंग्स का, वे 60 मीटर बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान है कि अभी हमें जो तखमीना मिला है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपका तखमीना सही है क्या? जो स्पोर्टस काउंसिल का दस्तखत किया हुआ तखमीना है, वह सही है क्या? आप पहले यह बता दो।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अभी आपका जो तखमीना हमें मिला है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरा तखमीना नहीं, आप वाला, आपके स्पोर्टस काउंसिल वाला।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तखमीना हमें मिला है उसका परीक्षण करवा रहे हैं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं पेश कर दूं क्या? आदरणीय, यह नक्शा इनका एप्रूव किया हुआ पेश कर दूं क्या?

श्री अध्यक्ष: इनके पास है। नक्शा तो है ही।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उनके पास नहीं है। अगर नक्शा होता तो जवाब मंत्री महोदय नहीं देते। (व्यवधान) तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का और डिविजन का किया है तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, 233.77 लाख का तखमीना...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह गलत है; आप जो फरमा रहे हैं, यह गलत है। एम.एम. इंजीनियरिंग एसोसिएट्स ने राजस्थान स्टेट स्पोर्टस काउंसिल को जो तखमीना दिया है, जो आपने एप्रूव किया है, वह 98 लाख रुपये का है। अब आप 350 लाख रुपये का कैसे औचित्य करते हो? यह बात आप बता दो। (व्यवधान) आप जांच करवाओ ना। मंत्री महोदय, आप जांच करवाओ ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। आप जवाब आने दो। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। जवाब तो आ जाने दीजिये। आप नहीं चाहते हैं कि जवाब आये, तो मैं अगला प्रश्न पुकारूं? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब ही नहीं आने दे रहे हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जो तखमीना मिला है, उसकी पूरी तहकीकात करवा रहे हैं। जानकारी करवाने के बाद में, प्रोजेक्ट के आधार पर...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है किसी का। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तखमीना हमें मिला है, उनका पूरा परीक्षण करवाने का काम कर रहे हैं और परीक्षण करवाने के बाद में जो भी होगा, उसको स्वीकृति करने के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बोले, जवाब तो आने दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। यदि जवाब मंत्रीजी का नहीं सुनोगे तो फिर आपकी बार-बार क्या बात होगी?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):

श्री अध्यक्ष: व्यवधान पैदा आप करते हैं और जवाब भी मांगते हैं। यदि आप शांत नहीं होंगे तो मैं कैसे जवाब दिलवा दूं? (व्यवधान) आप शान्ति रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात है। व्यवधान में जवाब नहीं आयेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जो स्पेसिफिक प्रश्न है माननीय सदस्य का, आप तो केवल एक स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न-विभिन्न स्टेजेज पर आप और हम देखने का काम

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 की बी.एस.आर. रेट अलग होती है और 2006 की बी.एस.आर. रेट अलग है और अभी जो तखमीना हमें मिला है, उसकी बी.एस.आर. रेट अलग है। उन दोनों-तीनों की स्थिति में, उनका पूरा परीक्षण करवाने का काम कर दिया जायेगा और परीक्षण करवाने के बाद काम कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश त्रिवेदी। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

रायपुर (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

6. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलना सम्भव नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन उपखण्ड मुख्यालय हैं, चार तहसीलें हैं, लेकिन एक भी सरकारी कालेज नहीं है। मैंने एक सरकारी कालेज की मांग रखी थी, आपने लिखा है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में खोलना सम्भव नहीं है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सीमित संसाधन हैं तो क्या आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कालेज खोलने की मांग को फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जो कि मुख्य मंत्रीजी देखते हैं, उनके पास भिजवाई? भिजवाई तो कब? नहीं

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

तो क्यों नहीं? नहीं भिजवाई तो क्या अब भिजवाकर संसाधन उपलब्ध करवाने का आप विचार रखते हैं? रखते हैं तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा के अनुसार 15 महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। जिन-जिन माननीय विधायकों ने अपने आवेदन पत्र, मांग पत्र भेजे थे, वे सभी मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेज दिये और उन्हीं के आधार पर 28 महाविद्यालय खोले गये। अब आप, माननीय सदस्य, मुझसे आश्वासन चाहते हैं तो 13वीं विधान सभा का यह आखिरी दिन है, आखिरी सत्र है, अब मैं इस सत्र में कोई आश्वासन दूं कि आपका कालेज खुल जायेगा तो वह बात ठीक नहीं लगती।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): प्रश्न नम्बर 7. प्रश्न नम्बर 7.

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपने सारे ही एस डी एम हैडक्वार्टर पर कालेज खोलने की घोषणा कर दी लेकिन कोलायत को आपने टाला है। यह बाड़ में मूतने से बैर नहीं निकलता। मैं तो फिर आऊंगा आपकी छाती पर, भले ही आप मत खोलो कालेज। खुलवा लेंगे डंडे की जोर से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई एवं पेयजल हेतु आपूर्ति

7. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से वर्तमान में कितना पानी किन-किन जिलों में सिंचाई एवं पीने के लिए दिया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के आठ जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं बाड़मेर को सिंचाई/पेयजल हेतु पानी दिया जा रहा है। इस परियोजना से सिंचाई एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी का नवीनतम जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

क्र.सं.	जिले	सिंचाई जल (क्यूसेक्स में)	पेयजल (क्यूसेक्स में)
1.	श्रीगंगानगर	4412.44	104.57
2.	हनुमानगढ़	2052.37	53.63
3.	चूरू	136.00	78.00
4.	बीकानेर	4380.43	259.90
5.	जैसलमेर	4018.52	141.21
6.	जोधपुर	95.00	195.00
7.	नागौर	0.00	15.00
8.	बाड़मेर	0.00	16.00
	कुल योग	**15094.76**	**863.31**

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए जो आई.जी.एन.पी. का पानी दे रहे हैं, फर्स्ट फेज और सेकण्ड फेज का वाटर अलाउंस आप बता दो।

दूसरा यह है कि आपको राजस्थान फीडर के लिए कुल कितना पानी पंजाब से मिलता है? इसमें सिंचाई और पिलाई को जोड़कर, बाकी लोसेज कितना जा रहा है? यह बता दो आप। क्या यह सही है कि इसके अलावा भी इण्डस्ट्रीज को आप पानी दे रहे हैं? आप वह सदन को अवगत करा दो।

तीसरा यह है कि नहर में जहां तक पानी जा रहा है, दोनों चरणों का लोसेज अलग-अलग बताने के बाद में पानी का जो वितरण है, वह किस प्रकार से कर रहे हो? यह आप सदन को अवगत करा दो।

अंतिम प्रश्न यह है ...

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो। जवाब आ जाने दो। जवाब आने तो दो। बता दो, मंत्रीजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अंतिम प्रश्न यह है कि...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो मूल प्रश्नकर्ता का।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना):

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपने फर्स्ट स्टेज और सेकण्ड स्टेज के लिए वाटर अलाउंसेज का पूछा है, तो फर्स्ट स्टेज में वाटर अलाउंस है 5.3 क्यूसेक्स...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, नहीं, करेक्ट करो, 5.23 ।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): हां, यस, 5.23 क्यूसेक्स और लिफ्ट के लिए है, फर्स्ट स्टेज की कंवरसेन लिफ्ट के लिए है, तीन क्यूसेक्स। सेकण्ड स्टेज के लिए फ्लो पर है तीन क्यूसेक्स और लिफ्ट के लिए है दो क्यूसेक्स।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): लोसेज। लोसेज।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): दूसरा आपका प्रश्न यह है कि हमको पंजाब से पानी कितना मिल रहा है, वह मैं आपको बता देता हूं, हमको 2008-2009 में मिला...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पानी मिला ही नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कुछ नहीं, आपका जवाब ही गलत है। 12,000-12,500 क्यूसेक्स से ज्यादा तो पानी कभी आज तक ही नहीं मिला और आज आप 15,000 क्यूसेक्स का बता रहे हो टोटल। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह 15,000 कहां से आ गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी का जवाब सुन तो लीजिये। माननीय सदस्य, जवाब सुन तो लीजिये पहले।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह सिंचाई के लिए हमारी नहर प्रणाली है और उसमें ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी है। आज धीरे-धीरे यह सारा ही पानी इण्डस्ट्रीज को डाइवर्ट कर रहे हो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इण्डस्ट्रीज को दे रहे हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमारी सिंचाई खतरे में है, आपने किसान के ऊपर तलवार लटका दी। औद्योगिक क्षेत्र को आप इतना पानी आबंटित कर रहे हो कि हमारी सिंचाई प्रणालियां फेल होने जा रही हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): औद्योगिक क्षेत्र को कितना पानी दे रहे हो, आप यह बता दो और प्रथम चरण में कितना सी.सी.ए. है और सेकण्ड चरण में कितना सी.सी.ए. है, यह बता दो?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): बता तो दिया सी.सी.ए. आपको।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सी.सी.ए. कहां बताया है इसमें? इसमें तो पानी बताया है आपने, वाटर अलाउंस बताया है आपने।

(12.00 बजे)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): सी.सी.ए. बता देता हूं आपको, प्रथम चरण में सी.सी.ए. है...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या है सी.सी.ए.?

श्री पेमाराम (धोद): लिखकर नहीं भेजा अधिकारी ने।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, इतना इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है....

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): प्रथम चरण में...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने मंत्री बनने के बाद में...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): प्रथम चरण में सी.सी.ए. है, प्रथम चरण में सी.सी.ए. है.....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आई जी एन पी क्षेत्र के कितने दौरे किये? क्या एक बार भी दर्शन किया है उस नहर का?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): बहाव क्षेत्र का है....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उस क्षेत्र का दर्शन किया है कभी? आपने मंत्री पद पर यह विभाग लेकर कहां कितने दौरे किये? एक बार दर्शन देने तो आ जाओ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। मंत्रीजी, विराज जाएं।

घोषणा

'एप्राइज'–कार्यवाही वृत्तान्तों में से सूचनाओं की खोज प्रणाली का शुभारम्भ

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज विधायक कक्ष में राजस्थान विधान सभा के कार्यवाही वृत्तान्तों (Proceedings) में से सूचनाओं की

(श्री अध्यक्ष)

आनलाइन खोज प्रणाली (Assembly Proceedings Information System) का शुभारम्भ किया जा रहा है। शुरूआत में 13वीं विधान सभा के अब तक अर्थात् वर्ष 2009 से 2013 के सम्पूर्ण कार्यवाही वृत्तान्तों में उपलब्ध सूचनाओं को विषयवार, सदस्यवार, आदि किसी भी रूप में सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।

विधायक कक्ष में अभी 12.00 बजे (प्रश्नकाल के पश्चात्) आयोजित किये जा रहे इस कार्यक्रम में आप सभी माननीय सदस्य सादर आमंत्रित हैं।

इस हेतु सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.01 बजे 13.01 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.01 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

'एप्राइज' – कार्यवाही वृत्तान्तों में से सूचनाओं की खोज प्रणाली के शुभारम्भ के लिए माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की परस्पर बधाई

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां तो आपने अवसर दिया नहीं, आपने अप्राइज करके जो नया सिस्टम प्रारम्भ किया है, वह वास्तव में न कोई राजस्थान के लिए, बल्कि हिन्दुस्तान की सभी विधान सभाओं के लिए अनुकरणीय काम आपके नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने यह काम किया।

श्री अध्यक्ष: आप सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पिछली बार का भी अगर कर देते ना, तो पता लग जाता कि कौन कितना बोला। इस बार का ही कर रहे हैं, पिछली जो बारहवीं विधान सभा थी ना, उसका अगर आ जाता तो पता लग जाता, कौन कितना बोला है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, विराजें आप। मुझे माननीय सदस्यों को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने काम तो बड़ा अनुकरणीय किया है...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन पांव पर है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. फूल चन्द भिण्डा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गत तीन वर्षों में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पेयजल के लिए पाइप खरीद में कथित मिलीभगत कर राजकोष को करोड़ों रुपयों का घाटा लगाने की साजिश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री प्रभुलाल सैनी एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अति पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने से जनता में व्याप्त भारी असंतोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में किसानों को फसल का उचित मूल्य, तारबंदी में अनुदान व खराब फसल का मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर की नई धान मण्डी के व्यापारियों से स्थानीय मण्डी प्रशासन एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा अविधिपूर्ण तरीके से ली गई राशि का रिफण्ड नहीं देने से उनमें व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक में हजारों बुजुर्ग खातेदारों द्वारा एफ.डी. का पैसा नहीं निकाल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से आबादी कटान के सम्बन्ध में बने हुए नियमों की समीक्षा की जाकर जैसलमेर जिले के लिए अलग से मापदण्ड निर्धारित कर लोगों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर एवं बाहरी

(श्री अध्यक्ष)

कालोनियों में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के कारण आम जनता को हो रही भारी परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामहेत सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी, हरियाणा तक सेन्ट्रल रोड फण्ड एवं स्टेट रोड फण्ड में स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य बंद होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(10) श्री वासुदेव देवनानी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्व मण्डल अजमेर में वकीलों द्वारा हड़ताल के कारण सारा कार्य ठप होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) डा. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से भरतपुर के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किसानों से ऋण के बदले ली जा रही कथित रिश्वत से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(12) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से सरकार की घोषणा के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने व स्थानान्तरण नीति की अनदेखी कर मनमाने तरीके से स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की अधिकतर सड़कें जीर्ण-शीर्ण होने, गंदगी के कारण महामारी फैलने एवं शहर की रोड लाइटों की हालत अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से स्वाइन फ्लू, डेंगू के मरीजों की जांच, उपचार व प्लेटलेट्स चढ़ाये जाने की सुविधा झालावाड़ में प्रारंभ करवाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान व अन्य जिलों में हजारों बीघा सरकारी राजकीय भूमि पर विभिन्न श्रेणी की अवैध नाजायज काश्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से बिल्डिंग बाई-लाज में किए गए अविवेकपूर्ण संशोधन से जयपुर शहर की मध्यम-वर्गीय/

(श्री अध्यक्ष)

निम्न-मध्यम-वर्गीय जनता को सस्ते एवं सुलभ आवास मिलना असम्भव होने के सम्बन्ध में।

(17) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से शिक्षकों के स्थानान्तरण में हुई भारी अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री अनिल जैन, श्री देवीसिंह भाटी, श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं श्री अमराराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2012 में कम वर्षा एवं सूखे के कारण खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से जोधपुर की बदहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी के गरढड़ा बांध (लतारिया बांध) के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्रातिशीघ्र राशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजकुमार रिणवां, सदस्य की ओर से राज्य में स्वतंत्रता सेनानी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक, मेडल विजेता खिलाड़ी और राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षकों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से जिला पाली व बाड़मेर में संचालित कपड़ा फैक्टरियों से निकलने वाला रसायनयुक्त पानी लूनी नदी में प्रवाहित होने से प्रदूषण फैलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर की उखड़ी सड़कों के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्या की ओर से चूरू जिले के किसानों को मौसम आधारित फसली बीमा का क्लेम नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में वर्ष 1972 से 1978 के बीच किसानों को आबंटित की गई बारानी भूमि का म्यूटेशन दर्ज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/13 पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर के मुलजिमों को गिरफ्तार करने तथा अनुसंधान अधिकारी को बदलने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती गोलमा देवी, सदस्या की ओर से जिला जयपुर के फागी थाने में चौथवसूली (बंधी) के कथित बंटवारे के कारण हुए झगड़े की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही का नवनिर्मित ट्रोमा सेन्टर तीन साल से सुविधाओं के अभाव में बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अनिल जैन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of information, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको यह जानकारी नहीं है कि पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन का अपन ने प्रोसीजर क्या रखा है? नहीं है जानकारी? मैं आपको बता देता हूं, आपका ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि अपन ने निर्णय किया था कि पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के लिए आप स्लिप पर लिखकर के दे दीजिए, किस इश्यू पर आप...। ऐसा हुआ है कि पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के नाम पर कुछ भी शुरू कर दिया है। तो नोटिस में तो चेयर के रहना चाहिए कि किस विषय पर आप पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन में अजमेर के....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, मैं माननीय सदस्यों को पहले ही कह देता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अनिल जैन।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झालावाड़ जिला अस्पताल में डेंगू के इलाज की सुविधा का अभाव

श्री अनिल जैन (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में और खानपुर विधान सभा क्षेत्र में डेंगू बुखार का इतना प्रकोप हो रहा है कि वहां का गरीब आदमी, वहां का गरीब किसान, अपनी जमीन-जायदाद गिरवी रखकर उसका इलाज करवाने के लिए उसको बाध्य होना पड़ रहा है। गांव छोड़कर पलायन करने की स्थिति हो गई है। एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांचें, इस तरह की योजनाएं राजस्थान में चला रहे हैं, ग़रीबों को खैरात बांटने का काम कर रहे हैं लेकिन आज झालावाड़ जिला डेंगू बुखार से ग्रसित है और वहां दर्जनों गांवों में डेंगू बुखार फैल चुका है। खानपुर विधान सभा क्षेत्र के अकावत खोद, बरखेड़ी खुर्द, गरवाडा, जीतापुरा, मोलकिया, रात्या डूंगरी; मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र के बिन्दायका गांव; खानपुर विधान सभा क्षेत्र

(13.08 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

का अकावत कलां गांव, बगानी क्षेत्र का बरखेड़ी खुर्द, ये तीन गांव ऐसे हैं जहां शत-प्रतिशत, पूरे के पूरे गांव में हर व्यक्ति को डेंगू बुखार हो चुका है और उनकी ज़मीनें गिरवी हो चुकी हैं। क्योंकि झालावाड़ जिला अस्पताल में और मेडिकल कालेज में प्लेटलेट्स, जो इसके मरीज को बहुत आवश्यक होते हैं, चढ़ाया जाना, उसकी सुविधा नहीं है, वहां पर दो साल से मशीन उपलब्ध है लेकिन उसका लाइसेंस उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे कि वे मशीनें चालू की जा सकें। दो साल पूर्व में भी मैंने इसकी मांग की थी, पिछले तीन या चार दिन में यह लाइसेंस शायद वहां पर मिल चुका है लेकिन आज वहां दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि उसका टेक्निशियन वहां पर नहीं है। इसके लिए सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अविलम्ब झालावाड़ जिले के गरीब पर दया करके वहां पर टेक्निशियन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये और भविष्य में परमानेंट व्यवस्था की जाय ताकि इस महामारी से वहां के आदमी को छुटकारा मिल सके।

कोटा के निजी अस्पतालों में झालावाड़ का गरीब आदमी जाकर के

(श्री अनिल जैन)

इलाज करवा रहा है, जहां प्लेटलेट्स काउंट की एक यूनिट उसको 11 हजार रुपये में उपलब्ध होती है और वह 4 से 5 यूनिट उस मरीज को चढ़ाना आवश्यक है, तब जाकर के वह ठीक होता है। केवल प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए 50 से 60 हजार रुपये और निजी अस्पतालों में इलाज कराने का पूरा खर्चा 1 लाख रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक एक मरीज के ऊपर आ रहा है जो कि उस गरीब व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है।

राज्य मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वैकल्पिक व्यवस्था अविलम्ब कर टेक्निशियन की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराएंगे तो आपकी झालावाड़ जिले के गरीब पर मेहरबानी होगी और आपका एक दया का भाव साबित होगा।

मुख्य मंत्रीजी ने जो यह मुफ्त दवा योजना लागू की है और मुफ्त जांचें जो करा रहे हैं, उसमें यह एक कड़ी और जोड़ देंगे आप तो झालावाड़ जिले पर, जिले के गरीब पर आपकी मेहरबानी होगी। (व्यवधान) देशी दवा, तो आपको धन्यवाद, वह तो हम चालू करवा ही देंगे वहां लेकिन साथ ही एक और अनुरोध करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कि जिन-जिन गांवों में यह डेंगू फैल रहा है, वहां पर अभी तक कोई स्प्रे की व्यवस्था नहीं है। स्प्रे कहीं हो भी रहा है तो वह प्रोपर नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ एरिये में, गांव के कुछ हिस्से में कर देते हैं, बाकी हिस्से में नहीं करते हैं। तो उसके जो कीटाणु हैं, वे खतम नहीं हो पाते हैं और उस गांव को उससे मुक्ति नहीं मिल रही है और वह निरन्तर फैलता जा रहा है। एक महामारी का रूप इसने झालावाड़ जिले में ले लिया है। कोटा के निजी अस्पतालों में लोग इलाज करा रहे हैं। आम जन दुःखी हैं, भयभीत हैं और गांवों से पलायन कर रहे हैं महिलाएं अपने पीहर जा रही हैं बच्चों को लेकर के, ताकि वे उस रोग से बच सकें। इस तरह के हालात झालावाड़ जिले में निर्मित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवी सिंह जी भाटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री उपाध्यक्ष: आपने पर्ची दे दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मंत्री एक भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण विषय इन्होंने उठाया तो जवाब देना चाहिए लेकिन हैं ही नहीं यहां।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री देवी सिंहजी भाटी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): बहुत ही गम्भीर मामला है, मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवी सिंहजी भाटी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): राजकुमार जी बैठे हैं, मंत्रीजी, कुछ वक्तव्य दिलवा दें। बहुत गम्भीर मामला है। बहुत छोटी-सी बात है, एक टेक्निशियन उपलब्ध करवाना है झालावाड़ अस्पताल में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) नोटिस दिया, उसके बाद आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा है। तीन दिन का सत्र है मात्र।

श्री अनिल जैन (खानपुर): एक स्पेशल टीम गठित की जाये, साहब, इसके लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यत: जैसे ही स्थगन प्रस्ताव या पर्ची लगती है, मंत्री अपने विभाग में उस पर्ची या स्थगन प्रस्ताव को मंगवाते हैं और यह सोच करके कि मेरे से सम्बन्धित अगर कोई विषय आता है, तो यह उसका लाजमी, एक तरह से उसका कर्तव्य है कि वह उस बात को यहां सुने, पर दुर्भाग्य इस सदन का यह रहा कि पर्ची और स्थगन जो भी माननीय सदस्य यहां रख रहे हैं, वे केवल अपने बोलने के लिए रखते हैं। मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह हिदायत दें कि जो पर्ची निकली है, अगर वह उनके विभाग से सम्बन्धित कोई प्रकरण है तो उनको उपस्थित रहना चाहिए; अगर किसी स्थगन पर आपने दो मिनट बोलने की अनुमति दी है तो निश्चित रूप से उस मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए ताकि वह आवश्यक समझे तो जवाब दे; कोई जरूरी नहीं है, यहां उपस्थित रहने का मतलब उसको जवाब देना कोई आवश्यक नहीं है, यह उसके विवेक पर है कि वह उसका जवाब दे, लेकिन इतना तो कम से कम आज दिन तक होता आया है कि जब भी पर्ची खुलती है या जब भी स्थगन पर आप दो मिनट बोलने की अनुमति देते हैं, वे सूची मंगवाते हैं और अपने विभाग से उसकी तैयारी के लिए कागज भी मंगवाते हैं कि उसका जवाब देना होगा तो क्या होगा। इतना सा सिस्टम को हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं।

मेरी प्रार्थना है कि आप इस बारे में, अब तो समय तो नहीं रहा लेकिन तेरहवीं विधान सभा का जिस प्रकार से अनादर हुआ है, एक बोलने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए बोलना, यह उसका मतलब नहीं था; उस विषय की गहनता को समझ करके सरकार को उस पर रिप्लाई करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय देवी सिंहजी भाटी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोलना चाह रहे हैं, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवी सिंह जी, एक मिनट।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोलना चाह रहे हैं, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये, मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जी हैं और उप नेता साहब हैं, उन्होंने काफी गम्भीरता दिखाई है, मैं इनको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि आज से दो रोज पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए पूरे राजस्थान में सभी जिला कलक्टरों को, सभी सी एम एच ओ साहबान को, वहां बैठ करके मीटिंग ली है और सभी को दिशा-निर्देश दिये हैं। माननीय सदस्य, जैन साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो टेक्निशियन की नियुक्ति की बात है, वह बहुत जल्दी ही हम करने वाले हैं और डेंगू के मामले में, डेंगू या मौसमी कोई भी बीमारी हो, उससे राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग घर-घर इसका सर्वे करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवी सिंहजी। आप अपनी बात कहिये, देवी सिंहजी साहब। माननीय देवी सिंहजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) डेंगू से मरते हैं, ...(व्यवधान) आपका यह रिकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये।

पश्चिमी राजस्थान में सरकारी भूमि पर अवैध काश्त

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं राजस्थान की बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ऐसा गम्भीर विषय सदन के सामने रखा है, इस दफा पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात हुई है लेकिन लगातार

(श्री देवी सिंह भाटी)

हम जो भी कानून-नियम, प्रशासनिक निर्देश देते हैं, उनकी पालना इतनी कम हो रही है कि लोगों का इस व्यवस्था से विश्वास उठ गया। पिछले चार-पांच वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में जहां काफी ऐसा भूभाग है जिसमें गोचर, चरागाह, ओरण, तालाब का आगोर और राजकीय भूमि पड़त वहां पर पड़ी है और प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से ऐसी जमीनों को जो चरागाह है, हमारी रीढ़ की मुख्य हड्डी है, जो जीरो बजटिंग की शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको छिन्न-भिन्न कर रहे हैं, नाजायज काश्त करते हुए। लगातार हम लिखकर दे रहे हैं कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जो 1947 वाली स्थिति थी, जिसमें जहां भी चरागाह और तालाब के आगोर हैं, जिसने भी कोई अतिक्रमण या निर्माण कर लिया, उनको हटाकर वापस वही स्थिति 1947 वाली लाओ लेकिन बहुत तकलीफ है मुझे यह कहते हुए कि न तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके कारण से एक दफा तो यह कानून-व्यवस्था की वहां इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोग आपस में झगड़ा करने लगे कि यह पहले मेरा कब्जा किया हुआ है और वह कहता है कि मेरा कब्जा किया हुआ है। अब गांवों में ज्यादा पशुधन रहता है और उसके लिए ये जो खुले चरागाह हैं, इसमें बिना खर्चे के अपने पशुधन को वे पाल सकें, वह सारी जगह अब खतम हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अब पावरफुल ट्रैक्टर आ गया और हमारे यहां ऊंचे-ऊंचे टीबे हैं और उन टीबों की ऊंची-नीची जमीनों के ऊपर ट्रैक्टर ले जाते हैं और ट्रैक्टर होता है, वह ओवरटर्न होता है नीचे वह ड्राइवर दब जाता है, वहीं पर खतम हो जाता है। ऐसी कम से कम 6 -7 घटनाएं मेरे बीकानेर जिले में हो चुकी हैं।

यह जो अतिक्रमण का मामला है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां जमीनों के खुले भूभाग बहुत ज्यादा हैं। लोग अपनी इस मांग को लेकर कुछ संघर्ष भी कर रहे हैं लेकिन प्रशासन उन पर कतई गौर नहीं करता। मैंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को समय-समय पर सूचित किया लेकिन एक भी जगह कार्यवाही नहीं हुई। जब मैंने धरने का नोटिस दिया, तब जाकर बीकानेर जिले में बारानी क्षेत्र में तो कार्यवाही शुरू की अभी तीन दिन पहले लेकिन जो नहरी क्षेत्र में ऐसे, मुरब्बे जिनको कहते हैं, जो 25 बीघे का एक टंक होता है, वे भी सारे अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें भी अवैध काश्त हो रही है, जो आन रिकार्ड है, किलावाइज,

(श्री देवी सिंह भाटी)

बीघावाइज रिकार्ड है हमारे पास में। वे अतिक्रमण करते हैं और नहरी पानी का भी दुरुपयोग करते हैं। मैंने आई जी एन पी के अधिकारियों को और यहां जयपुर भी मैंने चिट्ठी लिखी लेकिन आज तक बीकानेर, जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

अब लगातार इस प्रकार से ये सारी कार्यवाहियां हो रही हैं तो आखिर आदमी जो कानून-व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, जो अपना पशुधन पालना चाहता है, उसके लिए बड़ा संकट हमारे सामने आ गया है। अब इस परिस्थिति में आम आदमी क्या करे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन सा रास्ता है? आपको लिखित में सूचना दे दे, धरने की सूचना दे दे और आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हो। इसके बाद में गांव में आपस में संघर्ष होता है। इस सारी परिस्थिति में अभी मैं 8 सितम्बर को जैसलमेर जिले में अनिश्चितकालीन धरने पर फिर बैठने जा रहा हूं।

यह रास्ता हमें क्यों अपनाना पड़ रहा है? प्रशासन इसकी कार्यवाही क्यों नहीं करता? हमारी शून्य खर्च आधारित सारी अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। सारे उस क्षेत्र में आप चले जाइये, मोटा टीबा है, खुली जमीन है, जहां भी पड़ी है, सब में अवैध काश्त हो गई है। जैसलमेर जिले में एक बीघा भी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की; नहरी विभाग ने खुले आम छूट दे दी है कि नहर का पानी जहां मर्जी आये, वहां पर पानी लगाओ। मैं, ओला साहब, आपके भी नोटिस में ला रहा हूं कि अवैध काश्त, जो वहां अलाटमेंट किये हुए पुराने खातेदार बैठे हैं, उनको अपने हक का टेल पर पानी नहीं मिलता लेकिन जो अवैध काश्त कर रहा है, वह अधिकारी से मिलीभगत करके सालोंसाल से, चार-पांच वर्ष से इस प्रकार की अवैध काश्त कर रहा है और आपका अवैध पानी ले रहा है। आपकी जानकारी में ला दें और फिर कार्यवाही नहीं हो। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप बताइये कि क्या करना चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सरकार के ध्यान में आ गई, अब आपको विराजना चाहिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सरकार तो मरी हुई है; सरकार है तो कुछ बोले, एक्शन ले। ये तो यहां बैठे हैं राजस्व मंत्रीजी और ये बैठे यहां आई जी एन पी मिनिस्टर, इनके तो मुंह में दांत ही नहीं हैं, आप अंगुली घुमा कर देख लीजिये।

(श्री देवी सिंह भाटी)

मतलब, ऐसी हालत कर दी, हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी पुरातन व्यवस्था, क्योंकि चारों तरफ अब यह हो गया कि कम्पनी का राज हो गया हिन्दुस्तान के अन्दर; हमारे इस प्रकार की गोचर, ओरण जो पड़ी हैं, एक-एक गांव में बीस-बीस, चालीस-चालीस हजार बीघा जमीन ऐसी पड़ी है जिसमें हमारा पशुधन चरता है और सारी अब आप कम्पनियों को अलाट कर रहे हो। ये अभी आपके हुआ जैसलमेर के अन्दर, देगराय माताजी का मंदिर, वहां 28 हजार बीघा जमीन है, वह आपने कम्पनी को अलाट कर दी। मान लो, एक रुपया डी एल सी की रेट है, 10 परसेंट में आप उस कम्पनी को अलाट करते हो; जब गांव वाले मांगते हैं कि साहब, यह खाली जमीन पड़ी हुई है, हमारे बच्चे बालिग हो गये हैं, हम खेती करने वाले हैं, हमें अलाट कर दो तो कहते हैं कि काजरी की सिफारिश है कि यह जो आठ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, ये खेती के लायक नहीं हैं और आप उनको अलाट किये जा रहे हो। वे वहां पर जमीनों को छेड़ रहे हैं, आप उनको आबंटन किये जा रहे हो। हमारे लिये तो ऐसा संकट कर दिया कि हमारा गांवों में रहने का अब कोई तुक नहीं रह गया है। हमारा मुख्य आधार है पशुधन। अभी लगातार तीन-चार साल अच्छी बरसात हुई है, लोगों ने बछड़े पाल-पाल कर गायें तैयार की हैं, किसी के पास पांच गायें हैं, किसी के पास दस-पन्द्रह। अभी दो-तीन साल और जमाना होगा, उसके बाद में अकाल पड़ेगा; मंत्री महोदय, एक गाय नहीं बचेगी और आप बचा नहीं सकोगे। चरागाह ही नहीं बचेगा, तब कहां से पशुधन बचेगा?

इस सारी परिस्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप समय रहते बीकानेर और जैसलमेर जिले में विशेष तौर से, बाड़मेर में भी इस प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं, मैं खुद दो साल पहले जैसलमेर जाकर आया, एक-एक आदमी ने 100 बीघा, 400 बीघा तक अवैध काश्त कर रखी है। क्योंकि आपके यहां तो जमीनें हैं नहीं, हमारे यहां जमीनें पड़ी हैं, क्योंकि हम पशुधन रखने वाले ज्यादा लोग थे, अब वे जमीनें भी इस प्रकार से ऐसे अतिक्रमियों के हाथ में आ गईं जो कानून हाथ में लेते हैं और अब जो मर्जी आये वह करते हैं और उससे फिर प्रशासन और डरने लग जाता है। मैं तारीफ करूंगा बीकानेर जिला प्रशासन की, तीन दिन पहले उन्होंने कार्यवाही शुरू की। सारे गांव के गांव इकट्ठे हो गये और उन्होंने प्रशासन की मदद की और जो अतिक्रमण करने वाले थे, वे भाग गये, नजदीक नहीं आये। आप कहीं शुरुआत तो करो।

(श्री देवी सिंह भाटी)

आज सुबह जब मैं यहां आया तो यहां पर लालमदेसरबड़ा के काश्तकार इकट्ठे होकर आ गये कि साहब, यह कुछ लिखा-पढ़ी की कार्यवाही कर रहे हैं; ये नोखा तहसील के हैं, वे मेरे पास आ गये। अभी जो फरवरी में राजस्व अभियान का कैम्प लगा था, उसमें उन्होंने यह लिखकर दिया, कोई कार्यवाही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं हो रही है; हमारे तालाब के सारे आगोर खत्म कर दिये; इन्होंने समय-समय पर ये एप्लिकेशंस दीं, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई; मंत्री महोदय, आखिर आप दफ्तर में करते क्या हैं? जनता की एप्लिकेशंस आती हैं, उन पर गौर नहीं करते। कुछ तो करंट दिखाओ।

दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की,

बस जफर हो चुकी, तलवार हिन्दुस्तान की।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। माननीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सरकारी भूमि पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में प्रावधान कर रखा है। पहले इसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान था, फिर बाद में इसमें तीन महीने की सज़ा का भी प्रावधान कर दिया गया। एक बार कब्जा कर लेता है, उसको हटाने के बाद सब्सीक्वेंट अगर वह ट्रेसपास करता है तो तीन महीने की सज़ा का भी उसमें प्रावधान है। तो इस प्रकार का कानून में तो पहले से प्रावधान है। (व्यवधान) सज़ा का भी प्रावधान है। मौके पर अगर कोई भी कब्जा करता है, जैसा आप कह रहे हैं, यह केवल पश्चिमी राजस्थान की ही नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है, जहां कहीं भी सरकारी जमीन होती है उस पर कब्जा करने की लोगों की नीयत हो गई है। यह बात ठीक है, पहले गोचर होती थी, ओरण होती थी, उसमें कोई टहनी तक भी नहीं काटता था और गांव वाले ही उसकी रक्षा करते थे परन्तु अब जिस प्रकार की लोगों की सोच है, उसके हिसाब से जिस प्रकार का वातावरण है, माननीय सदस्य भी उसको जानते हैं। हर आदमी की नीयत क्या हो गई है, उस नीयत के हिसाब से सरकारी जमीन हड़पने के लिये उस पर कब्जा कर लेते हैं। यह बात सही है, उसके लिये कानून में तो प्रावधान है पर कार्यवाही नहीं होती है।

मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं

(श्री हेमाराम चौधरी)

कि केवल पश्चिमी राजस्थान के ही नहीं, सभी 33 कलक्टर्स को, और यह कालोनी एरिया की बात कर रहे थे तो कालोनाइजेशन कमिश्नर और चीफ इंजीनियर, इर्रिगेशन, सबको कल से ही निर्देश जारी कर देंगे कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण उनके ध्यान में आये, तो जो कानून बना हुआ है उस कानून के अन्तर्गत उनके खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्यवाही करें जिससे कि इस प्रकार के अतिक्रमण की पुनरावृत्ति नहीं हो।

आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वह हाई कोर्ट का है, ...(व्यवधान) वह सिर्फ गोचर के लिये है। आप जोड़पायतान की तो बात कह रहे थे, वह राजस्थान हाई कोर्ट का है अब्दुल रहमान का और जगपाल सिंह का गोचर के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट का जगपाल सिंह का जो निर्णय आया है, उसके बाद से गोचर जमीन, उसमें सिर्फ पब्लिक परपज का है, पब्लिक परपज के लिये अलाट कर सकते हैं। पब्लिक परपज के अलावा किसी को भी अलाटमेंट नहीं कर रहे हैं, न नियमन कर रहे हैं, किसी ने अतिक्रमण भी कर लिया है तो। गोचर के बारे में उस फैसले के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

उसके अलावा, आपने हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान वाले फैसले की बात की जिसमें 1947 की स्थिति में उसको लाने की बात कही। जहां बहुत सी जगह नाले थे, नदियां थी, कुछ था, बरसात नहीं होने की वजह से वे अब नहीं रहे। बड़े-बड़े गांवों में तालाब गांव के बीच में था और आज वहां पूरी आबादी बस गई। वहां तालाब भी नहीं है, कैचमेंट का भी नाम-निशान रह गया। अब उस स्थिति में अब आप समझो कि एकदम उनको वहां से हटा दो, आज ही सबको डिमोलिश कर दो, यह भी कठिन स्थिति है। सन 1947 वाली स्थिति आज बहाल करना, हाई कोर्ट का फैसला तो है, लेकिन यह करना बहुत कठिन है। आप समझते हो कि कोई भी आसानी से कर पाये? ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह फैसला प्रैक्टिकल है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): फिर भी इस तरह के मामले जो हुए हैं, उनके रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेंस किये गये हैं, रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेंस चल रहे हैं। उसके हिसाब से, कानूनी कार्यवाही तो वही है, रेफरेंस की ही बात है, रेफरेंस किये गये हैं।

दूसरा यह भी है कि आज लोग इस तरह से बसे हुए हैं, पहले

(श्री हेमाराम चौधरी)

जोड़पायतान था लेकिन चेंज करके उनको अलाट कर दिये, उस पर उन्होंने मकान बना लिये, कुएं बना लिये, बिजली के कनेक्शन ले लिये। आज उस फैसले की पालना के तहत उनको हटाना, आप समझते हो, इतना आसान नहीं है। इसलिए सरकार को भी सोचना पड़ता है, उनके हित को भी सोचना पड़ता है।

परन्तु फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह बात सही है, जैसे आप कह रहे हो कि नहरी क्षेत्र की बात है, यह मेरी जानकारी में भी लाया गया और खासकर आप बीकानेर की बात कर रहे हो, जैसलमेर में और ज्यादा है। वहां इस तरह के गिरोह हैं, जो सरकारी अलाटमेंट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वे अनाधिकृत रूप से नहर का पानी लेकर के उस पर काश्त कर रहे हैं। इसके बारे में हम अधिकारियों को सख्त हिदायत देंगे कि इस प्रकार के जो भी कोई हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, कानून के तहत उनको दंडित करें जिससे कि यह पुनरावृत्ति न हो।

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) आगे तो नहीं हो, उसके लिये तो हो; वह भी कहीं नहीं हो रहा। आगे भी लगातार होते जा रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): गोचर जमीन पहले बहुत अलाट हो गई, हजारों नहीं, लाखों बीघा। जगपाल सिंह का जो निर्णय आया, उसके बाद में अलाटमेंट बिलकुल बंद है। सिर्फ पब्लिक परपज के लिये, जैसे स्कूल के लिये, जी एस एस के लिये, गांव में और कोई जमीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सरकारी के लिये। यहां तक कि गौशालाओं के लिये लोग मांग रहे हैं, गोचर जमीन है, गौशाला तो गायों के लिये ही होती है, उसमें गायें ही रखते हैं, गायों की ही सेवा करते हैं, उसको भी...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप दोनों विराजें तो मैं बिजनेस आगे बढ़ाऊं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): दूसरा, आपने कंपनियों को अलाटमेंट की एक और बात कही। कंपनियों को अलाटमेंट में सोलर और विंड पावर, आज बिजली का उत्पादन जो विंड और सोलर से हो रहा है...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, हमारे यहां गोचर और ओरण ही है क्या? (व्यवधान) यू पी, बिहार में कौनसी गोचर ओरण है? (व्यवधान) यह ओरण में, ओरण में मत करो। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ...(व्यवधान) हजारों बीघा गवर्नमेंट की जमीन पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) अगर तहसीलदार ही अतिक्रमण कर ले तो उसको कौन हटायेगा? (व्यवधान) ऐसा ही मेरे क्षेत्र में जनाना हास्पिटल के ऊपर एक तहसीलदार जी ने 91 कर के उस पर कब्जा कर लिया और जनाना हास्पिटल खाली करवा दिया। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओरण रिकार्ड में दर्ज नहीं है, ओरण हकीकत में है वहां पर।(व्यवधान) उसको अलाट कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजपाल सिंह जी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इस प्रकार की जो सोच है कि लोग इस प्रकार के हो गये कि वे मानते नहीं, सब समझते हैं, सड़क के ऊपर हर कोई गप्पे मारने के लिये खड़ा हो जाता है लेकिन रेलवे लाइन पर कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट क्या होगा। आप करो ना इस प्रकार की कार्यवाही; एक भी अगर कोई कानून तोड़ दे, खाट खड़ी हो जाये, लेकिन करते नहीं। बीकानेर में आज शुरुआत की है तो अब वहां पर कोई भी विरोध में नहीं आ रहा और इतना जबरदस्त जनमत तैयार हो गया कि अतिक्रमियों के लिये सारे इकट्ठे हो जाओ। आप शुरुआत तो करो, आपकी सिर्फ प्रशासन की मदद चाहिये। जो अतिक्रमण करवा रहे हैं, जहां सारे पटवारी और तहसीलदार बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, जैसे वे दोषी हैं ही नहीं।

तो कहीं तो आप किसी को दोषारोपित करके इसको डिस्करेज कराओ। हमारी हालत बहुत खराब है। गोचर, ओरण और तालाब के आगोर ही हमारे आधार हैं, ये खतम हो गये तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। गांव खतम करने के लिये, खेती खतम करने के लिये वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, ये सारे लगे हुए हैं कि खेती घाटे का सौदा है, यह बंद कराओ। यह इस प्रकार की जो साजिश हो रही है, उसको रोकने में आप, जन प्रतिनिधियों, सोचो, विचार करो। यह हर साल हम लिखकर देते हैं, कार्यवाही नहीं होती है। आज फिर यहां सदन में विषय उठ गया, आपने आश्वस्त किया, अच्छी बात है लेकिन फिर वही बात है, बेटा-बेटी करो तो कोई थाली बजाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय राजपाल सिंह जी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 91 की कार्यवाही करने वाले तहसीलदार जी ...(व्यवधान) उन्होंने भी अतिक्रमण कर दिया। तहसीलदार जी ने ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अलाटमेंट कर दिया है ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अगर 91 की कार्यवाही करने वाला ही अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल सिंहजी। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तहसीलदार ने उस जनाना अस्पताल को, 1953 में जिन्होंने बनाया, दानदाताओं ने, उस अस्पताल के ऊपर तहसीलदार जी ने कब्जा कर लिया और तहसील कार्यालय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कानून बदल रहे हों क्या? (व्यवधान) आप विराजिए। राजपाल सिंहजी।

(आसन द्वारा हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया गया)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, राजपाल सिंहजी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सरकार से मिल लीजिए उसके बाद में। सदन का बिजनेस चालू ...(व्यवधान) राजपाल सिंहजी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये, आपकी बात ठीक है, बिना प्रस्ताव के बात नहीं। राजपाल सिंहजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजपाल सिंहजी। प्रस्ताव के थ्रू आना चाहिए। माननीय सदस्य, पहली दफा भी आए हैं कोई तो भी पांच साल हो गए, समझना चाहिए। नियम को देखिये। (व्यवधान) आप आओ, आपको पूरा मौका मिलेगा। ऐसे नहीं होगा।

माननीय राजपाल सिंहजी।

बिल्डिंग बाईलाज में संशोधन से जयपुर में उत्पन्न स्थिति

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को पौने पांच साल से ज्यादा हो गए हैं और पूरे पौने पांच साल तक हम लगातार यह सुनते आ रहे हैं कि जयपुर को यह सरकार वर्ल्ड क्लास बनाना चाहती है, मेट्रो सिटी बनाना चाहती है, कोस्मोपोलिटन सिटी बनाना चाहती है, लेकिन सरकार पूरे पांच साल में यह तय नहीं कर पाई कि शहर के लिए और राजस्थान के लिए टाउन पालिसी किस प्रकार की हो। गये पांच साल में टाउन पालिसी में छह से सात बार बदलाव किए गये। एक साल में आपने कहा, एफ ए आर इतना होना चाहिए, इस सड़क पर इतनी हाइट होनी चाहिए, इस सड़क पर इतनी हाइट होनी चाहिए, हर साल और लगातार सर्कुलर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से पांच साल में 15 या 20 बार लगातार इस बिल्डिंग बाई-लाज में तब्दीलियां की गईं। 20 मई, 2011 को सरकार ने यह तय किया कि तीस फीट की सड़क के ऊपर भी एक तल पर एक यूनिट से ज्यादा निर्माण हो सकता है, तीस फीट की सड़क पर भी ग्राउण्ड-प्लस-थ्री का निर्माण हो सकता है लेकिन एक साल बाद ही 2 अगस्त, 2013 को अचानक सरकार को पता लगा कि जयपुर में वर्टिकल ग्रोथ की जरूरत नहीं है, जयपुर को एक्सपोनेंशल ग्रोथ करने की जरूरत है और इसीलिए इन्होंने कहा कि 30 फीट की सड़क के ऊपर हमने जो कानून 2011 में बनाया था, उस कानून के अन्दर हम बदलाव कर देते हैं और बदलाव करने के बाद कहते हैं कि तीस फीट की सड़क, जयपुर में 75 प्रतिशत इलाके में जो तीस फीट की सड़क है, उसके अन्दर हम केवल एक तल के ऊपर केवल एक यूनिट की परमिशन देंगे।

एफ ए आर 1.2, height will be restricted. अख़बार में आया था कि जयपुर दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा महंगा, रियल एस्टेट, शहर है। यह महंगा शहर किसने किया? यह जमीनों के भाव किसने बढ़ाए? जमीनों के भाव बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार है तो आपकी कांग्रेस की सरकार है । जे डी ए जब अपनी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जमीन का आक्शन करता है तो उसको तो एफ ए आर देता है तीन, फोर एरिया रेशो तीन, जमीन का भाव बढ़ जाता है क्योंकि फोर एरिया रेशो तीन होता है, जमीन जाती है लाखों में, डेढ़ लाख रुपये गज में, सवा लाख रुपये गज में। जब सवा लाख रुपये गज में जमीन जाती है तो बगल वाला भी कहता है कि मेरी जमीन भी सवा लाख रुपये की है, लेकिन उसकी एफ ए आर होती है 1.2 । आप कहते हो, उसका निर्माण, पांच सौ मीटर से छोटी जगह में निर्माण...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, प्लीज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं तो बात ही अब बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बात, आपको पता है, कितना टाइम हो गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): कहां टाइम हो गया, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट का...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं तो अपनी बात ही नहीं कह पाया। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, सरकार ने बड़े बिल्डरों के साथ मिली–भगत करके, जयपुर की गरीब जनता को सस्ते आवास सुलभ नहीं हो पाए, आवास की समस्या का समाधान हो नहीं पाए...

श्री उपाध्यक्ष: आप सजेशन दीजिए ना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सजेशन दे रहा हूं ना। इसीलिए पृथ्वीराज नगर का नियमन नहीं किया। पृथ्वीराज नगर का नियमन मत करो, उसका विकास मत करो, तीस फीट की सड़क पर एक यूनिट से ज्यादा बढ़ाने मत दो, जयपुर की जनता को झक मारकर बड़े बिल्डर के साथ अपने आपको गिरवी रखना पड़े, इस प्रकार की साजिश में सरकार शामिल हुई है, यह शर्मनाक बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि समाधान, समाधान यही है कि 500 मीटर से छोटे प्लाटों पर या 500 मीटर तक के प्लाटों पर ग्राण्उड-प्लस-थ्री की परमिशन दी जाए, उसमें एस्टेट पार्टियों को परमिशन दी जाए। एस्टेट पार्टियों के साथ में ग्राउण्ड-प्लस-थ्री आप परमिशन देंगे तो जयपुर की जनता को सस्ता, सुलभ, सस्ता जो आवास लगातार मिल रहा है, वह आवास मिल पाएगा।

आप एफोर्डेबल पालिसी लाए, आपकी एफोर्डेबल पालिसी तो फेल हो गई। आप एक भी आदमी को पांच साल में एफोर्डेबल पालिसी के तहत एक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मकान का आबंटन नहीं कर पाए। एक मकान का आप आबंटन नहीं कर पाए।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बिल्डर्स का जो माल नहीं बिक रहा है, बड़े बिल्डरों का माल तो ऊंची कीमत पर जनता को बेचने के लिए मजबूर करने का काम सरकार बड़े बिल्डरों के साथ मिलकर नहीं करें और तीस फीट की सड़क पर ग्राण्उड-प्लस-थ्री, स्टिल्ड के साथ परमिशन दें, जिससे जयपुर की जनता, जो आवास की समस्या से लगातार परेशान है, जो आम अवाम जयपुर शहर में रहना चाहता है और रीजनेबल कीमत पर लेना चाहता है, उस आदमी को सस्ते मकान मिल पाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जयपुर की जनता, गरीब जनता पर...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। आप विराजिए। अध्यक्षजी ने इजाजत दे दी, यह मसला पचास का नहीं है। आप अपनी बात समाप्त कर चुके, काफी टाइम हो गया, विराजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेरी बात तो मैं तब समाप्त करूं ना....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कितना टाइम हो गया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह आम अवाम की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: आम अवाम की बात है लेकिन सदन का ...(व्यवधान)...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आम अवाम की बात कोई सुनने वाला है नहीं और आप मेरी जबान रोकना चाहते हों।

श्री उपाध्यक्ष: कितना टाइम हो गया। दो मिनट के लिए कहा, आपको दस मिनट हो गए। कृपया करके आप इसको समाप्त कर दीजिए। दस मिनट हो गए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आप सरकार को बचाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, सरकार तो जो भी बच रही है, जा रही है, वह तो सदन डिसाइड करेगा। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सरकार बड़े बिल्डरों के साथ मिलकर साजिश के साथ, गरीब लोगों के साथ अत्याचार करे, उसके लिए आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उसको बार-बार रिपीट क्यों करते हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अमरारामजी।

शिक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितताएं

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से स्कूली शिक्षा का बंटाधार करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, अभी थोड़े दिनों पहले स्थानान्तरण का व्यवसाय चला और ऐसे-ऐसे स्थानान्तरण कर दिये, जो न तो आज तक कोई नीति बन पाई, लेकिन जो किये गये हैं, जो इन्होंने निर्देश दिये, उनमें भी एक-एक पोस्ट पर तीन-तीन लोगों को पोस्ट कर दिया। न केवल एक जगह कर लिया, बल्कि पति-पत्नी को भी अलग-अलग कर दिया। जिस तरह से पूरा स्थानान्तरण उद्योग मंत्रीजी ने चलाया, मंत्रीजी के विभाग ने चलाया, यह तो ये जानें लेकिन आज भी राजस्थान में जिस तरह से स्थानान्तरण उद्योग शिक्षा विभाग में चला है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है, इस तरह का भयंकर रूप से। आप देखेंगे, आज एक-एक स्कूल में, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खाट लबाना, गणित के तीन अध्यापक लगा दिये; एक जगह 5 विद्यार्थी हैं और 6 मास्टर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ 150 बच्चे हैं और एक मास्टर लगा हुआ है।

जिस तरह से अराजक स्थिति राजस्थान में शिक्षा के माध्यम से की गई हैं, मैं समझता हूं, आज सरकारी विद्यालयों में केवल मात्र उस गरीब का बच्चा जाता है जो दलित है, आदिवासी है या अन्य जो गरीब उच्च जाति के भी लोग हैं, वे केवल सरकारी विद्यालय में जाते हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार, मैं समझता हूं, पांच साल में जो पोस्टें राजस्थान की सरकार को भरनी चाहिए थी, आज नहीं है और उसका नतीजा है कि राजस्थान के तमाम ग्रामीण, विशेष तौर से, क्षेत्र हैं, उनमें हर जिले में, हर रोज स्कूल के ताला लगता है। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में डासरोली जो सीनियर स्कूल है, 12वीं तक स्कूल है और 3 अध्यापक हैं। न केवल विद्यार्थी ही स्वयं सबूत दे रहे हैं, उन विद्यालयों में मात्र वह गरीब का बच्चा या बच्ची जाते हैं जिनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। जो आया, उनका जिस तरह से व्यवसाय करके किया है मैं समझता हूं, न केवल वे विद्यार्थी दे रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक, रायसिंहनगर के विधायक प्रशासन के सामने अनिश्चिकालीन धरने

(श्री अमराराम)

पर बैठें, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। पांच साल में अपने सत्ता पक्ष के विधायकों को भी प्रशासन के सामने, बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं हैं, स्कूल के ताले लग रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर प्रशासन के सामने धरने पर बैठना पड़े, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

आज जो हालत बनी हुई है, आपने दो साल पहले हर विधान सभा क्षेत्र में साइंस फैकल्टी खोली लेकिन दो साल के बाद भी एक भी अध्यापक नहीं है। चाहे एक-एक स्कूल का आप नाम ले लें, मैं कहना चाहता हूं कि केवल विद्यालय पर उच्च प्राथमिक से हटाकर आप माध्यमिक लिख दें, माध्यमिक से हटाकर उच्च माध्यमिक लिख दें, केवल इससे पढ़ाई नहीं होगी। आज भी जितने भी सीनियर स्कूल हैं, उनमें हजारों की संख्या में लेक्चरर्स की पोस्ट खाली हैं। आप पांच साल में भर नहीं पाए। मैं नहीं समझता, उस विद्यार्थी के साथ इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार की मिलीभगत से उन प्राइवेट शिक्षा माफियाओं के, कि मजबूर होकर वे अभिभावक अपने बच्चों को, गरीब से गरीब भी मजबूर हो के उन प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं में, जो माफिया चला रहे हैं, उनके पास जाने के लिये मजबूर करने का जो काम यह सरकार कर रही है, मैं समझता हूं, किसी भी तरह राजस्थान की जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी।

आज भी लाखों की संख्या में न केवल, अपराध क्या किया है, जो आज प्रतिबंधित जिलों में 10-12 सालों से वहां बैठे हुए हैं, आपने कहा कि जिला परिषदों की भर्ती के बाद में हम उनको रिलेक्सेशन देंगे। आज 10 साल से, 12 साल से वे कर रहे हैं। क्या उनका अपराध यही है कि उनकी पोस्टिंग वहां हो गयी?

इसलिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या है, मेरे दांतारामगढ़ में ब्लाक शिक्षा अधिकारी, करोड़ों रुपया, जो कर्मचारी नहीं हैं, उनके नाम से करोड़ों रुपया, आठ महीने पहले पता लग गया लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या ब्लाक शिक्षा अधिकारी को इतना पता नहीं है कि उस ब्लाक में साढ़े तीन सौ शिक्षक हैं? उनके अलावा, साढ़े चार सौ की तनख्वाह के नाम से करोड़ों रुपया चला गया ...(व्यवधान) और आज भी आठ महीने के बाद उस ब्लाक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना, केवल जांच करते रहना, आठ महीने में भी केवल...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त कर सकते हैं क्या? (व्यवधान) संक्षिप्त कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा? काफी टाइम हो गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): संक्षिप्त ही कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। तो इसलिये जो जिस तरह से ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस तरह से शिक्षक ट्रांसफर को लेकर 5 साल में सरकार ने यह दावा किया था कि हम नीति बनाएंगे और नीति के अनुसार काम करेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, केवल अमरारामजी का होगा। (व्यवधान) अमरारामजी को बोलने दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये ना। यह आप नोटिस देकर आरोप लगा सकते हैं। एक्सपंज कर देना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी। (व्यवधान) आप प्रस्ताव लाइये ना। आप प्रस्ताव लाइये। पर्ची क्या होती है?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये। बिना प्रस्ताव के इस तरह से सदन में ...(व्यवधान) आप प्रस्ताव लाइये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। एक मिनट, आप विराजिये। आप सुनिये। चार बजे बी.ए.सी. की मीटिंग है, आप अपनी पार्टी के माननीय जो भी नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप उसमें टाइम लीजिये, बिजनेस रखिये। इस तरह से सदन को आखिरी समय में, चार दिन में मर्जी आये, जो बोल करके, अपन बिजनेस भी पूरा नहीं करें...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये बात को, आप नियम जानते हैं, सदन को अपन आखिरी समय में हमारा मेसेज जनता में सही जाए, सभी सदस्यों का...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पक्ष-विपक्ष नहीं है। माननीय अमरारामजी, संक्षिप्त करें, थोड़ा सा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की अराजक व्यवस्था है, मैं नहीं समझता कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी बगैर जो टीचर हैं, उनके खाते में तनख्वाह बनाकर भेज दे और 8 महीने बाद, क्योंकि शिक्षा विभाग जांच नहीं कर सकता, वही शिक्षा विभाग, एक शिक्षक उनको कमीशन नहीं देता, 8 प्रतिशत, इसी विधान सभा में बजट सत्र में मैंने उठाया था, तीन साल की तनख्वाह, यहां मंत्रीजी के आश्वासन के बाद में भी, आज की तारीख तक उनकी तीन साल की तनख्वाह, आज तक नहीं मिली। अब तक नहीं मिली। यह तो मंत्रीजी का आश्वासन है।

इसलिये मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मिड-डे मील का वर्कर, आज हजारों शिक्षक विधान सभा के बाहर आये हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आये हैं। जब मिड-डे मील, सबके, आपने, सरकार ने आने वाले विधान सभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कहीं साड़ी बांट दीं, कभी दाम बांट रहे हों, कभी किसी का वजीफा बढ़ाने का काम किया है लेकिन जो दो लाख के करीब मिड-डे मील वर्कर, जिनमें 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनको 15 साल पहले मिड-डे मील में लगाया था, तब एक हजार रुपया एक महीने का था और आज की तारीख में भी एक हजार रुपया है।

मैं समझता हूं, शिक्षा का पूरा भठ्टा बैठाने का काम, पांच साल में इनको शिक्षक भर्ती करने की व्यवस्था नहीं आई; जिस तरह से किया जा रहा है, स्थानान्तरण को जो उद्योग बनाया गया है; मैं समझता हूं, जो हैं, उनका भी सही उपयोग आज तक नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से पति-पत्नी के एक साथ का था, उसका भी इन्होंने ट्रांसफर, कहते हैं, हजारों लेकर के करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। रिपीटिशन से कोई फायदा नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): किस तरह से किया गया है, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन शिक्षा विभाग में आज राजस्थान के ग्रामीण के, गरीब के बेटे और बेटियां शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और जान-बूझकर शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये। धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज शिक्षकों के स्थानान्तरण में,

(श्री अमराराम)

शिक्षक भर्ती नहीं करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके लिये व्यवस्था की जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये। आप सीनियर मोस्ट मेम्बर हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बी.ए.सी. के मेम्बर हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप तो बी.ए.सी. के मेम्बर हैं, वहां रखिये, वहां बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं, मंत्रीजी सरकार की तरफ से कोई बात रख रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अमरारामजी ने जो प्रश्न उठाया है अध्यापकों की कमी का, सरकार ने पहले भी भर्ती की है, और भी भर्ती के विज्ञापन आर.पी.एस.सी. को हमने भेज दिये हैं, बीस हजार।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं बोल रहा हूं, आप मुझे जवाब देने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आरोप नहीं, सजेशन दें आप, कैसे क्या हो सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, आप विराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की कमी के लिये, यह सही है कि कुछ जगह छात्र कम हैं, अध्यापक ज्यादा लग गये हैं लेकिन सरकार ने फैसला किया है और सर्कुलर इश्यू कर दिया है, कलक्टर्स और डी.ई.ओ. को आथोराइज किया है कि जहां पर भी अध्यापक ज्यादा हैं और छात्रों की संख्या

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

कम है या जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा और अध्यापक कम हैं, वह कलक्टर्स और डी.ई.ओ. उस व्यवस्था को देखेंगे। वह काम पूरे स्कूलों में कलक्टर्स और डी.ई.ओ., सबने इस काम को सारा कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप नेता, प्रतिपक्ष, माननीय गुलाबचन्दजी, एक मिनट, आप विराजिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के बैन लगने के बाद भी सबको ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गयी। मंत्रीजी ने पल्ला झाड़ लिया कि डी.ई.ओ. और कलक्टर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजिये, बात तो सुनिये। एक तो देखें, अपन नियम से चलते हैं; जो प्रोसीजर अध्यक्षजी ने बनाया है उसी पर चलेंगे।

इसमें मास्टरों पर 3-4 पर्चियां आई हैं और अभी भी मास्टरों की बात चल रही है और आधा घण्टा हो गया। फिर उन पर टाइम लेंगे। सदन का बिजनेस है, आप सदन कब तक चलाना चाहते हैं? बात तो सुनिये आप। (व्यवधान) अब ये पर्चियां, सुनिये बात को, अब ये पर्चियां आई हैं, हालांकि पर्चियां लेने का प्रोसीजर है, पर्चियों के बाद में ही पाइंट आफ इंफार्मेशन का लेते हैं, तो साथ के साथ ही इसके ऊपर भी ले लिया जाए तो सदन का समय बचे और बात भी। चूंकि आधा घण्टा हो गया तो सदन की राय हो तो इनको ले लें? बार-बार यह डिस्कशन, फिर यह हो कि बोलने नहीं दिया, मेरी पर्ची नहीं ली। आप भी बोलेंगे, वे भी बोलेंगे और वे भी बोलेंगे। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मंत्रीजी, यह दोनों-तीनों बोल लें, फिर आप एक साथ कोई बात कहनी हो तो कह दें ताकि बात समाप्त हो जाए, सदन की राय हो तो?

माननीय गुलाबचन्दजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: आपको आगे टाइम मिलेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा व्यवस्था के नाम से अव्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, उसी विद्यालय से हटा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह सारी बात हो जाएगी। आप विराजिये, अभी सारी बात हो जाएगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैंने एक विद्यालय का नाम दिया, जहां तीन शिक्षकों को लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: उनके बाद आपको बोलने का अवसर मिलेगा, आप बात को समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या घालमेल मंत्रीजी के स्तर पर हुआ या नीचे के, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन एक पोस्ट पर तो एक तरफ तो गणित, इंग्लिश के हैं विद्यार्थी, पढ़ने के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं ...(व्यवधान) और दूसरी जगह एक विद्यालय में तीन-तीन अध्यापकों को किस आधार पर लगाया है?

श्री उपाध्यक्ष: मैंने केवल माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया से अनुरोध किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, थोड़ा-सा इस पर गौर करें, डिपार्टमेंट में जिस प्रकार की ढिलाई है, अभी उदयपुर डिविजन में जो प्रमोशन सेकण्ड ग्रेड के हुए, रिटायरमेंट के लास्ट दिन, जिसके पास डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज था, उसने 800-900 महिलाओं को, मर्जी चाहे, किसी को दो सौ किलोमीटर दूर ठोका, किसी को इधर ठोका, किसी को उधर ठोका। कम से कम जांच तो कराओ। रिटायर होने का मतलब यह थोड़े है कि उसको सर्टिफिकेट है, वह चाहे जो करके चला जाए। अगर उसने गलती नहीं की, तो माफ कर देना और अगर गलती की तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी सज़ा मिलनी चाहिए। तब तो जाकर व्यवस्था चलेगी। जब उसके पांच किलोमीटर बाजू में महिला की पोस्ट खाली पड़ी है, प्रमोशन के बाद है और वह विधवा महिला है, उसको वहां लगाया जा सकता है। वहां के बजाय उसको दो सौ किलोमीटर दूर लगा दिया। क्या वह हैरेसमेंट नहीं होता?

आप पौने पांच साल बाद यह बात कह रहे हैं कि हम समानीकरण करेंगे, यह कहते-कहते तो आपने और हमने इस सदन में पौने पांच साल निकाल दिये। क्या मतलब निकलता है? आपके अध्यापकों के पद खाली हैं, यानी प्रमोशन होने के बाद आदमी को लगना चाहिए, सब्जेक्ट टीचर पर सेकण्ड ग्रेड का अगर गणित का है, आपने लगा दिया प्रधानाध्यापक मिडल स्कूल का। यानी, जहां पर विषय अध्यापक नहीं है, कोई देखने वाला है? कोई इसको जांचने वाला है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस अराजकता से आज राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आने वाली पीढ़ी आपको और मुझे इस बात की बद्दुआएं देगी कि जिस सरकारी स्कूल में मुझे मेरी गरीबी के कारण से पढ़ने जाना पड़ा, वहां पर मुझे अध्यापक नहीं मिला, इसके कारण से मुझे दो डंडे और तीन डंडे मिले।

और आप सलेक्शन किसके आधार पर करते हो? दसवीं और बारहवीं की मेरिट के आधार पर। वह झक मारेगा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा? दसवीं और बारहवीं में वे सारे के सारे बच्चे, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर आए हैं न, वे 80 परसेंट के बच्चे निकल रहे हैं। मेरा बच्चा बापड़ा सेकण्ड क्लास और थर्ड क्लास मुश्किल से निकलता है, एक भी नौकरी नहीं लगेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। क्या तमाशा हो रहा है! यह क्या कर रहे हो? और आप इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हो! आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तमाशा हो रहा है।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अब जो दो-तीन महीने ही बचे हैं, कुछ मानवीय गुण अपने में पैदा करो और उस गरीब के बच्चे की चिंता करो जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय फूलचन्दजी भिण्डा। दो-दो मिनट ही बोलें, ज्यादा नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, दो मिनट ही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2011 में यह विज्ञापन निकला प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों का। दो हजार से ज्यादा पद उस समय खाली थे। उसके बाद प्रदेश में और भी विद्यालय खुले हैं। लगभग पांच हजार विद्यालय, सेकण्डरी स्कूल के विद्यालय खाली पड़े हैं हैडमास्टरों के कारण से और वहां पर अध्यापक नहीं हैं। आर.पी.एस.सी. से चयन भी हो गया, 2012 में ही और वे नौ महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। मंत्रीजी धमका रहे हैं कि डी.पी.सी. बैठाऊंगा 2013-14 की। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि 2011 की वैकेंसी में, 2011 की डी.पी.सी. में से भरी जानी चाहिए थी, पदोन्नति; 2012-13 में भरी जानी चाहिए थी पदोन्नति, 2013-14 में पदोन्नतियां, ये किस आधार पर भरेंगे? ये चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सदन को भी धोखा दे रहे हैं और जनता को भी धोखा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि मंत्रीजी अपने आपको करेक्ट करें और हैडमास्टरों के 500 पद भरें। दो महीने से विद्यालय खाली पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वे कह रहे हैं न कि चयनित करवा रहे हैं, चयनित लोगों को तो लगवा दीजिए। जवाब दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। हां, हां, सारा। मंत्रीजी खुद बोलना चाह रहे हैं। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। केवल राजेन्द्र सिंहजी का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कितनी अराजकता की तरफ पहुंच गई है, अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने 'असर' की रिपोर्ट जारी की; मंत्री महोदय, शायद आपने वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी जिसमें यह लिखा है कि एक वर्ष में राजस्थान में निजी क्षेत्र के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्र में ...(व्यवधान) एक मिनट, 55 परसेंट विद्यालय बढ़े हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आपको तो इन्फार्मेशन देनी है न? प्लीज आप इसको सीमित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और आजकल जिस तरह का अराजकता का वातावरण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल एक विज्ञापन छपता है कि- 'राजस्थान में पहली बार'; यह राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि आपका चुना हुआ सत्तारुढ़ दल का विधायक, रायसिंहनगर का विधायक नौ कांग्रेस के सरपंचों के साथ, आपके स्थानांतरण के कारण रिक्त हुए पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए, अनियमित हुए स्थानांतरण के लिए, आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हुआ आमरण अनशन पर बैठा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सात दिन से, सात दिन पहले धरना चालू किया, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन भेजा, आपसे दूरभाष पर बात की, चूंकि, न जाने किस मोह और लालच में आप आ गए हों, आप अपने पीछे विरासत तो देखो, जिस विरासत के कारण आप आज राजस्थान की विधान सभा में बैठे हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को खतम कर रहा हूं। यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का संक्षिप्त सत्र है। आज राजस्थान के अन्दर विधान सभा के बाहर पैराटीचर्स खड़े हैं, आज वे टीचर्स खड़े हैं जो आर.पी.एस.सी. से चयनित हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हैं जिनको, 2047 शिक्षक, उनको आप पदस्थापन नहीं दे रहे हों।

आज जिस तरह से 'टैट' के नाम पर हो रहा है, आपने क्या सोच कर विज्ञापन दे दिया कि आदिवासी क्षेत्र में जिन्होंने 36 परसेंट अंक से 'टैट' की परीक्षा पास की है, 36 परसेंट अंक लिए हैं, वे भी पात्र हैं? आज हाई कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है, आपकी डबल बेंच का फैसला आपके खिलाफ है।

चूंकि, वोट की फसल काटने के लिए यह जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हों, मैं समझता हूं कि राजस्थान का विद्यार्थी, राजस्थान का अवाम आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी तो कोई विधायक ऊपर जाकर, टावर पर चढ़कर कहता है कि मेरी बात को सुनो; कभी कोई केन्द्रीय मंत्री थाने के आगे अनशन पर कहता है कि मेरी बात को सुनो और कभी कोई, आपका ही चुना हुआ विधायक आज आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, वे भी इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, उस पर विचार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। धन्यवाद।

माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल। आप संक्षेप में दो मिनट में कहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सदन का ध्यान ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बस, आप थोड़ा उसी तक सीमित रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उद्योग मैदान पर पिछले दो दिनों से हजारों की तादाद में राजस्थान के विद्यार्थी मित्र इस सरकार से आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार जो पांच लाख नौकरियां देने का ढिंढोरा बार-बार पीट रही है, और शिक्षा सहायक के रूप में उनको समायोजित करने का फैसला भी सरकार ने कर दिया था, मामला हाई कोर्ट के अन्दर अधरझूल में अटक गया। कल दिन भर उन्होंने प्रयास किए और रात को पुलिस ने जबरदस्ती उनको खदेड़ने का प्रयास किया था। मैं खुद उनसे मिलने गया था।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे नहीं चलते हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

को चाहिए कि हाई कोर्ट के अन्दर जो विद्यार्थी मित्रों का मामला लम्बित है, उस मामले में सही जवाब पेश करे और राजस्थान के विद्यार्थी मित्रों को राजस्थान की सरकार, और अभी शिक्षा मंत्रीजी जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, इनको न्याय दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्कूलों के अन्दर, जैसा कि हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक फरमा रहे थे, आज राजस्थान के स्कूलों में आपने विज्ञान संकाय खोल दिया, कला संकाय खोल दिया लेकिन हर जगह पर एक ही बात आती है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। हम जाते हैं, डेपुटेशन अभी इधर-उधर से करवाते हैं तो स्थिति वही हो जाती है कि दूसरा स्कूल खाली हो जाता है। अगर इस सरकार का सबसे खराब मामला कोई है, चुनाव आने वाले हैं, तो एक तो सड़कों के मामले में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब यह आप, विराजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक तो सड़कों के मामले में और एक शिक्षा के मामले में, दो ही मामले सारे किए-कराए पर पानी फेर देंगे। दूसरे मामले भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए।

माननीय मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी पहले भी आपको निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षकों की जहां पर कमी है, जहां पर छात्र संख्या कम है, अध्यापक ज्यादा लगे हुए हैं; जहां पर छात्र संख्या ज्यादा है, अध्यापक कम हैं; उसके लिए हमने कलक्टर्स को और डी.ई.ओज. को आथोराइज्ड कर दिया है। अब वे उसके मुताबिक शिक्षण व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से करवा रहे हैं।

जहां तक शिक्षकों की कमी का ताल्लुक है, 20 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती और नौ हजार कुछ के सेकण्ड ग्रेड की हमने आर.पी.एस.सी. को भेज दी है और बाकी व्याख्याता, 28 सौ कुछ की हमने आर.पी.एस.सी. को व्याख्याताओं के भेज दिए हैं। जैसे ही आर.पी.एस.सी. से यह 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का काम पूरा होगा, उसी के साथ शिक्षक लगा दिए जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: 295 । प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए। जवाब दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैडमास्टर बैठा है, चयनित हैडमास्टर बैठा है धरने पर विधान सभा के सामने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह। केवल अजय सिंहजी का।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अजय सिंहजी, एक मिनट, घनश्यामजी तिवाड़ी कोई बात कह रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके नेता बोल रहे हैं। इसके बाद में आएगा, बाद में लेंगे।

सूचना

गुरुशरण छाबड़ा, श्री, पूर्व विधायक का पूर्ण शराबबंदी को लेकर चल रहा आमरण अनशन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन के पूर्व विधायक, माननीय श्री गुरुशरणजी छाबड़ा 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको हास्पिटल में भर्ती भी करवाया गया है। उन्होंने पहले भी पूर्ण शराब-बंदी की मांग को लेकर अनशन किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी उनसे मिले थे और दो महीने की एक कमेटी बनाकर उनका अनशन तुड़वाया था। इसके बाद अब 14 दिन हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है।

मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि उनसे बात करके उनका अनशन समाप्त करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आहूजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो महीने की ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, केवल ज्ञानदेव आहूजा का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री ज्ञानदेव आहूजा का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अमरारामजी, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों के बीच में मत आओ। (व्यवधान) माननीय ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेवजी, आप बोलें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त प्रभाव से 26 मार्च को...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दो महीने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा। उस कमेटी में श्री सी.एस. राजन और उसके साथ में एक्साइज कमिश्नर श्री दिनेश कुमार, डाक्टर वीरेन्द सिंहजी, अधीक्षक, एस.एम.एस., इनको रखा गया था, और दो माननीय सदस्य, जो सदन तय करेगा; यह कमेटी बनी।

(14.00 बजे)

उसका लिखित आदेश, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कहने से, वित्त विभाग के मेधाराम जाट, उप शासन सचिव ने उनको भेजा। दो महीने के लिये कमेटी बनी, लेकिन वहां से अनशन तुड़वाकर छाबड़ाजी का, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छह घंटे बाद ही दो महीने को छह महीने कर दिया और छह महीने के भी अब सात महीने हो गये। वे पुन: अनशन पर बैठे हैं। आज मैं एस एम एस में उनसे मिलकर आया हूं, डा. वीरेन्द्र सिंहजी, एस एम एस के सुपरिटेन्डेन्ट भी वहीं थे, उनसे भी मैंने राय ली है, उनकी हालत बहुत खराब है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अजय सिंहजी। केवल अजय सिंहजी का ही अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा का एक पूर्व सदस्य अगर 14 दिन से इस बात के लिये आमरण अनशन पर बैठा है और सदन में उसकी गम्भीरता को भी समझने के लिये सदन तैयार नहीं है तो यह दुर्भाग्य होगा। जिस समय उन्हें अनशन से उठाया था, स्वयं मुख्य मंत्रीजी गये थे, उन्होंने उन्हें ज्यूस पिलाया था और ज्यूस पिलाने के बाद एक लिखित पत्र दिया था कि दो महीने में यह कमेटी आपके इस अनशन के बारे में सरकार जो भी कुछ कर सकती है, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। यह सामान्य बात नहीं है, 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठना कोई खेल-तमाशा नहीं है और वह भी आपके लिखित आश्वासन पर, लिखित पत्र के आधार पर कि दो महीने में कमेटी रिपोर्ट दे देगी। आज वह कमेटी गठित हुए छह महीने हो गये, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। जिस प्रकार का जिसका जिद्दी स्वभाव है, जब वह तय कर लेता है तो मरने की भी चिन्ता नहीं करता है।

मुझे बहुत अफसोस है, आज आप हो, आप भी कल पूर्व विधायक हो जाओगे। जनता के विषय को लेकर अगर कोई इस प्रकार बैठा हुआ है, उस पर आप विचार करने को तैयार नहीं, उसको समझने को तैयार नहीं और समझाने को तैयार नहीं। मान लो, वह अनशन पर बैठा हुआ है तो कम से कम कोई जिम्मेदार आदमी जाकर के, समझाइश करके उसका रास्ता तो निकाला जा सकता है। एक आदमी को जान पर खेलने के लिये छोड़ दिया आपने और कोई भी जाकर बात करने को तैयार नहीं। न कोई प्रशासनिक अधिकारी जाता है, न मुख्य मंत्रीजी, जिन्होंने अनशन तुड़वाया और जिन्होंने ज्यूस पिलाया। वे दो महीने का कागज लिखित में देकर आये, तभी तो उन्होंने अनशन तोड़ा था। वह अनशन तोड़ने के बाद 6 महीने का समय निकल गया, कोई ध्यान ही नहीं देता है।

मैं आप माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शराबबंदी होगी कि नहीं होगी, वह अलग फैसला होता रहेगा। लेकिन कम से कम जिस तरह का पत्र लिखकर आपने उनको आश्वस्त किया, उसके बारे में तो कोई संतोषप्रद जवाब देकर उसका रास्ता निकालना चाहिये। एक आदमी को जान पर खेलने के लिये आपने मजबूर कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अजय सिंहजी। 295 पढ़ो। (व्यवधान) अब आपकी बात हो गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अजय सिंहजी का अंकित होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अजय सिंहजी का अंकित होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको समय दे दिया है, अब इसको लम्बा नहीं करें। लम्बा नहीं करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी आयेंगे, उनके सामने बात करना। उनके सामने बात करते नहीं हों। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अजय सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंहजी, आप 295 पढ़िये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डेगाना के किसानों को वर्ष 2012 के खराबे का मुआवजा

श्री अजय सिंह (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना विधान सभा क्षेत्र के

(श्री अजय सिंह)

किसानों को उचित बीमा क्लेम की राशि दिलवाने की स्थिति को सदन के सामने लाना चाहता हूं। महोदय, राज्य में किसानों के हित के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के अनुसार सभी ऋणी किसानों को उनकी फसल का बीमा कराना आवश्यक है। इस योजना के अनुसार खरीफ के मौसम में यदि कम वर्षा, अधिक वर्षा एवं लगातार सूखा, आदि के कारण फसलें खराब होती हैं तो किसानों को बीमा क्लेम की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में कम वर्षा एवं लगातार सूखे के कारण से खरीफ की फसलें, मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा एवं मूंगफली नष्ट हो गयी थीं। कम वर्षा एवं लगातार सूखे को देखते हुए सरकार ने डेगाना सहित समूचे नागौर जिले के सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया था। लेकिन बीमा कम्पनी द्वारा डेगाना विधान सभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक उचित बीमा क्लेम नहीं दिया गया है।

बरना ग्राम में स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्र के अधीन आने वाली 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों – चांदनी, बरना, खुडीकलां, सांजु, चान्दारूण, गुणसली, मांझी, जाखेड़ा, लंगौड, हिरणी ढाणी, सांवलियास, आकेली बी, बुटाटी, ढाढरियां कलां, चौलियास, चुई-मोगास एवं डावोली मीठी के किसानों को मूंग, ग्वार एवं बाजरे की फसल के लिये बीमा क्लेम ही नहीं दिया गया एवं मोठ की फसल के लिये केवल 9 रुपये 11 पैसे प्रति हैक्टेयर से दिया गया, जबकि किसानों से मूंग एवं ग्वार के लिये 150 रुपये, बाजरे के लिये 210 रुपये तथा मूंग के लिये 175 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रीमियम राशि काटी गयी।

महोदय, इसी प्रकार, ईडवा एवं भैरून्दा मौसम केन्द्रों के अधीन आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किसानों को भी बीमा कम्पनी द्वारा बहुत कम बीमा क्लेम दिया गया है। बीमा कम्पनियां सरकार की आड़ लेकर किसानों व सरकार के पैसे लूट रही हैं।

महोदय, कई महीनों से डेगाना विधान सभा क्षेत्र के किसान उचित बीमा क्लेम की मांग को लेकर उपखण्ड मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार एवं कम्पनी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अत: आसन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार शीघ्र डेगाना के किसानों से वार्ता करे; इस सम्बन्ध में कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करे; तत्पश्चात् शीघ्र किसानों को उचित बीमा क्लेम की राशि दिलवाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

जोधपुर की बदहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये जोधपुर में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति सुधारने हेतु अविलम्बनीय प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता के क्रम में मैं निवेदन करना चाहती हूं।

मान्यवर, मैं राज्य सरकार का ध्यान देश के सबसे शांत शहरों में शुमार जोधपुर में बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जोधपुर शहर, जहां शांति का वातावरण ही पहचान है, छोटे से लेकर गम्भीर अपराधों तक का गढ़ बनता जा रहा है। विभागीय भ्रष्टाचार और पुलिस की उदासीनता के चलते पुलिस कमिश्नरेट स्वयं जुगाड़ में चलता प्रतीत हो रहा है, जिससे भी कानून-व्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं दिख रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की समस्त प्रक्रियाओं में उक्त विषय को सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद निम्न घटनाओं में आज तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है:-

1. **लगातार घटित हो रही चेन-स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग की घटनाओं से महिलाओं में व्याप्त भय:** – जोधपुर शहर में आधी रात को भी अकेली महिलाओं का गहनों से लदकर निकलना एक सामान्य सी बात हुआ करती थी परन्तु यह गौरव खण्डित हो रहा है। अब जोधपुर शहर में महिलाएं चाहे घर के बाहर खड़ी होने में अथवा फुटपाथ या सड़क पर चलती डरती हैं कि कोई अचानक आकर उनके गले से चैन या सुहाग की निशानी मंगलसूत्र न छीन ले। इन वारदातों की भारी संख्या और वारदात के बाद पीड़िता की रिपोर्ट लिखने में पुलिस की आनाकानी के कारण जोधपुर शहर की आम महिला में गजब का भय व्याप्त है।

2. **युवा वर्ग को घातक नशे के अंधे कुएं में धकेलना :-** जोधपुर में घातक नशीले पदार्थों यथा स्मैक, गांजा, चरस, आदि की उपलब्धता बहुत ही सहज हो चुकी है। कुछ अर्से पहले तक जो लोग शराब की तस्करी में लिप्त थे, वे अपने संगठित गैंग द्वारा मोटे मुनाफे के चलते नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हो गये हैं। पूरे शहर में छोटी-छोटी थड़ियों पर, पान कार्नर पर, कालेज-स्कूलों के बाहर युवाओं को घातक नशे का आदी बनाने का व्यापार चल रहा है। थानावार नशीले पदार्थों के सौदागरों की सांठ-गांठ है और मोटी बंधी के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चलते इन पर कार्यवाही नहीं होती। यही कारण है कि आज तक पकड़े गये रिटेलर्स से नशीले पदार्थों के एक भी लिंक चेन का भंडाफोड़ नहीं हुआ।

3. **वाहन चोरी को प्राय: पुलिस चोरी मानती ही नहीं:**- जोधपुर में पुलिस की कार्यपद्धति का हाल यह है कि दो पहिया वाहन चोरी हो जायेगा तो पीड़ित की एफ आई आर 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में हरगिज नहीं लिखी जाती है; पीड़ित को दौड़ाया जाता है कि जाओ, पहले जोधपुर के सारे साइकिल स्टैण्डों पर देखो, स्टेडियमों और पार्कों के बाहर ढूंढो, उसके बाद भी नहीं मिले तो आना, देखेंगे। केवल कागजों में कानून-व्यवस्था सही दिखाने के लिए एफ आई आर लिखने से मना किया जा रहा है।

4. **चोरियों का गढ़ बना नया बसा शहर:-** परकोटे के बाहर बसी नई कालोनियां, हाउसिंग बोर्ड, आदि क्षेत्रों में घर पर ताला लगाकर जाना चोरी की गारन्टी बन गया है। इन कालोनियों में आये-दिन चोरी की वारदातें होती हैं जिनमें अपराधियों का पता लगाने में पुलिस नाकाम है।

5. **दो पहिया वाहन स्टंटबाजों का खौफ:-** जोधपुर की सड़कों पर सांझ ढले दो पहिया वाहनों के स्टंट के नाम पर तेज रफ्तार बाइक चलाने वाली गैंग का खौफ है। ये गैंग जब मर्जी जहां, सड़क पर दुर्घटना को निमंत्रित करती हैं, तो कभी विभिन्न कालोनियों में घरों के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ती हैं। पुलिस इन सभी मामलों में मूक-दर्शक ही बनी रहती है।

अत: मेरा निवेदन है कि जोधपुर में बढ़ रहे अपराधों की स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे और आमजन में कानून के विश्वास बहाली के प्रभावी कदम उठाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी के गरड़दा (लतारिया) बांध का शीघ्र पुनर्निर्माण

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी में सिंचाई विभाग परियोजना, खण्ड बूंदी के अधीन गरड़दा बांध (लतारिया बांध) परियोजना दिनांक 25.08.2009 को स्वीकृत हुई थी जिसकी स्वीकृत राशि 147.04 करोड़ रुपये (पुन: प्रस्तावित 246.16 करोड़ रुपये) थी। इस राशि से गरड़दा बांध तथा नहरों पर मार्च, 2013

(श्री अशोक डोगरा)

तक 134.18 करोड़ रुपये खर्च होना परियोजना खण्ड द्वारा बताया गया है। उक्त बांध निर्माण के 1 माह बाद ही 15 अगस्त, 2010 को टूट गया। तब से अब तक बांध के पुनर्निर्माण बाबत कोई राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है, जबकि विभाग द्वारा 99.12 करोड़ रुपये की मांग सरकार के समक्ष पेश की गई है।

गरड़दा बांध से 9,161 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी तथा पेयजल हेतु भी पानी रिजर्व रखना था परन्तु विभागीय लापरवाही से बांध टूट गया तथा राजकोष के करोड़ों रुपये इसके पुनर्निर्माण नहीं होने से व्यर्थ साबित हो रहे हैं।

इस परियोजना के लम्बित रहने से इसकी नहरें भी टूट रही हैं तथा समय रहते पुनर्निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई तो परियोजना की लागत लगातार वेतन-भत्तों, आदि के भुगतान तथा महंगाई के कारण बढ़ती जायेगी।

अत: गरड़दा बांध के पुनर्निर्माण के लिए शिघ्रातिशीघ्र राशि स्वीकृत कर इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसानों की भूमि सिंचित होने से रह जायेगी तथा पेयजल की सुलभता प्रभावित होगी। विषय अत्यन्त गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

प्रदेश में ब्याजमुक्त फसली ऋण से वंचित किसान

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों को ब्याज-मुक्त फसली ऋण का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं सहकारिता मंत्री का ध्यान एक अत्यन्त ही लोक महत्व के किसान हित से जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण के रूप में ब्याज-मुक्त डेढ़ लाख रुपये देने की सरकार ने घोषणा कर रखी है, मगर जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड कामर्शियल बैंकों से ले रखे हैं उनसे सहकारी बैंक एन ओ सी मांगते हैं। खुद सहकारी बैंक जब जमीन को मोरगेज नहीं रखते हैं तो उनको एन ओ सी की

(श्री बंशीधर खण्डेला)

क्या जरूरत पड़ रही है? ऐसा करके किसानों को दोहरे लाभ से जान-बूझकर वंचित करने का काम किया जा रहा है। डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण ले सकने जितनी जमीन सीकर जिले एवं पूरे राज्य में नगण्य किसानों के पास ही है, जिसके कारण इस योजना का लाभ नाम मात्र के किसान ही प्राप्त कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। सरकार की यह योजना एवं घोषणा मात्र दिखावा भर है। इसका वास्तविक रूप में किसान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

इसी प्रकार, सहकारी बैंक ब्याज-मुक्त फसली ऋण डी एल सी दर की पचास प्रतिशत राशि तक का ही देते हैं जिसके कारण उन्हें पूरा ऋण नहीं मिल रहा है। इस पचास प्रतिशत की सीमा को हटाकर पूरे सौ प्रतिशत डी एल सी रेट की राशि के बराबर ब्याज-मुक्त ऋण दिये जाने का आदेश पूरे राज्य के सहकारी बैंकों को आज ही जारी किया जाय ताकि प्रत्येक काश्तकार को उसका फायदा मिल सके, अन्यथा किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

कामर्शियल बैंकों से एन ओ सी लाने की बाध्यता के कारण पूरे राज्य में, विशेषकर मेरे सीकर जिले में कहीं भी किसानों को वास्तव में लाभ नहीं मिल रहा है। इससे किसानों को या तो क्रेडिट कार्ड से वंचित रहना पड़ रहा है या फिर डेढ़ लाख रुपये के फसली ऋण से वंचित होना पड़ रहा है।

अत: मैं राज्य सरकार से इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि किसान हित से जुडे इस महत्वपूर्ण विषय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कामर्शियल बैंकों से एन ओ सी लाने की जो बाध्यता है, उसको तुरन्त प्रभाव से हटाकर किसानों को राहत प्रदान की जाये तथा डी एल सी रेट के पचास प्रतिशत की सीमा को हटाकर पूरा सौ प्रतिशत किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्रता सैनानी व पुरस्कृत सैनिक/खिलाड़ी/शिक्षकों को भूखण्ड आबंटन नहीं किया जाना

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17-ए में स्वतंत्रता सेनानी, वीरता

(श्री राजकुमार रिणवां)

पुरस्कार प्राप्त सैनिक, मेडल विजेता खिलाड़ी और राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षकों को आवास हेतु भूखण्ड आबंटन का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार वर्ष 2005 में राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक, श्री नारायण लाल कूलवाल (1992), श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा (1993) श्री बंशीधर सामोदा (1993) एवं श्री ललित किशोर यादव (1998) ने आवास हेतु भूखण्ड चाहने बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में आवेदन किया था। श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा (1993) को 2005 में ही चित्रकूट योजना में 252 वर्ग मीटर का भूखण्ड संख्या 3/403 कार्नर का आबंटित कर दिया गया था। शेष तीनों शिक्षकों को आज तक आबंटन नहीं किया गया है और बताया जा रहा है कि 2001 से पूर्व के सम्मानित शिक्षकों को देय है या नहीं, के सम्बन्ध में सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन शिक्षकों के बाद 2011-12 में आवेदन करने वाले 2001 से पूर्व सम्मानित निम्न शिक्षकों को भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं:-

श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, 1993 में सम्मानित, को चित्रकूट योजना में 252 वर्ग मीटर; 2005 में श्रीमती प्रेम कुमारी आहूजा, 1989 में सम्मानित, को राज भवन योजना में 220 वर्ग मीटर; 2012 में श्रीमती राजेश दुलारी, 1995 में सम्मानित, को राजभवन योजना में 220 वर्ग मीटर; 2012 में श्री लालचन्द मोयल, 1997 में सम्मानित, को राजभवन योजना में 220 वर्ग मीटर, 2012 में।

इस प्रकार 2001 से पूर्व के शिक्षकों, खिलाड़ियों, सैनिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों, जो सभी 1947 से पूर्व के सम्मानित, को नियमित रूप से आबंटन किया जा रहा है तो आदेश जारी होने के 12 वर्ष बाद मार्गदर्शन चाहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

2005 में आवेदनकर्ता, श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा को तो 2005 में आबंटन कर दिया गया, शेष श्री बंशीधर सामोदा एवं नारायण लाल कूलवाल को अब तक आबंटन क्यों नहीं किया गया? अत: इनको भी इनके समान चित्रकूट योजना में भूखण्ड आबंटन करा कर न्याय दिलाने की कृपा करें। साथ ही, शेष अन्य आवेदनकर्ता शिक्षकों को आबंटन कब तक करा दिये जावेंगे? साथ ही, विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर अनुग्रहित करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कान सिंह कोटड़ी।

पाली व बाड़मेर जिलों में उद्योगों के प्रदूषित पानी का लूणी नदी में प्रवाह

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषित रसायनयुक्त पानी के बहाव को रोकने बाबत।

मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उद्योगों का विकास जितना जरूरी है, उतना ही प्रदूषण की समस्या को गम्भीरता से लेना आवश्यक है। जिला पाली व बाड़मेर में संचालित कपड़ा फैक्टरियों से निकलने वाला रसायनयुक्त पानी लूणी नदी में प्रवाहित हो रहा है। गत बार भी बरसाती पानी के साथ रसायनयुक्त पानी विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम रामपुरा, मियोका बाड़ा तक लूणी नदी में पहुंचा था। इस बार भी इसी रास्ते काफी आगे तक पहुंच गया है जिससे क्षेत्र की आम जनता में भी आक्रोश व्याप्त रहा।

ट्रीटमेंट प्लांट महज कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। यह स्थिति लूणी नदी अपने आप में बता रही है। बालोतरा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने ट्रस्ट को ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई थी कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी शोधन के बाद भी लूणी नदी में प्रवाहित नहीं किया जायेगा। नियमों के मुताबिक, इस पानी का इस्तेमाल पौधरोपण के लिए ही किया जाना है। इसके उलट, रसायनयुक्त गंदे पानी का निस्तारण नदी में किये जाने के कारण नदी खासी प्रदूषित हो गई है। हालत यह है कि नदी के आसपास की जमीन भी खराब हो गई व लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र में यह खबर मुख्य सुर्खियों में रहती है।

अतः आमजन व किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लूणी नदी के सम्बन्धी बांध से पानी का बहाव छोड़ा जावे जिससे प्रदूषित पानी व गंदगी खाड़ी क्षेत्र में चली जावे व लूणी नदी के तटीय क्षेत्र के कुओं में पानी का स्तर बढ़ जावे जिससे क्षेत्र के किसानों व आमजन को राहत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव देवनानी। यह इतना लम्बा प्रस्ताव मत दिया करो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इतना नहीं है 295, यह तो समस्या ही इतनी गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शायद ओवरलुक हो गया। आपका प्रस्ताव मन्जूर ही नहीं होना चाहिए। यह +++ की कहीं न कहीं कमी रही। (व्यवधान)

अजमेर शहर की उखड़ी सड़कों के चलते आमजन को अनुभूत असुविधा

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर शहर की उखड़ी सड़कों के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत, आदि के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण आज अजमेर शहर के प्रमुख मार्गों व रिहायशी क्षेत्रों की सड़कें उखड़ कर क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में फायसागर रोड पर स्थित गोटा कालोनी, बोराज रोड, अम्बिका विहार, राज कालोनी, आदित्य नगर, आर.के. पुरम, आदि रिहायशी कालोनियों व अजयसर, खरेखड़ी, हाथीखेड़ा, बोराज, काजीपुरा में सड़कें कहीं नजर ही नहीं आती हैं। मार्गों पर स्थित गहरे खड्डों व कीचड़, दलदल के कारण क्षेत्रवासियों का इन मार्गों से गुजरना मुश्किल हो रखा है। विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने-लाने के लिए बस, टेम्पो वाले कालोनियों में घुसने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

पिछले डेढ़-दो वर्ष से मेरे विधान सभा क्षेत्र के पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, वैशाली नगर, रातीडांग, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बी.के. कौल नगर, पुष्कर रोड, आदि क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य चल रहा है परन्तु सम्बन्धित विभाग की लापरवाहीपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण आज भी इन प्रमुख रिहायशी कालोनियों में ना तो सीवरेज का काम पूर्ण हुआ है और ना ही खोदी गयी सड़कों का ठीक से पुनर्निर्माण हुआ है। कार्यकारी विभाग नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा बारिश को दृष्टिगत रखते हुए भी सीवरेज लाइन से प्रभावित प्रमुख मार्गों का निर्माण नहीं करवाया गया है जिससे इन मार्गों से गुजरना दुर्घटना को न्योता देने के समान हो गया है। परन्तु क्षेत्रवासियों के पास इन मार्गों से गुजरने के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी नहीं है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसके अतिरिक्त, शहर की अन्य प्रमुख सड़कें, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं, उनकी भी हालत खराब है। फायसागर रोड, पुष्कर रोड, लोहागल रोड, सावित्री चौराहा, सूचना केन्द्र चौराहा, स्टेशन रोड जैसी सड़कों पर भी जगह-जगह खड्डे हो रहे हैं। बारिश के बाद तो इन प्रमुख सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा भी नियमनशुदा आवासीय कालोनियों में सड़क, नाली निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं कराने से वहां के निवासियों को भारी असुविधाएं हो रही हैं। साथ ही, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग व टेलीफोन विभाग द्वारा पाइपलाइन व केबल्स बिछाने हेतु मनमर्जी से खोदी गयी सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होने से भी शहर की कई सड़कें प्रभावित हो रही हैं।

अत: मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि गांवों व पेरिफेरी क्षेत्र में स्थित रिहायशी कालोनियों में सड़क-नालियों जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावें तथा अजमेर शहर की सीवरेज से प्रभावित सड़कों को शीघ्र सुधारे जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को भी पाबंद करें। साथ ही, सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यक बजट तत्काल आबंटित कर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण करवाएं तथा नगर सुधार न्यास, जो कि अब अजमेर विकास प्राधिकरण में क्रमोन्नत हो गया है, उसे भी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास कराने हेतु निर्देश प्रदान करें।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से मेरा एक और आग्रह है कि जलदाय विभाग, विद्युत विभाग व टेलीफोन विभाग को भी इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि पाइपलाइन व केबल्स, आदि बिछाने के लिए अन्य विभागों से तालमेल स्थापित कर सड़कें खोदी जाएं तथा खोदी गयी सड़कों का समय पर पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां।

चूरू जिले के किसानों को मौसम आधारित फसली बीमा का अवितरित क्लेम

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के किसान काफी समय से मौसम

(श्रीमती कमला कस्वां)

आधारित फसल बीमा क्लेम को लेकर आन्दोलनरत हैं। योजनानुसार ऋणी कृषकों से अनिवार्यत: बीमा प्रीमियम लिया जाता है तथा तापमान न्यून रहने पर बीमा क्लेम दिये जाने का प्रावधान है। किसानों ने रबी की फसल 2012-13 को बोने के लिए बैंकों एवं सहकारी समितियों से ऋण लिया था तथा बीमा प्रीमियम की अनिवार्यता के चलते दोनों ही जगह प्रीमियम अदा किया था, लेकिन किसानों को न तो बैंकों की ओर से तथा ना ही सहकारी समितियों की ओर से मौसम आधारित बीमा क्लेम दिया गया। किसानों के अनुसार, उन्हें प्रीमियम के मुताबिक क्लेम न देकर गिरदावरी-बुवाई-क्षेत्र को आधार मानकर क्लेम दिया जा रहा है, जो किसान के साथ अन्याय है।

किसानों की काफी भूमि में बुवाई के बाद बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, काफी अंकुरित बीज बाद में खराब हो गया, जिसकी गिरदावरी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, मौसम आधारित संयंत्रों के तापमान के माप को समय-समय पर सार्वजनिक करते हुए स्थानीय प्रशासन एवं किसान प्रतिनिधियों को मानिटरिंग में साथ रखे जाने का प्रावधान किया जावे। फसल बीमा किसान का हक है तथा उन्हें उनके द्वारा अदा किये गये बीमा प्रीमियम के मुताबिक फसल बीमा क्लेम दिया जावे।

इसी तर्ज पर नोहर एवं भादरा क्षेत्र के किसानों को भी बीमा क्लेम दिया जावे, जिन्हें आज तक नहीं दिया गया है। बीमा क्लेम की वाजिब मांग को लेकर तारानगर क्षेत्र के आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो किसानों के साथ अन्याय है। किसानों के साथ न्याय किया जावे, इसकी जांच की जावे।

अत: मेरा अनुरोध है कि किसानों की उपरोक्त वाजिब मांगों का शीघ्र निपटारा किया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री छोटू सिंहजी भाटी।

जैसलमेर जिले में किसानों को आबंटित बारानी भूमि के म्यूटेशन अभाव से उत्पन्न कठिनाई

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर नियम 1970 के तहत पुराने आबंटन में अभी तक म्यूटेशन दर्ज न होने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला विशाल क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है तथा

(श्री छोटू सिंह भाटी)

दुनिया के कई देशों से भी बड़ा भू-भाग यह जिला रखता है। जिले के निवासियों की पहले सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी तथा उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पानी की विकट समस्या होने के कारण यह क्षेत्र काला पानी के रूप में जाना जाता था। अत: यहां के निवासी यह सोचते थे कि इस क्षेत्र में बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति नहीं बस सकता, आसपास की सारी भूमि हमारी एवं हमारे पशुओं के लिए है। चूंकि यहां वर्षा कम होती थी, इसलिए यहां के निवासी कभी भी खेती करने में अधिक रुचि नहीं लेते थे। इस कारण इस क्षेत्र में आबंटन भी बहुत ही कम हुए तथा लोगों को आबंटन आदेश मिल जाने के बाद उसके कब्जे के बारे में वे कल्पना भी नहीं करते थे तथा पट्टे ले जाकर घर रख देते थे। कब्जा नहीं ले पाने के कारण कई लोगों के म्यूटेशन दर्ज नहीं हो पाये।

चूंकि पटवारियों के पास बड़ा क्षेत्र होने तथा बंजर भूमि अधिक होने के कारण सभी क्षेत्र उनकी पहुंच से दूर थे। अत: लोग जहां पर थोड़ी बहुत खेती करते थे, वहां पटवारी आकर उन्हें अधिक जानकारी भी नहीं देते थे कि उनका आबंटन रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है।

इस कारण क्षेत्र के हजारों लोग, जिनको कि वर्ष 1972 से 1978 के बीच में बारानी भूमि आबंटित हुई थी, म्यूटेशन दर्ज नहीं करा पाने के कारण अपना नाम तहसील रिकार्ड में दर्ज नहीं करा पाये। परिणामस्वरूप, जमा बंदियों और गिरदावरियों में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया, जबकि मौके पर वे हमेशा ही बरसाती मौसम में काश्त करते रहते थे।

वर्तमान में नहरी बंदी व्यवस्था आने तथा भूमि का कई क्षेत्रों में उपयोग होने पर लोगों को मालूमात हुआ लेकिन तब तक कई वर्ष गुजर जाने के कारण राजस्व अधिकारियों ने रिकार्ड में दर्ज करने में हाथ खड़े कर दिये। मजबूरन जिनके पास कुछ पैसा था, उन्होंने दावे भी किये और जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने दावे तक नहीं किये। इस कारण हजारों गरीब आज भी रिकार्ड में नाम दर्ज कराने में सफल नहीं हुए हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार फौरन ऐसे किसानों की पहचान कर उन्हें भूमि के मालिकाना हक पुन: प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश चन्द मीना।

गोविन्दगढ़ पुलिस थाना (अलवर) की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/13 में कार्यवाही का अभाव

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/13 पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर में मुलजिमों को गिरफ्तार करने तथा अनुसंधान अधिकारी बदलने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि श्री बशीर पुत्र सुफेदा, जाति मेव, निवासी ग्राम सैदमपुर बास, थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर, राजस्थान ने दिनांक 10 जून, 2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/13 पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर में दर्ज करवाई है, जिसमें नाबालिग बालिका (उम्र 15 वर्ष) के साथ दुष्कर्म होना बताया गया है। नाबालिग की बरामदगी किये जाने पर धारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत बयानों में दुष्कर्म किया जाना साबित पाया गया, जिसमें मुलजिमान द्वारा अपराध करना पाया गया परन्तु अभी तक भी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिमान आज भी खुले आम घूम रहे हैं तथा पीड़ित परिवार के लोगों को जान से खतम करने की धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार डरा हुआ है। मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

अत: आपसे निवेदन है कि अनुसंधान अधिकारी को बदलकर किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती गोलमा देवी।

श्रीमती गोलमा (महुआ): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बीच में बोलबा को मौको दियो, फागी जब क्षेत्र में मैं गयी, तीन दिन का धरना दे राख्या हा। मैंने तो देखो, थाने में भ्रष्टाचार मच रहा है, लूट-लूट कर खा रहे हैं; लाठी चार्ज हो रहा है; लड़कियों के साथ भ्रष्टाचार मच रहा है; उठा-उठा कर ले जा रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी मजबूरी है, आपका प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया जाए, सदन की राय हो तो? प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(श्रीमती गोलमा की पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओटाराम जी देवासी।

सिरोही में स्थापित ट्रोमा सेंटर का सुविधाओं के अभाव में उपयोग नहीं होना

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत, सिरोही में नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर विगत तीन साल से सुविधाओं के अभाव में बंद पड़ा है। क्षेत्र की जनता को ट्रोमा सेंटर निर्मित होने की जानकारी से थोड़ी राहत महसूस हुई थी कि अब दुर्घटनाओं में घायलों को गुजरात राज्य अथवा महंगे निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन विगत चार साल में मात्र ट्रोमा सेंटर का भवन ही निर्मित हो पाया है और वह भी विगत तीन साल से बिना उपयोग के पड़ा है, उसमें न साधन हैं, न सुविधाएं।

विधान सभा के गत दसवें सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि अधिशासी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालौर द्वारा उक्त ट्रोमा सेंटर भवन निर्माण दिनांक 21.10.2010 को पूर्ण कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को सुपुर्द किया गया था तथा उपकरण एवं मैनपावर के अभाव में ट्रोमा सेंटर चालू नहीं किया जा सका। जब उपकरणों एवं मैनपावर हेतु दिनांक 25.4.2012 को भारत सरकार से राशि रुपये 1 करोड़ 55 लाख 38 हजार प्राप्त हो चुकी थी तो लगभग एक साल तक क्यों नहीं उपकरण एवं मैनपावर की व्यवस्था की गयी?

विगत तीन वर्षों से विधान सभा सत्र के दौरान तथा ज्ञापन के जरिए निरन्तर रूप से उक्त ट्रोमा सेंटर चालू करने का मामला आपके माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है लेकिन राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बजट उपलब्ध नहीं होने का हवाला देती रही और अब जब डेढ़ साल हो गया बजट उपलब्ध हुए तो कमी कहां रही कि आज दिनांक तक ट्रोमा सेंटर चालू नहीं हो पाया है?

महोदय, अगर राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग इसे गम्भीरता से लेते तो सिरोही क्षेत्र में नेशनल हाइवे 14 पर औसतन प्रतिदिन घटने वाली दुर्घटनाओं में अब तक कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को जल्दी चालू किया जाए जिससे सिरोही क्षेत्र की जनता तथा नेशनल हाइवे 14 पर होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वाले आम जन को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह 295 है, जो लिखा है वही पढ़िये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मेरा यह निवेदन है कि ट्रोमा सेंटर को जल्दी चालू किया जाए। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीर खां। पर्ची में समय निश्चित होता है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के उपयोग में अनियमितताएं

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नायब सदरे मोहतरम, मैं अपने तासुरात वक्फ बोर्ड के मामलात के बारे में रखना चाहूंगा। राजस्थान में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की सम्पत्ति है। वक्फ बोर्ड के मंत्री, जब मैं अपनी यह बात यहां रख रहा हूं, अन्फोर्चुनेटली वे यहां मौजूद नहीं हैं, काश, वे यहां मौजूद होते और हमारी इस परेशानी को सुन पाते।

राजस्थान में वक्फ बोर्ड की जायदाद हजारों करोड़ रुपये की है, जहां पर लगातार अनाधिकृत कब्जे किये जा रहे हैं और सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी अगर कोई है तो वह हुकूमत खुद है। हुकूमत के पास आधी से ज्यादा सम्पत्ति है, जहां हुकूमत के आफिसेज बने हुए हैं। वह किराया, जब से यह सेण्ट्रल वक्फ एक्ट बना है, कभी उसको रिवाइज नहीं किया गया। आज भी वही किराया मिल रहा है। आज हालत यह है वक्फ बोर्ड का कि वहां पर जो एम्प्लायीज काम करते हैं, उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही।

नायब सदरे मोहतरम, हुकूमत ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं कि हम बहुत बड़ा अनुदान देंगे, मात्र पचास लाख रुपये अनुदान की शक्ल में दिये गये और सबसे बड़ी बात कि आज वक्फ बोर्ड की मस्जिदों पर व्यापार हो रहा है, सौदा हो रहा है। इससे पहले भी मैंने यह बात उठाई थी कि भीलवाड़ा में 400 साल पुरानी कलंदरी मस्जिद को बेच दिया गया, जिंदल, मेम्बर आफ पार्लियामेंट, उसकी लीज के शक्ल में और यहां पर ये सारे इल्जामात सामने आएं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्यों न उसकी सी बी आई इन्क्वायरी करायी जाए? मस्जिद को तोड़ दिया गया।

नायब सदरे मोहतरम, इसी तरह से नीमराना के अन्दर भी वक्फ की एक मस्जिद है, यह विषय भी मैंने उठाया था, उस मस्जिद पर नमाज हो रही है। वहां के पेश इमाम की नियुक्ति वक्फ बोर्ड ने की है लेकिन अभी ईद 12 अगस्त की थी, ईदुलजुहा की नमाज वहां अदा की गयी और नमाज अदा करने

(श्री अब्दुल सगीर खां)

के बाद जब वहां से निकल कर जा रहे थे तो वहां की पुलिस ने उन्हें मना किया कि आप यहां नमाज कैसे अदा कर रहे हैं? एक तरफ ऐसी हुकूमत हो जो अपने आपको अल्पसंख्यकों की मसीहा कहे और वक्फ बोर्ड यह कहे कि यह मस्जिद है और वहां पेश इमाम की नियुक्ति हो, और वहां पर पुलिस अधिकारी उन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकें, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां कई बार मैंने यह मुद्दा उठाया, आज सेण्ट्रल वक्फ एक्ट में राजस्थान की सरकार अमेंडमेंट नहीं कर सकती लेकिन राजस्थान की हुकूमत कम से कम केन्द्रीय हुकूमत को कहे कि इस तरह के अमेंडमेंट इसमें किये जाएं कि इस सेंट्रल वक्फ एक्ट को वे दांत मिलें जिससे कि वहां पर जो कार्यवाही हो तो कार्यवाही हो सके। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ में भी जब वे जाते हैं मौके और मुआयने पर, उनकी सुरक्षा और हिफाजत नहीं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आपको मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा कहते हों, बड़ी-बड़ी आपने घोषणाएं की हैं, कृपया अगर आप सेण्ट्रल वक्फ एक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं तो कीजिये...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती अनिता जी भदेल।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नहीं तो सारी सम्पत्ति मुसलमानों को वापस कर दीजिये जिससे कि उनकी तालीम में यह पैसा लगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिता जी भदेल।

अजमेर को-आपरेटिव बैंक में खातेदारों की जब्त राशि

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आभारी हूं, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं और यदि को-आपरेटिव मिनिस्टर यहां बैठे हैं तो उनसे आग्रह करना चाहती हूं कि लगभग 4 वर्षों से अजमेर को-आपरेटिव बैंक के लगभग 20 हजार खातेदार परेशान हो रहे हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने संचालक द्वारा जो गड़बड़ियां की गयी थीं, जो बैंक के द्वारा ऋण बांटे गये थे, उन ऋणों की समय पर वसूली नहीं करने के कारण से वे जो 22 हजार खातेदार हैं, जिनका उसमें कोई दोष नहीं है, उनके खातों को सीज कर दिया। लगभग 17-18 करोड़ रुपये जो एफ डी के रूप में उसमें जमा हैं, वे

(श्रीमती अनिता भदेल)

निकाल नहीं सकते। 22 हजार खातेदारों में से लगभग 90 प्रतिशत खातेदार ऐसे हैं जो या तो सीनियर सिटीजन हैं, या रिटायर्ड हैं, या विधवा महिलाएं हैं। बैंक में ब्याज की दर अधिक होने के कारण, उस थोड़े से लालच के कारण सब लोगों ने वहां अपना अकाउंट खुलवाया और अपने पैसों को, अपने रिटायरमेंट के पैसों को एफ डी के रूप में वहां जमा कराया, यह सोचकर कि वृद्धावस्था में यदि कहीं बीमार हो गये, कहीं बच्चों की शादी में आवश्यकता हुई, या अन्य कोई व्यापार करना पड़ा, तो इस पैसे को निकाल सकेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों से रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा हर 6-6 महीने में उस पर रोक लगायी जा रही है। 6 महीने जैसे ही पूरे होते हैं तो खातेदार यह आशा करता है, अब तो शायद हमें पैसा निकालने की अनुमति होगी, लेकिन पुन: आगामी 6 महीने के लिये रोक लगा दी जाती है।

तो मेरा निवेदन आपसे है कि यहां को-आपरेटिव मिनिस्टर, या रजिस्ट्रार, जो भी हैं, जिन्होंने वहां नियुक्त कर रखा है, महाप्रबंधक के नाते से नियुक्ति दे रखी है, उनको यह ताकीद करें कि जिनके ऊपर लोन बकाया है, उन लोन्स को आप वसूलें और नहीं वसूलें तो उनकी कुर्की करें। अक्सर होता है कि अखबार में विज्ञापन जारी कर दिया जाता है कि फलां-फलां आदमी की कुर्की होगी, लेकिन कुर्की का स्थान उसका खुद का घर, उसकी खुद की अचल सम्पत्ति के बजाय बैंक में उसको बताते हैं कि यहां कुर्की होने वाली है। यदि वह उसकी कालोनी में, उसके मोहल्ले में नहीं जायेंगे कुर्की के लिये तो वह बेइज्जत नहीं होगा और जब तक वह बेइज्जत नहीं होगा तो वह इसी प्रकार से दूसरों के....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पैसों को लेकर बैठा रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुर्की का स्थान जो भी है, नीलामी का स्थान है, वह उसकी खुद की अचल सम्पत्ति का स्थान होना चाहिये।

कुर्की में जिस प्रकार से स्टे आये हुए हैं, कई लोग स्टे लेकर बैठ गये 2-2, 3-3 साल से, मेरा निवेदन है कि अच्छा वकील कोई करके और सरकार से सलाह लेकर उन स्टे को कैसे खारिज कर सकते हैं, क्योंकि इन 22 हजार परिवारों के साथ में 1 लाख लोग जुडे हुए हैं; 22 हजार तो खातेदार हैं जिनमें लगभग 2 हजार खातेदार केकड़ी और विजयनगर के भी हैं और यह बहुत पुराना बैंक है, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, साख इसकी जमी हुई थी और इसी कारण से हजारों लोगों ने यहां पर खाते खुलवाये थे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओम जी बिरला।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पिछली बार मैंने 295 के माध्यम से इस विषय को उठाया था...

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने लिखा है, बैंक के महाप्रबंधक...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): परन्तु सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है, कुछ तो करे सरकार। आखिरकार 1 लाख लोगों से जुड़ा हुआ यह विषय है और लोगों की खुद की कमाई का पैसा वहां है। उनका क्या कसूर है? उन्होंने कौनसी अनियमितताएं की हैं? जब उनका कसूर नहीं है, उनकी अनियमितताएं नहीं हैं तो फिर उसमें दखल देकर किसी न किसी प्रकार से जो लोन ले रखे हैं, बैंक ने जिनको लोन दे रखा है, कम से कम उनकी वसूली करा दें। इतना ही मेरा निवेदन है। यदि उनकी वसूली हो जायेगी तो शायद उनको कुछ रिलीफ मिलेगी, शायद रिजर्व बैंक आफ इंडिया कुछ छूट दे सकती है उन खातेदारों को।

इसलिये मेरा आपसे आग्रह है, सरकार में तो यहां कोई नहीं है सुनने वाला, मैं दूसरी बार यह विषय उठा रही हूं....

श्री उपाध्यक्ष: सरकार तो बैठी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, बैठी है, तो मिनिस्टर साहब नहीं हैं ना। को-आपरेटिव मिनिस्टर नहीं हैं यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीनियर मेम्बर हैं, सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी डिपार्टमेंट हो, but he represents the Government.

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्यों? ऐसा इमरजेंसी में बुला लिया है क्या? साहब, यहां रहना तो चाहिये ना।

श्री उपाध्यक्ष: वह गवर्नमेंट है। बिरला जी, आप संसदीय सचिव रहे हो, सरकार के अन्दर...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, हां, रहे हैं, तो इसमें कोई...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा निवेदन बस इतना है कि उन खातेदारों को रिलीफ मिलनी चाहिये और जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने नियमों की अवहेलना की है, जो पैसा लोन का लेकर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये और ऐसे संचालक मंडल के जो मेम्बर्स हैं, जिन्होंने गलत ऋण दिये हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उनके ऊपर कोई दण्ड हो तो पता पड़ेगा कि निश्चित रूप से कोई नियम के अन्दर काम करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय ओम जी बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है, आखरी सत्र है, मंत्री लोग नदारद हैं। कुछ तो सदन की गम्भीरता रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्या ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह सरकार जब गम्भीर नहीं है, मंत्री गम्भीर नहीं हों। कैसे सरकार चला रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो क्या बोलोगे आप? बोल कर क्या करें? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): हम किसको सुना रहे हैं? किसको बता रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। सरकार यह ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या है? किसको सुनाया है हमने? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलना नहीं है तो....(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 2 बार यह विषय उठा चुके हैं। मंत्री महोदय हैं नहीं, हम सुनायेंगे किसको? किसको बतायेंगे? हमें कैसे पता पड़ेगा इस डिपार्टमेंट के बारे में...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): 10 मंत्री बैठे हैं, 10 जने बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: 7 मंत्री बैठे हैं, 7 । (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिनको फैसला लेना है उनको तो बुलाओ। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): 10 मंत्री बैठे हैं, 10 । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जवाब दिलवा दीजिये आप उन मंत्री से। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या जवाब देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप, बिरला जी, अपनी बात कहिये। आपको बात कहनी है कि नहीं कहनी है? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जवाब तो दिलवा दीजिये। जवाब तो दिलाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कृषि मंत्री को कहो। कहां हैं कृषि मंत्री? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कहां हैं कृषि मंत्रीजी? आप जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक जी की बात पर मत आओ, अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं तो आने दीजिये फिर जवाब। फिर जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): वन, टू, थ्री... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह है, वह है, सेवन है, जो भी है, जवाब तो बताइये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सोनिया गांधी जी ने बुला लिया...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सवाल नहीं हैं, मैंने सवेरे भी आपसे निवेदन किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इंटरवीन करिये लेकिन हर मामले में नहीं करना चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपसे यह कह रहा हूं, पर्ची जब आती है तो सम्बन्धित मंत्री पर्ची मंगाता ही है, जो उससे सम्बन्धित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होती है। मैं सोचता हूं, जब पर्ची पर यहां कोई व्यक्ति बोलता है तो जवाब दें या न दें, यह मंत्री पर निर्भर करता है लेकिन कम से कम विषय को सुनें तो सही, उसकी गम्भीरता को तो सुनें। अब जब सम्बन्धित यहां पर नहीं हैं तो पर्ची पर बोलने का अर्थ क्या निकलने वाला है? जब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है...(व्यवधान) यह तो आसन ही व्यवस्था करायेगा, और तो कौन करा सकता है? हम तो आपसे ही निवेदन करेंगे, और किससे करेंगे? यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमें संरक्षण दें, उपाध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में हम यहां बैठे हैं। आप जैसा विद्वान व्यक्ति आसन पर है। आप तो संसदीय परम्पराओं के ज्ञानी रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बिरला जी को विघ्न न डालिये, बिरला जी को बोलने में रोक न लगायें। बिरला जी, ये सब विघ्न डालना चाहते हैं। आप बोलिये।

कोटा सम्भाग में अतिवृष्टि से फसलों को कारित क्षति

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती सम्भाग और राजस्थान के कुछ हिस्सों के अन्दर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। जिस सम्भाग से मैं चुनकर आता हूं, उस सम्भाग के अन्दर सोयाबीन की फसल, मूंग, उड़द, तिल्ली और विशेष रूप से इस बार सोयाबीन की फसल, जो डिपार्टमेंट के आंकड़े थे, उससे 104 परसेंट लोगों ने सोयाबीन की फसल बोयी थी और इस आशा, अपेक्षा के साथ बोयी थी कि तमाम इलाके के अन्दर सोयाबीन होगा; बरसात भी ठीक थी और अधिक उपजाऊ उत्पादन इस सारे क्षेत्र के अन्दर होगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण इस सारे इलाके की सोयाबीन, मूंग और उड़द की सारी फसलें पानी के अन्दर भर चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कोटा सम्भाग का सांगोद हो, इटावा हो, केशोरायपाटन हो, झालावाड़ हो, उनियारा इलाका हो, तमाम कोटा सम्भाग के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद आपको कि आपने उनियारा को कोटा सम्भाग कहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, आपके सम्भाग के इलाके के अन्दर भी फसल नष्ट हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हुई है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन सारे इलाकों के अन्दर सारी फसलों में अतिवृष्टि के कारण पानी भर गया है, खेत लबालब हो चुके हैं। करोड़ों रुपया सरकार के कैचमेंट में खर्च करने के बाद भी, सरकार ने कैचमेंट और भूमि सुधार इसलिये किया था कि किसान के अगर पानी आ जाए, अतिवृष्टि आ जाए तो भी उस कैचमेंट के कारण किसान के खेत में पानी नहीं ठहरे और निकल जाए, लेकिन भूमि सुधार और कैचमेंट के अन्दर सरकार के करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी वह पानी किसान के खेत में भरा रहा और हालत यह है आज कि सारे इलाके के अन्दर किसान के खेत में पानी लबालब भरा हुआ है।

दो-दो बार सोयाबीन की फसल के लिए अच्छा, उन्नत किस्म का बीज डालने के बाद भी सोयाबीन की फसल उगी नहीं और सारी की सारी फसल चौपट हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इस संभाग में 6 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल उगायी गयी थी लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि 70 प्रतिशत फसल इस सारे इलाके की खत्म हो चुकी है। किसान बरबाद हो चुका है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी सांगौद में 7 तारीख को गये थे; यहां पर उस इलाके के स्वायत्त शासन मंत्री, विधि मंत्री, माननीय धारीवाल साहब भी बैठे हैं, वे भी अगर शहर से गांवों में निकले होंगे तो उनको भी पता होगा, ...

श्री उपाध्यक्ष: आपके पड़ोसी हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): किसान की जिस तरह से फसलें नष्ट हुई हैं, किसान की खून-पसीने की कमाई जिस तरीके से बही है, आज करोड़ों रुपयों का नुकसान किसान का हो चुका है। मुख्य मंत्रीजी 7 अगस्त को घोषणा करके गये थे कि किसान को इस अतिवृष्टि का मुआवजा मिलेगा, उनकी फसल का सर्वे होगा और उसकी उपज और लागत के अनुसार किसान को मुआवजा मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के मुख्य मंत्री घोषणा कर जायें और किसानों का सर्वे नहीं हो, किसान को मुआवजा नहीं मिले, इससे ज्यादा किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता।

आपदा राहत मंत्री यहां पर बैठे नहीं हैं, सरकार गम्भीर नहीं है। जब सरकार किसानों के प्रति गम्भीर नहीं होगी तो आने वाले समय में यह राजस्थान का किसान इस कांग्रेस को बतायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सोल्यूशन बताइये, सोल्यूशन।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपको किन अरमानों के साथ किसानों ने चुनकर भेजा था, इस आशा के साथ चुनकर भेजा था कि आप किसानों की रहनुमाई करोगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या है, किसान फसल बीमा में पैसा जमा करा दे, फसल बीमा का पैसा जमा करने के बाद भी उसको मुआवजा नहीं मिले; मौसमी बीमारी के लिए माननीय राठौड़ साहब चूरू के अन्दर धरना दे रहे थे। ऐसी हालत है। फसल बीमा हो, मौसमी बीमारी हो, अतिवृष्टि हो जाये, ओलावृष्टि हो जाये, सरकार सदन में घोषणा कर दे और उन घोषणाओं के बाद भी किसान को मुआवजा नहीं मिले तो यह चिंता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का अंतिम सत्र है। राजस्थान का किसान इस सरकार पर कील ठोक देगा कि आपने हमारी करोड़ों रुपयों की फसल का मुआवजा नहीं दिया। सरकार उनको मुआवजा नहीं देगी तो दो महीने बाद जब ये राजस्थान के किसान के बीच में जायेंगे तो उनको पता चलेगा कि सरकार ने अन्याय किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो यह बताइये कि सोल्यूशन क्या है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो मांग यही है कि यहां आपदा राहत मंत्रीजी को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि किसानों की फसल का मुआवजा कब देंगे? अतिवृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान का कब तक मुआवजा दे देंगे? अगर सरकार गम्भीर नहीं है, मंत्री यहां बैठना नहीं चाहते हैं, किसान की रहनुमाई नहीं करना चाहते तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे बार-बार निवेदन है कि आप हमारा संरक्षण करें। आपके इलाके के अन्दर भी किसान हैं, आपने उनके दर्द और पीड़ा को देखा है, आपने उनके दर्द और पीड़ा को देखा हो तो आप आसन से व्यवस्था दो कि कब तक सर्वे करा लेंगे, कब मुआवजा दे देंगे। अगर सरकार गम्भीर नहीं है तो किसान तो हमेशा दर्द और पीड़ा को झेलता रहता है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी पाला पड़ता है, कभी अकाल पड़ता है, लेकिन फिर भी किसान मुस्कराता रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा में कहने के बावजूद भी अगर सरकार गम्भीर नहीं हो तो मुझे लगता नहीं कि सरकार किसानों के बारे में चिंतित है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही संरक्षण चाहता हूं कि सरकार के आपदा राहत मंत्री, अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, अगर चिंतित हैं तो आकर के यहां जवाब दें। आप कहते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है तो राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, माननीय धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने अगर कहीं जाकर के किसानों के दर्द को, किसान के खेत को देखा है तो वे जवाब दे दें। कोई तो बोले। इस विधान सभा के अन्दर कोई मंत्री बोलना नहीं चाहता। भरत सिंहजी साहब बैठे हैं यहां पर, उनके क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो, तभी तो बोलेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वे बतायें कि सरकार क्या करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो, तभी तो बतायेंगे। माननीय भरत सिंह जी, एक मिनट, इनका मेन कहना यह है कि समय के पहले गिरदावरी कैसे हो, उसका कुछ हो।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उल्लेख किया कि 7 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी सांगौद आये थे और सोयाबीन में और अन्य फसलों में जो नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराने, उसकी जांच कराने और उसके बाद उसके मुआवजे की उन्होंने घोषणा करने की बात कही थी, यह सही है। अभी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सर्वे का काम आरम्भ नहीं हो सका। बारिश अभी रुकी है। सर्वे होगा और मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, उस पर अमल होगा।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक। माननीय श्री कालीचरणजी सराफ।

जयपुर शहर की बदहाल व्यवस्थाएं

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले विधान सभा के चुनाव के समय और लोक सभा के चुनाव के समय में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जयपुर शहर के लोगों से यह वादा किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी और कड़ी से कड़ी आपने जोड़ी, केन्द्र में भी हमारी सरकार बनायी और जयपुर में भी हमारा महापौर बना तो हम जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह

(श्री कालीचरण सराफ)

कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जनता ने कड़ी से कड़ी भी जोड़ दी, केन्द्र में भी आपकी सरकार बन गयी, प्रदेश में भी आपकी सरकार बन गयी, जयपुर का महापौर भी आपका बन गया लेकिन आज यदि जयपुर की सड़कों की स्थिति देखी जाये, सफाई की व्यवस्था देखी जाये, रोड लाइट्स के मेंटीनेंस की बात यदि की जाये तो मैं यह कहूं कि वर्ल्ड क्लास सिटी की जगह जयपुर शहर को थर्ड क्लास सिटी के रूप में आप लोगो ने तब्दील कर दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि सारी सड़कें उधड़ी पड़ी हैं; बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं; आये-दिन वाहन वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उससे कई लोगों की मौत हो गयी। इसी प्रकार से, कचरे की स्थिति यह है कि जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है; रोड लाइट्स के ठेके हो गये लेकिन उनको वर्क आर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। 70 परसेंट से ज्यादा जयपुर शहर की रोड लाइट्स आज बंद पड़ी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे आवासन मण्डल हो, चाहे जे डी ए हो और चाहे नगर निगम हो, हर डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण आज जयपुर शहर की यह स्थिति हो रही है। अभी, सर, मैं एक मिनट तो बोला नहीं; दो मिनट तो टाइम दो।

श्री उपाध्यक्ष: किसी के ऊपर तो अधिकार है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, नहीं, मैं डिटेल में बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, जयपुर शहर में आप भी घूमते होंगे, अभी बस में आप मुख्य मंत्रीजी के साथ मेट्रो का मुआयना करने गये थे तो आपने भी देखा होगा कि आज जो प्रमुख सड़कें हैं जयपुर शहर की, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, उन पर भी बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं और कंकरीट दिख रही है। आज मालवीय नगर हो, तिलक नगर हो, इमली वाला फाटक, महेश नगर, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है, इंटीरियर सड़कों में कि जहां बड़े-बड़े खड्डे नहीं हो रहे और जहां सड़कें उखड़ी नहीं पड़ी हों।

उपाध्यक्ष महोदय, सफाई का आलम; आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर बार बरसात के पहले नालों की सफाई की जाती है जयपुर शहर में लेकिन इस बार आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर शहर के जो

(श्री कालीचरण सराफ)

725 नाले हैं, उनमें से केवल 40 प्रतिशत नालों की सफाई हुई है। आज जयपुर शहर का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, उसमें यहां 22 हजार सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है लेकिन केवल 5,617 सफाई कर्मचारी आपके यहां कार्यरत हैं। आपने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा तो की थी परन्तु आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को नियुक्ति देने में आप सफल नहीं हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा तो क्या होगा कि 4 साल से कचरा परिवहन का ठेका नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि महापौर जी को रेट ज्यादा लग रही है। रेट ज्यादा नहीं लग रही, कमीशन का मामला है, इसलिए ठेके नहीं हो रहे हैं।

इसी प्रकार से, जगह-जगह कचरे के ढेर हैं। पहले तो फोगिंग होती थी लेकिन अब फोगिंग की भी व्यवस्था नहीं है। मच्छर मारने की दवाई आपके स्टाक में नहीं है। जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए मच्छरों की दवाई छिड़कने के लिए, आपके पास केवल 30 कर्मचारी हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2,500 करोड़ की जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी थी परन्तु इस सरकार की लापरवाही के कारण आज वह केन्द्र सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। यदि सरकार परश्यू करती और केन्द्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपया ड्रेनेज सिस्टम के लिए लाती तो जयपुर की सफाई व्यवस्था सही हो सकती थी।

(15.00 बजे)

रोड लाइट्स का मामला, आज जयपुर शहर में उसकी निविदाएं हो गईं, रोड लाइट्स मेंटीनेंस की पर केवल कमीशन बढ़ाने के चक्कर में आज वर्क आर्डर नहीं हो रहे ठेकेदारों के। जयपुर शहर में आप चले जाइए, प्रमुख मार्गों पर आज रोड लाइट्स बंद पड़ी हैं जिसके कारण अपराधियों की पौ-बारह-पच्चीस हो रही है। 70 प्रतिशत से ज्यादा आज रोड लाइटें खराब पड़ी हैं।

तो मैं यह कहना चाहूंगा और सुझाव कुछ देना चाहूंगा कि सड़कों के सुधार के लिए सरकार पैकेज की घोषणा करे और यह सुनिश्चित करे और एक डिपार्टमेंट को आप इसकी जिम्मेदारी दें, जे डी ए को दें, नगर निगम को दें, हाउसिंग बोर्ड को दें या पी डब्ल्यू डी को दें, पर एक डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी आप दें कि पूरे जयपुर शहर की सड़कों की रिकार्पेटिंग की जाये।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कचरा परिवहन का ठेका दिया जाये और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की आपने जो घोषणा की है, उस पर अमल करके जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाये।

रोड लाइट्स की मेंटीनेंस के ठेकेदारों के वर्क आर्डर जो पेंडिंग पड़े हैं, टेण्डर हो गये पर उनको वर्क आर्डर जारी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मामला चल रहा है, दो प्रतिशत से ज्यादा चार प्रतिशत कमीशन चाहिये। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मेयर साहिबा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सात सी ई ओ बदल दिये उन्होंने, सात सी ई ओ।

श्री उपाध्यक्ष: आप यह मुझसे आशा करें कि मैं आपको टोकूं, मैं नहीं टोकूंगा; आप अपने आप समाप्त कीजिये। आप अपने आप समाप्त कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल मत टोकिये आप।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेयर साहिबा ने सात सी ई ओ जयपुर शहर के चेंज करवा दिये। मुख्य मंत्रीजी को आप लैटर लिखती हैं; क्या पता, क्या बात हो गई; पहले तो हमारे सांसद साहब और मेयर साहिबा में बहुत अच्छी घनिष्ठता थी, अब वह किस मामले में झगड़ा हो गया, पैसे के लेन-देन का मामला था या और कोई मामला, मुझे पता नहीं, पर आजकल उनमें बड़ा झगड़ा है; वे एक दूसरे पर जान के खतरे का आरोप लगा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी को। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। आप बीच में काहे आ गये?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बैठ जाइये आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अगर करप्शन हुआ है तो रखो आप। आप चार बार बोल चुके हो। आप यह कह रहे हो, उन दोनों के बीच क्या हुआ; यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लाइट के ठेकों को लेकर उन पर उंगली उठी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप बार-बार क्यों आरोप लगा रहे हो? (व्यवधान) आप एक महिला मेयर, जयपुर की, राजधानी की, उसके ऊपर आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अंत में एक सुझाव और देना चाहूंगा कि सात-सात सी ई ओ उन्होंने चेंज कर दिये, आप तो ऐसा करो, आप यदि लाचार हो और मेयर के ऊपर कोई कण्ट्रोल नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कैसे कह रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो उनके जो पति हैं, मिस्टर टेन परसेंट, उनको सीईओ बना दो, तो सारी व्यवस्था में सुधार हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह नहीं। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मंत्रीजी बैठे हैं, मेरी बात का जवाब चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप इसे एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान) यह चीज आप एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों एक साथ बोल देना यह। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करवाइये यह अभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में क्या बोलना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जब आप उनको इजाजत दे रहे हैं तो कृपया मुझे भी इजाजत दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बाद बोल लेना आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप उनको इजाजत दे रहे हैं तो मुझे भी इजाजत देंगे। जयपुर नगर निगम का मामला है, आप मुझे भी इजाजत दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगायेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बिना आरोप-प्रत्यारोप के; हां, मैं बिना आरोप-प्रत्यारोप के बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कतई नहीं आरोप-प्रत्यारोप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, बिलकुल नहीं लगाऊंगा, आप मुझे बुलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: पहले वे बोल लें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ठीक है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर सबकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर एक फैसला होना चाहिए। राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात आती है तो जब भी कोई घाट की गूणी टनल से निकलता है और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचता है तो निश्चित रूप से इस सरकार को सलाम जरूर करता है और अशोक गहलोत को धन्यवाद भी देता है और 15 सितम्बर को जब मेट्रो का ट्रायल शुरू होगा, तब आगे बढ़कर वह कहेगा, सदियों तक लोग याद रखेंगे इस सरकार को कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है।

इस वर्ल्ड क्लास सिटी में 25 वर्षों बाद पहली बार बहुत ज्यादा बरसात हुई है, जयपुर में 25 वर्षों का रिकार्ड टूट गया। राजा के टाइम पर जो ड्रेनेज प्लान था, वह जे डी ए और नगर निगम के लोगों की अदूरदर्शिता के कारण पूरा प्लान, सिस्टम बंद कर दिया गया, पुराने नालों को बंद कर दिया गया और जिस राजा ने एक हजार साल बाद की प्लानिंग की, हमारे अधिकारियों ने जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वे 25 वर्ष की प्लानिंग करते हैं, उनकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई।

ऐसे में जब बरसात ज्यादा हुई है, उसी दौरान हम प्रोक्योरमेंट एक्ट लेकर आये और उस एक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह जरूर हमें मिल सकता है, मंत्रीजी, उस एक्ट में साफ-साफ प्रावधान है कि जो नई सड़क बनेगी, उस नई सड़क की तीन साल की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और ठेकेदार से उस सड़क को नई बनवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। अब यह जांच होनी चाहिए कि जो नई सड़कें बनीं, वह टूट गईं; टूट गईं तो टूटने के क्या कारण रहे; और यदि टूट गई हैं तो टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम, मंत्रीजी, हमको देना चाहिए, क्योंकि यह पारदर्शी सरकार है जो प्रोक्योरमेंट एक्ट लेकर आई। उस एक्ट के अनुसार, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सड़कों की जांच भी हो और सात दिन का टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम दें। आपने सुबह कहा कि अक्टूबर लास्ट तक हम सड़कें ठीक करवा देंगे, मेरा निवेदन है कि प्रोक्योरमेंट एक्ट में तीस दिन का टेण्डर होता है, आपने उसमें रिलेक्सेशन देते हुए 15 दिन का कर दिया। मंत्रीजी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेट कान्ट्रेक्ट का सात दिन का प्रोग्राम दिया जाये, सात दिन में टेण्डर करवाये

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जायें तो जयपुर की सड़कें सारी ठीक हो जाएंगी। रेट कान्ट्रेक्ट में, एक तरफ जयपुर में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में पट्टों के जरिये जयपुर की जनता ने करोड़ों रुपये, तीन सौ से पांच सौ करोड़ रुपये दिये, वह सारा पैसा आप जयपुर की सड़कों के लिए, ड्रेनेज प्लान के लिए दीजिये; घोषणा कीजिये कि प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में जयपुर की जनता ने पट्टे लेते हुए जो पैसा दिया, वह पैसा आप जे डी ए और जयपुर नगर निगम को देंगे।

उपाध्यक्षजी, मैं एक मिनट और लूंगा, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला है, यह सरकार का बड़ा प्रोग्राम है, बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। यह नगर निगम सरकार के अण्डर में है, नगर निगम के अण्डर में राजस्थान की सरकार नहीं है। नगर निगम में बैठ कर अगर बी जे पी और कांग्रेस के पार्षद लड़ें, उससे जयपुर की जनता का कोई लेना-देना नहीं है। राजस्थान की सरकार कमजोर नहीं है, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसमें सफाई कर्मचारियां की भर्ती की आप ताकीद करें और यह आदेश नगर निगम को दें, यदि वह फेल हो रहा है भर्ती करने में तो डी एल बी के जरिये सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई जाये।

मैं, मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के अलावा, ड्रेनेज प्लान लेकर पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने जो मीटिंग ली, उसमें 100 करोड़ रुपये ड्रेनेज प्लान के लिए देने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री निवास में घोषणा की। उन 100 करोड़ रुपये का हिसाब भी नगर निगम और जे डी ए वालों से लिया जाये।

मैं फिर कहूंगा कि नगर निगम और जे डी ए वालों से, मंत्रीजी, आप जयपुर के प्रभारी भी हैं, मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय के जरिये निवेदन करूंगा कि कल छुट्टी है, परसों चाहे उनको विधान सभा में बुलायें, यह बी जे पी और कांग्रेस के मुकाबले का सवाल नहीं है, राजधानी सबकी है, हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर फैसला लेना चाहिए।

राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही, राहुल गांधीजी ने और सरकार 12 हजार करोड़ का मेट्रो का बड़ा प्रोजेक्ट लायी है, काम अच्छा हो रहा है लेकिन जब बरसात ने मेहरबानी की, मैं आज कह सकता हूं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, न तो अशोक गहलोतजी के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पास और न आदरणीया वसुन्धराजी के पास, दोनों के पास ऐसा कोई पाइप नहीं है जो पानी बरसा दे; पानी तो सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है, बी जे पी और कांग्रेस, दोनों की ताकत नहीं है। लेकिन बी जे पी और कांग्रेस से ऊपर भी एक और ताकत है, जो दया करती है, जो हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भेदभाव नहीं करती, वह सबको बराबर में बांटती है, उसकी मेहरबानी से जमाना अच्छा हुआ। आज पूरे राजस्थान के बांध भरे हुए हैं, लबालब हैं।

उपाध्यक्ष जी, अंत में एक बात और बोल रहा हूं, जयपुर में, मैं आपको बधाई दूंगा, जो वाटर पालिसी हम लाये, उसका परिणाम है कि जयपुर में 250 से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमने बनाये। मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि उसी तरह के वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम को आप हाथ में लें और मैं आपको गारण्टी के साथ कह सकता हूं कि वाटर हार्वेस्टिंग के कारण जयपुर में जल स्तर साढ़े तीन मीटर ऊपर उठा है इस बार, और ऊपर उठेगा।

उपाध्यक्षजी, आपके जरिये मैं मंत्रीजी को लास्ट में एक और निवेदन करूंगा, मंत्रीजी, जयपुर में बड़े-बड़े फ्लैट्स आ गये हैं, फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की संख्या आज जयपुर में 35 परसेंट हो गई है। उन फ्लैट्स वालों को पानी की प्राब्लम है, ड्रेनेज की प्राब्लम है क्योंकि आप नक्शे उनके पास कर रहे हैं, आप स्वायत्त शासन मंत्री हैं, लेकिन आप उनको पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हो। अब बरसात हो रही है, बोरिंग की उनको परमिशन नहीं देते...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मोहन लालजी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी परमिशन दें और जयपुर के लिए आगे बढ़कर आप कोई बड़ी घोषणा करें जिससे लोगों को लगे कि राजधानी सब की है और राजधानी के प्रति हम सब चिंतित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय मोहन लालजी। इन्होंने जो बताया, माननीय खाचरियावास साहब ने, उससे अलग हटकर कुछ बताएं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं अलग हटकर ही बात कर रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट करवा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, माननीय मंत्री महोदय, मैं दो मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो सब को अलाउ करते जा रहे हो। यह तो डिबेट हो गई।

श्री उपाध्यक्ष: एक और हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे को बोलने की इजाजत दी है, साहब। जिस प्रकार से जयपुर शहर में आज स्थिति है, आप चाहे रामगंज बाजार चले जाइए, चांदपोल बाजार चले जाइए, मानसरोवर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, चारों तरफ ऐसा लग रहा है, वह वर्ल्ड क्लास नहीं, थर्ड क्लास सिटी है। आमेर में ट्यूरिस्ट आता है तो वह कहता है कि what is this? Is it the Pink City? इस प्रकार की स्थितियां हो गई हैं इस पिंक सिटी की, इसको गर्त में डाल दिया और माननीय मंत्री महोदय ने सही कहा है, यह नगर निगम नहीं, नरक निगम है। इस नरक निगम को ठीक तो करो, साहब, आप इसके इंचार्ज हो। आप इसके इंचार्ज हो, इस नाते ही ठीक कर दो। बड़ी हालत खराब है, प्रापर्टी कनेक्शन की जो गलियां हैं, उन गलियों में जो पानी आ रहा है, वह वापस लोगों की रसाइयों में चढ़ रहा है। प्रापर्टी कनेक्शन का पानी, सीवर का पानी ऊपर चढ रहा है, अब यह स्थिति इस प्रकार से बन गई है। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गुप्ताजी, जब आप मेयर थे न, नगर निगम के जब आप मेयर थे, नरक निगम उस वक्त भी था।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, उस वक्त भी था, लेकिन हमारे जमाने में नगर निगम की सफाई की स्थिति वर्ल्ड क्लास थी; वर्ल्ड क्लास सफाई थी, आज वह थर्ड क्लास हो गई। आप तो कहते हो, हमारे सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने ऐसा-ऐसा कानून ला दिया...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो, कृपया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप एक एक्ट लाये हो कि हम सर्विसेज को तीन दिन में, छह दिन में, दस दिन में ठीक करेंगे; सफाई को तीन दिन में कर देंगे, लाइटों को तीन दिन में ठीक कर देंगे और अगर कोई

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

अधिकारी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, आज पूरा जयपुर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। चोरियां हो रही हैं, महिलाओं की चेनें लूटी जा रही हैं अंधेरे में, और उसके बाद लाइटें ठीक नहीं हो रही हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सफाई नहीं हो रही है, क्या कार्यवाही कर रहे हैं? सड़कें टूट रही हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो।

श्री मोह्नलाल गुप्ता (किशनपोल): क्या कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान).

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह सफाई में चोरी कहां घुस गई? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह सफाई में चोरी कहां घुस गई? यह भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने। यह सफाई में चोरी कैसे आ गई?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ये चोरियां भी रात को हो रही हैं। अंधेरा हो रहा है, पूरे जयपुर शहर में, अंधेरे में डूबा हुआ है, इस अंधेरे में डूबे हुए शहर में आप क्या चाहते हैं? जयपुर शहर राजधानी है राजस्थान की, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं, यहां क्या स्थिति हो रही है, आप कृपया देखें और जाकर के देखें कि क्या स्थिति हो रही है। आप चलिए, जयपुर शहर का दौरा तो कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात का जवाब सुनना है क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सब यहां लावारिस हैं, जयपुर शहर में। आप देखें तो सही। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की सफाई, जयपुर की प्रकाश व्यवस्था, पेच रिपेयर और रिकार्पेटिंग के बाबत अभी सराफ साहब ने जो बात कही, मैं उसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं, आपके पास इंफार्मेशन पूरी नहीं है। आपने यह भी कहा कि साहब, वार्डों के जो प्रकाश व्यवस्था के ठेके हुए, जिनका वर्क आर्डर आज तक नहीं दिया गया, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 67 वार्डों के 23 समूह बनाकर के, उनमें से 18 समूहों के वर्क आर्डर 12.8.2013 को जारी हो चुके हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पर हुआ क्या?

श्री उपाध्यक्ष: अब यह बहस नहीं है। आप जवाब सुनिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 12.8 और आज 27.8...

श्री उपाध्यक्ष: आपको जवाब सुनना है क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ये मेरे पीछे बोल रहे हैं, साहब, इनको मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप देखिए, डिस्टर्ब नहीं करें। आप जवाब सुनने की क्षमता रखें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पूरा जयपुर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते हैं क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आर्डर देने से काम हो गया?

श्री उपाध्यक्ष: जवाब नहीं सुनना चाहते हो क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सुन रहे हैं जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: तो फिर आप बैठें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप सुन लीजिए प्रतिपक्ष को भी।

श्री उपाध्यक्ष: आप सीट पर बैठिए। अवसर नहीं है न। मंत्रीजी एक तो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो सुनिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठेकेदार को जो वर्क आर्डर मिलता है, उसके बाद मोबिलाइजेशन में भी टाइम चाहिए। एक लाख 75 हजार पाइंट हैं यहां पर, जयपुर में, उनमें से 7 हजार की शिकायतें आई हैं। आपने, पता नहीं, कैसे बता दिया कि साहब, 70 हजार पाइंट खराब हैं यहां के। (व्यवधान) शिकायतें, मेरी बात सुनिए...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बता दूंगा आपको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको मैंने बोलने दिया आराम से, अब मुझे भी बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: हर बात पर नहीं, यह बहस नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 7 हजार

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पाइंट की शिकायतें आई हैं, उनके निस्तारण के लिए बाकायदा काम चल रहा है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जो त्रुटि पर हो, करेक्ट कर लें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुबह तिवाड़ी साहब ने एक सवाल पूछा था, उसका मेरे पूरा जवाब देने के पहले ही दूसरा जवाब दिलवा दिया गया। आपका एक सुझाव था, सुझाव यह था कि जे डी ए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की मिला करके कोई न कोई एक मेंटीनेंस सैल बननी चाहिए, एग्जेक्टली इस सुझाव पर ही हमने काम शुरू किया है, 7 अगस्त को एक काल सेंटर की स्थापना की है जे डी ए में। क्योंकि झगड़ा क्या होता है कई बार कि हाउसिंग बोर्ड ने कालोनी बसाई, ट्रांसफर हो गई नगर निगम को लेकिन फाइलें ट्रांसफर नहीं हुईं। अब, मान लीजिए, कोई सड़क डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उधर तो यह शिकायत आएगी कि साहब, यह नगर निगम की सड़क है; नगर निगम की सड़क है तो नगर निगम में जाएगा आदमी, शिकायत देगा; शिकायत देगा तो कहेगा कि इसकी फाइल ही मेरे पास नहीं है, यह डिफेक्ट लाइबिलिटी की स्कीम है, कौन ठेकेदार है, मुझे पता नहीं है। और वह झगड़ा चलता रहेगा। इसीलिए काल सेंटर की स्थापना की गई है। काल सेंटर में अभी तक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1,298 शिकायतें आई हैं। 1,298 जो शिकायतें आई हैं, उनमें से 643 शिकायतें तो जे डी ए की थीं और बाकी जो थीं, वे 350 शिकायतें नगर निगम की थीं, वे उन तक पहुंचा दी गई हैं और इसी तरीके से 111 शिकायतें जो थीं, वे हाउसिंग बोर्ड की थीं, वे उन तक पहुंचा दी गई हैं। वे यह नहीं कह सकते कि ये शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। ये उन्हीं के एरिया की हैं, जो काल सेंटर ने फैसला करके उनके पास पहुंचाई हैं और उनको समय दिया है कि सात दिन के अन्दर-अन्दर इस पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर वह जवाब दे दें। एक बात।

दूसरी बात यह कि, जब तीनों जगह मेंटीनेंस सैल स्थापित कर दिये गये हैं, जे डी ए की मिसाल मैं बताता हूं आपको, जे डी ए में चार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगाये गये हैं उस मेंटीनेंस का काम देखने के लिए और उनको शहर की 123 पक्की जो मुख्य सड़कें हैं, उनको काम दिया गया है कि आप इन पर काम करके दिखाओ। एक एक्सपीरियंस के तौर पर, मतलब

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

यह है कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर यह चालू किया है। अगर मान लीजिए कि यह प्रोजेक्ट सफल होता है, टी ई ओ जब है, नगर निगम में भी, जे डी ए में भी और हाउसिंग बोर्ड में भी, तो इसका एक कामन सैल बनाकर के, एक अथोरिटी टाइप बना करके मेंटीनेंस का काम उसको दे दिया जाए।

मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया, अभी तक जो असेसमेंट लगाया गया है पेच वर्क पर और रिकार्पेटिंग पर, वह खर्च करने का है। कुछ करीब 60 या 70 करोड़ रुपये तो नगर निगम लगाएगा, 220 करोड़ रुपये जे डी ए खर्च करेगा और बाकी बारह-तेरह करोड़ रुपये हाउसिंग बोर्ड खर्च करेगा। अर्थ का अभाव जरूर रहता है नगर निगम के पास। इसलिए आज ही हमने यह आदेश दिये हैं उसको हाउसिंग बोर्ड को कि वह 20 करोड़ रुपये नगर निगम के पास जमा करायें। तो 20 करोड़ रुपये उसके पास पांच-सात रोज में पहुंच जाएंगे और उसके वर्क आर्डर इश्यू हो जाएंगे। यह सारा काम 31 अक्टूबर तक कम्प्लीट हो जाएगा।

जहां तक सफाई का सवाल है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सफाई में कई तरह की लापरवाहियां हैं, कई तरह की वे भी हैं, उनको भी जरा एक्शन लेकर उस पर भी कार्यवाही की जानी है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: आगे बढ़ गया।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रख रहे हैं, यह अधिसूचना है 30.11.2012 की और 8 महीने पश्चात् अप्रैल, 2013 में रख रहे हैं, और अधिसूचना भी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस अधिसूचना के माध्यम से विशेष पिछड़ा, पांच जातियों को राज्य की शैक्षिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संस्थाओं में सीट और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति एवं पदों में भर्ती के लिए पांच प्रतिशत का आरक्षण का कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रियाओं के नियम 53 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नियम 53 यह कहता है कि ''न्यायाधिकरण, आयोग, आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव-साधारणतया सिद्धांतत: ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:...'' उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है, यह आरक्षण का मसला जो आज राजस्थान के उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में है, यह आरक्षण का मसला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको अधिसूचना रखने का अधिकार है, पर यह सदन यह जानना चाहता है, 30.11.2012, इसके बाद हमारा बजट सत्र प्रारम्भ हुआ था, अप्रैल में बजट सत्र हमारा समाप्त हुआ, यह अधिसूचना उस वक्त की आज क्यों रखी जा रही है? आज चुनाव से पहले आप क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हों इस अधिसूचना के माध्यम से? आपने जिस आरक्षण अधिनियम, 2008 का उल्लेख किया है, क्या यह सही नहीं है कि इस आरक्षण अधिनियम में 14 प्रतिशत उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण का प्रावधान भी था? क्या यह सही नहीं है कि उस अधिनियम के अनुसार राज्य में 67 प्रतिशत लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान था? मंत्री महोदय, रखें आप, मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यकता नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हर बार चालाकी से इस सदन के अन्दर, जो फाउल है, आप जिस नियम और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसको आप आधा पढ़ते हैं और उसके बाद का आधा नहीं पढ़ते। इसके बाद का आधा क्या कहता है, जरा वह पढ़कर दिखा दीजिये। उसमें अध्यक्ष को अनुमति देने का पावर है। आप उसको तो पढ़ते नहीं हैं। तो सदन को गुमराह करने की कोशिश आप मत किया करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसमें लिखा हुआ है, जिस धारा की बात आप कर रहे हो, उसका आधा और पढ़ो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप विराजो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप दोनों मित्रों को शांत कर दूं, इजाजत हो तो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप शांत कर सकते हैं। आपके जैसा विधि का ज्ञान मुझ में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो बुनियादी सवाल हैं; पहला बुनियादी सवाल यह है कि 30.11.2012 की अधिसूचना आज 8 महीने पश्चात् क्यों रखी गई? दूसरा, यह न्यायिक विवेचना के अन्दर सारा आरक्षण का मसला है, तो इस पर यह अधिसूचना लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? यह जानने का मेरा अधिकार है। इतनी सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। मुझे कुछ कहना है क्या, आसन से?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कार्मिक विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.7(8)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 30.11.2012 जिसके द्वारा विशेष पिछड़ी 5 जातियों को राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में सीधी भर्ती हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम, 2008 के अनुसार दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, इस बात का आप स्पष्ट तो करो। जो विषय इन्होंने उठाया, उस विषय को आप....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसका। कोई रेलेवेंस ही नहीं है जवाब देने का। कोई रेलेवेंस ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2008 का जो अधिनियम था, आज की तारीख में कोर्ट में, जिस पर आप 5 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हो, वह आपका 50 प्रतिशत से बाहर जा रहा है और उसके कारण से ही तो इसमें है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह समय उस डिस्कशन का नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कैसे नहीं है? अधिसूचना सदन की सम्पत्ति बनी है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से रख रहे हैं। (व्यवधान) नियम में है, इसलिए रख रहे हैं। (व्यवधान) सदन को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें तो मैं कुछ कहूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...आप पालना ही नहीं कर सकते तो क्यों...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। पूरा पढ़ो तो सही इसको, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अनुमति दे सकते हैं। (व्यवधान)

व्यवस्था

अधिसूचना सदन पटल पर समय पर रखी जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: यह सही है कि समय पर अधिसूचना या जो भी इन्फार्मेशन गवर्नमेंट की होती है, वह रखनी चाहिए और इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

नम्बर दो, 53 उस पर लागू नहीं होता है। बहस की कोई बात आयेगी तो उस टाइम पर सोचा जाएगा, अभी बहस का मसला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आठ महीने बाद क्यों?

श्री उपाध्यक्ष: आप बात तो सुनिये। माननीय शांतिजी धारीवाल, रख दिया आपने?

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की एक तथा आबकारी विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग तथा आबकारी विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

उद्योग विभाग

अधिसूचना संख्या : आरएफसी/एफ.ला-3/एलपीएम/6/1558 दिनांक 04 जनवरी, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम सामान्य विनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/12 पार्ट दिनांक 04 अप्रैल, 2013, जिसके द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा को निर्यात (सेंडिंग आउट) के लिये लेबल अनुमोदन फीस में 80 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(29)वित्त/आब/2009 दिनांक 28 मई, 2013, जिसके द्वारा देय लाइसेंस फीस फार होलसेल बेण्ड से मैसर्स राजस्थान ब्रेवरी लिमिटेड, बहरोड़, अलवर को दिनांक 4.2.2002 से 31.3.2011 तक छूट प्रदान की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्न छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 26.2.2013, जिसके द्वारा क्यू आर जी फाउण्डेशन, अलवर के 10 पिक-अप वाहनों को अनन्य रूप से राजकीय स्कूलों में मिड-डे मील वितरण के उपयोग हेतु कर में छूट प्रदान की गई है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(77)परि/कर/मु/04 दिनांक 2.4.2013, जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वाहन संख्या-आरजे-27-पीए-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

4085 को रोगियों, नि:शक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(96)परि/कर/मु/10 दिनांक 7.5.2013, जिसके द्वारा दिनांक 9.5.2013 से 22.5.2013 तक अजमेर आने-जाने वाली अन्य राज्यों की बसों द्वारा देय कर की 3500/- रुपये से अधिक कर राशि में छूट प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु/11 दिनांक 16.5.2013, जिसके द्वारा मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, भरतपुर के वाहन संख्या-एमएटी -445222बीजेडसी-20348 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(138)परि/कर/मु/10 दिनांक 16.5.2013, जिसके द्वारा बाड़मेर जन सेवा समिति, बाड़मेर की बस संख्या-एमएटी-453554सी-7-एच-32884 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 27.6.2013, जिसके द्वारा अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर के वाहन संख्या-आरजे-14पीबी-9953 एवं आरजे-14-पीसी-0291 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के निम्न तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12) (सिविल-स्थानीय निकाय)

1- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4);

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)
(आर्थिक क्षेत्र)

2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-3); एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)
(राजस्व क्षेत्र)

3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-2) ।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, चार प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग के निम्न चार प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2010-11)

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-2011;

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2010-11)

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-2011; एवं

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2009-10)

4- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-2010 ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कितनी गम्भीर है, प्रतिवेदन रख रही है, इस प्रतिवेदन के माध्यम से हम कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर सकते हैं। यह 2009-10 का है, उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद देखें, 2010-11 का है। कौनसा वर्ष चल रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, इनको आप डांट तो दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगले सत्र में सरकार ध्यान रखेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौनसी सरकार रखेगी, उपाध्यक्ष महोदय? उपाध्यक्ष महोदय, आसन से निकला एक-एक शब्द और उस शब्द के बारे में स्पष्टीकरण तो हम ले सकते हैं। कौनसी सरकार? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बैन नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये बोल देंगे, वह सरकार बन जाएगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष: सत्र कभी भी आ सकता है। इसी का, 13वीं विधान सभा का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार कौनसी? (व्यवधान) वह सरकार कौनसी? आप इशारा करो न। सरकार कौनसी? उपाध्यक्ष महोदय, धीरे से इशारा कर दो न। (व्यवधान)

आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12) (वर्ष 2012-13)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नि:शक्त व्यक्ति (समान

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अन्तर्गत आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान के वर्ष 2011-12 एवं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2010-11)

(1) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011; एवं

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

(2) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 ।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जन लेखा समिति, 2013-14 समिति के 33 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2013-14) के प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 223 से 255)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 के निम्न 33 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2010-11 के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुच्छेद संख्या 3.1.2, 3.2.4, 3.4.3 एवं 3.4.7 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 223वां प्रतिवेदन;

(2) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.3, 3.1.4 एवं 3.3.4, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 224वां प्रतिवेदन;

(3) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.6 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 225वां प्रतिवेदन;

(4) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 1.8.4 व 3.4, वन, राजकीय उपक्रम, जेल एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 226वां प्रतिवेदन;

(5) जन लेखा समिति 2011-12 के 141वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 227वां प्रतिवेदन;

(6) जन लेखा समिति 2011-12 के 129वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 228वां प्रतिवेदन;

(7) जन लेखा समिति 2010-11 के 61वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 229वां प्रतिवेदन;

(8) जन लेखा समिति 2011-12 के 85वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 230वां प्रतिवेदन;

(9) जन लेखा समिति 2011-12 के 153वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 231वां प्रतिवेदन;

(10) जन लेखा समिति 2011-12 के 79वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 232वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(11) जन लेखा समिति 2011-12 के 149वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 233वां प्रतिवेदन;

(12) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.5 व 3.1.1, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 234वां प्रतिवेदन;

(13) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 2.5, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 235वां प्रतिवेदन;

(14) जन लेखा समिति 2011-12 के 82वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 236वां प्रतिवेदन;

(15) जन लेखा समिति 2011-12 के 144वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 237वाँ प्रतिवेदन;

(16) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.4, आयोजना विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 238वां प्रतिवेदन;

(17) जन लेखा समिति 2012-13 के 166वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 239वां प्रतिवेदन;

(18) जन लेखा समिति 2012-13 के 167वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 240वां प्रतिवेदन;

(19) जन लेखा समिति 2011-12 के 80वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 241वां प्रतिवेदन;

(20) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.2 व 3.5.2, गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 242वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(21) जन लेखा समिति 2012-13 के 165वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 243वां प्रतिवेदन;

(22) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.4, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 244वां प्रतिवेदन;

(23) जन लेखा समिति 2012-13 के 173वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 245वां प्रतिवेदन;

(24) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 3.1, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 246वां प्रतिवेदन;

(25) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 1.5.1, वन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विधि एवं वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4, वन, वित्त, उद्योग, विधि, पंचायती राज एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 247वां प्रतिवेदन;

(26) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.1, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 248वां प्रतिवेदन;

(27) जन लेखा समिति 2012-13 के 172वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 249वां प्रतिवेदन;

(28) जन लेखा समिति 2012-13 के 198वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 250वां प्रतिवेदन;

(29) जन लेखा समिति 2012-13 के 164वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 251वां प्रतिवेदन;

(30) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संख्या 3.1.1, 3.2.2 एवं 3.3.2, उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 252वां प्रतिवेदन;

(31) जन लेखा समिति 2011-12 के 150वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 253वां प्रतिवेदन;

(32) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 254वां प्रतिवेदन; **एवं**

(33) जन लेखा समिति 2010-11 के 62वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2013-14 का 255वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, विशेषाधिकार समिति 2013-14, समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

सुश्री रत्ना गुप्ता के व्यवहार विषयक विशेषाधिकार समिति (वर्ष 2013-14) का प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का दिनांक 19.7.2010 को महिला थाना, गांधीनगर का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान सुश्री रत्ना गुप्ता, थाना अधिकारी, महिला थाना (पूर्व), जयपुर द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ किये गये अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार के फलस्वरूप सुश्री रत्ना गुप्ता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि यह जो विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह सदन का पूरा विषय है। इसलिए सदन में इस पर विचार-विमर्श निश्चित किया जाना चाहिए और सरकार की ओर से इसके अध्ययन के बाद इसके लिए प्रस्ताव आना चाहिए। ये दो काम इस प्रतिवेदन के साथ-साथ होने आवश्यक हैं, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियम है कि जब हम कोई भी विशेषाधिकार समिति को भेजते हैं और समिति उस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, तो उस विषय पर हम, कोई भी माननीय सदस्य बहस की मांग कर सकता है और उस पर बहस होना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय, आज चूंकि प्रतिवेदन उपस्थापित किया है तो इसकी कापी आप सबको जाएगी। अभी बी.ए.सी. की मीटिंग है, आप उसमें निर्णय ले लें। मुख्य सचेतक जी भी विराजमान हैं। बिलकुल इसी सत्र में, जो भी आप निर्णय करेंगे, सम्भव है, सरकार की तरफ से, कल 28 की छुट्टी है, 29 को भी रखें। जब भी आप रखना चाहें तो उसको रख दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 32)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2013 को मध्याह्न पश्चात् 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 अगस्त, 2013 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2013	(1) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013; (2) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013; (3) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013; (4) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013; (5) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013; (6) महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013;

(डा. रघु शर्मा)

(7) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013;

(8) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;

(9) मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013;

(10) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013; एवं

(11) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

पर विचार एवं पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयकों में संशोधन के लिए पर्याप्त समय का अवसर

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जो कार्य सलाहकार समिति ने आज प्रस्ताव रखा है और अनुमोदन कराने जा रहे हैं, इसमें 11 विधेयक हैं और इन 11 विधेयकों का आज पारण होगा, इन पर अमेंडमेंट आज मूव होगा। इस लेजिस्लेचर प्रोसेस में पूरा जो फ्लो आफ बिल्स का है, उसमें अमेंडमेंट मूव करने का यहां हरेक सदस्य को अधिकार है। हमने अमेंडमेंट मूव किया तो हमारा अमेंडमेंट इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि कल एक बजे पहले, यानी बीते कल की बात है। 11.45 बजे तो आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो रही है, आपने यह जो हमको भेजा है, यह नितान्त गोपनीय है। बी.ए.सी. का एजेंडा तो अब यहां सदन में आया है।

आप यह बताइये, यह यहां के सदस्य का, पूरे सदन का अधिकार है कि इन बिल पर, विधेयकों पर अपने विचार रख सकें, अपना अमेंडमेंट मूव कर सकें। अब अमेंडमेंट का राइट ही आपने कर्टेल कर दिया तो आखिर इन विधेयकों को लाने के पीछे औचित्य क्या है? यह अपने आप में एक...

श्री उपाध्यक्ष: बैठकर नहीं, बैठे-बैठे नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इन 11 विधेयकों पर अगर मैं संशोधन मूव करना चाहूं तो मुझे अधिकार नहीं है। तो बताइये, मेरे अधिकार का हनन हुआ या नहीं हुआ? और मेरे अधिकार का हनन हुआ है तो सम्पूर्ण सदन के अधिकार का हनन हुआ है। कल एक बजे मुझे कैसे पूर्वाभास हो सकता था कि आप 11 बिल लेकर आ रहे हैं, जबकि यह सूचना हमको रात को मिली? और वह भी अब तक, जब तक आप नहीं बोलें, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, तब तक यह नितान्त गोपनीय थी। हम अमेंडमेंट कैसे मूव करें? जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट मूव कर दिये, उनको कैसे सूचना मिली? यह भी हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। एक तो यह है।

दूसरा मेरा जो व्यवस्था का सवाल है, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं, हम शोकाभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं दुखान्तिका में, दुर्घटनाओं में; मैं गरिमापूर्वक सदन के पटल पर निवेदन करना चाहता हूं, जो जांबाज सैनिक शहीद हो जाते हैं, कल ही का वृतान्त है, कुछ दिनों पहले का, इन शहीदों के प्रति क्या हम, सदन श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर सकता? क्या हम इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते? दुर्घटनाओं का कर सकते हैं, उत्तराखण्ड की त्रासदी का कर सकते हैं, लेकिन शहीद होने के उपरान्त उन शहीदों को सदन श्रद्धांजलि अर्पित क्यों नहीं कर सकता? अगर नियम नहीं है तो नियम बनाया जाये। फिर +++ की पर्ची आ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कुछ कहना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, कार्य सलाहकार समिति की कल जो बैठक हुई, उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष: रघुजी, इनका साथ-साथ ही जवाब दे देना ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी वक्त है, आखिरी सत्र है, लब पर है आपका नाम, आखिरी, आखिरी। क्योंकि अगर विधान सभा की इस कुर्सी पर बैठकर हमने कोई ऐसी व्यवस्था दी, जो आगे आने वाले माननीय सदस्यों के लिए और पिछली जो परम्पराएं हैं, उनके खिलाफ होगी, तो यह अपने नियमों की सारी पुस्तक बेकार होगी।

दो प्रश्न श्रीमान् राव राजेन्द्र सिंहजी ने बहुत महत्वपूर्ण उठाये हैं। पहला प्रश्न तो यह है, जो मैंने भी दिया है संशोधन, कार्य सलाहकार समिति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का प्रतिवेदन सदन में स्वीकार होने से पहले, वह गोपनीय है। वह पारित हो कि नहीं हो, उस पर प्रश्नचिह्न है। आपने उन संशोधनों को स्वीकार कैसे किया? वह इसलिए नहीं हो सकता। एक।

दूसरा, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार होने के बाद में 48 घंटे कम से कम मिलते हैं, जिनमें माननीय सदस्य अपना संशोधन दे सकते हैं। आप उस समय को घटाकर 10 घंटे कर लें, 12 घंटे कर लें, पर आप उनके अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। यह विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेम्बली में तीन इसमें पारण होते हैं। हम विधान बनाते हैं। हम विधान बनाने वाले अगर हमारी नियमों की पुस्तिका को ताक पर रख देंगे, संविधान को ताक पर रखकर अध्यक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत इन विधेयकों को पारित करायेंगे तो यह गलत परम्परा साबित हो जायेगी।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मंजूर कराइये। हमने सबने मंजूर किया है, हमने यह मंजूर कर लिया कि 10 विधेयक हम एक दिन में पास करेंगे, इससे ज्यादा हम सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। हम 10 के 10 पास करेंगे। लेकिन जिन माननीय सदस्यों को क्लाजवाइज अपने अमेंडमेंट देने का अधिकार है, जिन सदस्यों को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का अधिकार है, प्रवर समिति को भेजने का जिनका अधिकार है, उन सारे अधिकारों को आप समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को हम एकमत से पारित करते हैं लेकिन यह अधिकार जो माननीय सदस्यों का है, उस अधिकार को आप कर्टेल नहीं करें, आसन उसकी रक्षा करे और इस पर आप व्यवस्था दें।

अभी आप व्यवस्था नहीं दे सकते हों, क्योंकि यह व्यवस्था जो लिखी जायेंगी ना, वह फिर याद आयेगी और इसलिए मैंने कहा है। एक बार भी आसन से चूक हुई थी। वह चूक परमानेंट मानी जाती है। इसलिए आप इसमें चूक नहीं करें और व्यवस्था तो सही दें। सरकार को छूट देना हो तो दे दें आप, लेकिन अपनी व्यवस्था लिखें कि यह काम नियम-कानून-कायदे से इस प्रकार से होना चाहिए था लेकिन हम सरकार को इन कारणों से छूट देते हैं। वह बात समझ में आ सकती है, आपको अधिकार है, असीमित अधिकार है आसन को, लेकिन उन असीमित अधिकारों का प्रयोग हमारे नियमों की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पुस्तिका को और हमारे विधान को समाप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर यह हुआ तो फिर अनावश्यक रूप से न्यायिक हस्तक्षेप सदन की कार्यवाही में भी होने लग जायेगा, जिस प्रकार से विधान सभा के अन्य कार्यों में धीरे-धीरे न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है। आज इस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अगर यह इस प्रकार की व्यवस्था रही तो एक न एक दिन, जिस प्रकार से नाइंथ शिड्यूल को अब कोर्ट्स अपने विवेकाधीन में लेकर आ गई है, उसी प्रकार यदि हमारी इन व्यवस्थाओं को अगर न्यायिक परिवीक्षा के आधार पर लेकर आ गई तो यह हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी।

इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी ने जो दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं, उन प्रश्नों पर आप व्यवस्था दें और व्यवस्था देने के बाद में विधेयकों को लें। लेकिन अपने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पारित करायें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आपके दल के भी और बाकी दल के भी माननीय सदस्य, जो उसके सदस्य होते हैं, आप लोग खुद ने, सबने मिलकर तय किया, क्या बिजनेस आज लेना है। आप वरिष्ठ हैं, और भी माननीय सदस्य हैं जो वरिष्ठ हैं, उस वक्त यह ख्याल आना चाहिए था और यह चर्चा में पाइंट-आउट किया भी नहीं गया था। आपको भी ध्यान है अच्छी तरह से। मैं इस बात से सहमत हूं कि संशोधन पेश करने का हर माननीय सदस्य को अधिकार है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्य सलाहकार समिति पूरे सदन की है, ना तो वह सरकार की है, न किसी राजनैतिक दल की है। इसलिए उस जिम्मेदारी में हम सब बंधे हुए हैं। मेरा यह निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात से, चूंकि यह हम सबकी उपस्थिति में हुआ है, यह बात ठीक है लेकिन जब इन्होंने प्रस्ताव भेजा तो आपके यहां से प्रस्ताव देखने वाले को यह भी देखना चाहिए कि एक बजे का, उस पर हार्ड एण्ड फास्ट नहीं है। जब आपने, कार्य सलाहकार समिति ने तय ही नहीं किया तो उनका जो अमेंडमेंट था, उसको आपने रिजेक्ट में क्यों डाला? और रिजेक्ट में इस आधार पर डाल दिया कि चूंकि आपने एक बजे पहले अमेंडमेंट नहीं दिया। तो यह तो आपके +++ को भी देखना चाहिए, उसमें छूट देते हुए उनका अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेते तो यह सवाल खड़ा नहीं होता। यह उनका राइट है और इस राइट के आधार पर आपके सचिवालय को निर्णय करना चाहिए कि समय को घटाकर, जितने घंटे का आपने दिया है, उसमें से घटाकर, आज सबेरे 10 बजे तक भी कोई अपना अमेंडमेंट देना चाहें तो दे सकें। उसके आधार पर अमेंडमेंट आ जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए यह कहा कि संशोधन देने का अधिकार सभी माननीय सदस्यों को है। यह बात भी सही है कि कार्य सलाहकार समिति, जिसके सभी दल अंग हैं, उसमें हम सभी समाविष्ट हैं। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रतिवेदन या वोट के लिए रखे जाने वाला कोई भी प्रसंग हो, उसके अन्दर सदन का अधिकार है, वह मत विभाजन में उसको पास करे या उसको अस्वीकार करे। यह जो प्रतिवेदन सामने आया है कार्य सलाहकार समिति का, अगर सदन इसको अस्वीकार कर दे तो क्या स्थिति बने?

अब चूंकि हम बंधे हुए हैं, आज तक अस्वीकार नहीं हुआ, परन्तु इसके साथ ही अनेकों प्रसंग हैं, जब अमेंडमेंट देने के लिए शिथिलता इसी के साथ मूव हुई है कि चूंकि इस पूरे बिजनेस को एक दिन में पारित कराना है, इसलिए अमेंडमेंट देने की शिथिलता दूसरे दिन 11 बजे तक दी है; कई बार शाम तक, दोपहर 2 बजे, 3 बजे तक दी है। इस पूरे मामले को देखना चाहिए।

मैं तो कहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आज जो सदस्य अमेंडमेंट नहीं दे पायें, हम आज के बिजनेस को 31 तारीख को ले सकते हैं। समय दें सबको। एक दिन में 10-10 बिल। उपाध्यक्ष महोदय, इन बिलों के साथ ऐसे महत्वपूर्ण बिल, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बिल, मार्केटिंग बोर्ड से जुड़े हुए बिल।

इसलिए मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि इसको, आज के बिजनेस को एक बार यहीं रोकिये और 31 तारीख को रखें ताकि सम्माननीय सारे सदस्य अपने संशोधन के प्रस्ताव दे दें। उन पर एक बार चर्चा फिर हो जायेगी। इसमें क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, कुछ बोलेंगे? मुख्य सचेतकजी ने तो स्वीकार कर लिया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार, दुर्भाग्य यह है कि कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्टिंग अखबारों में नहीं छपती और सदन में रखे जाने वाले विचार अखबारों में छप जाते हैं। कार्य सलाहकार समिति में सर्वसम्मति से यह बात पारित हुई थी, सर्वसम्मति से। यह बात वहां पर भी आ सकती थी उस वक्त, और आई थी, उसके बाद भी सर्वसम्मति इस बात के लिए बनी कि ये दस के दस बिल रख लिये जायें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बात तो, बात तो....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल यह है कि एक बार कार्य सलाहकार समिति जो कुछ फैसला कर पाई और जिसका अनुमोदन अभी सदन के द्वारा होगा, नहीं होगा, प्रक्रिया यही है। अब सवाल यह रहता है कि अमेंडमेंड जो है वे रिजेक्ट हो गये। वह तो फिर असेम्बली देखेगी, असेम्बली का यह आसन देखेगा; इसमें सरकार का तो कोई लेना-देना है नहीं, आसन का लेना-देना है। निवेदन कर लें दोबारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, संसदीय कार्य को चलाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, यह सब आपको देखना चाहिए था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, तो यह चलाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या चलाये जा रहे हो? घास काट रहे हो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी के कहने के बाद में आसन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि सरकार तो पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। अब यह आसन की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि आसन भी नियम, कानून-कायदे, परम्परा और मर्यादाओं से बंधा हुआ है। इसलिए आसन को भी अब, सरकार और विपक्ष, दोनों आपकी ओर देख रहे हैं, इसलिए आसन भी अब....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह नहीं कहा कि आसन की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि आसन के ऊपर डिपेन्ड

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करता है, यह आदेश आसन का होगा। जो भी आदेश होगा, आसन का आदेश होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए आज का दिन आपके लिये भी महत्वपूर्ण है। यह तो लिखा तो जा ही रहा है और आजकल तो क्लिक और कर दिया अध्यक्षजी ने; ज्यों ही क्लिक दबा कर देखेंगे, रामनारायणजी मीणा, माननीय उपाध्यक्ष ने क्या व्यवस्था दी, तो आपका नाम आयेगा। इसलिए अब आपको नियम, कानून, कायदों के अनुसार अपनी व्यवस्था देनी है या अगले चुनाव को देखकर देनी है, यह फैसला आपको करना है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार स्थगित कर दें, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चार बजे की वह कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चार बजे तक कर लें, चार बजे अपनी कार्य सलाहकार समिति की बैठक है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

व्यवस्था

विधेयकों में संशोधन के लिए पर्याप्त समय मिले, इसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में बोल गये। तिवाड़ी साहब के बोलने के बाद मेरा नाम आना चाहिए था। साथ-साथ कैसे आ गया? बीच में बोल गये।

मैं माननीय मुख्य सचेतकजी के द्वारा जो बात उठाई गई है और उप नेता, प्रतिपक्ष ने भी जैसा बताया, मुख्य सचेतक महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और इसकी खंडना संसदीय कार्य मंत्रीजी ने भी नहीं की है। यह बात सही है और यह भी सही है कि माननीय किसी भी सदस्य के अधिकार का हनन या कंर्टेलमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, बिलकुल सही है, साफ है और यह भी सही है कि कार्य सलाहकार समिति में यह बात नहीं आ पाई। जब यह बात नहीं आ पाई, तो यह त्रुटि कैसे हुई, किससे हुई, इसके बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन यह सचिवालय को भी स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के ध्यान में लाना चाहिए था, जब अमेंडमेंड आये थे।

(श्री उपाध्यक्ष)

खैर, वह स्टेज निकल चुकी, दोबारा भी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में आप लोगों को जाना है। यह जो हुआ है, उसके बारे में नहीं कहते हुए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए था। त्रुटि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि बिजनेस आगे बढ़ चुका है इसलिए उस बात को यहीं समाप्त मान करके, इसको उदाहरण नहीं मान करके, इसके बारे में आइन्दा से +++ बिलकुल ध्यान रखे और कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में भी इस तरह से कोई जल्दबाजी में निर्णय लें, जल्दी बिजनेस लेना हो तो ध्यान रखा जाना चाहिए।

अब तो क्या... (व्यवधान) फिर वह बीच में आ जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सदन में +++ पर चर्चा होती ही नहीं है। इसलिए व्यवस्था में से +++ शब्द निकलना चाहिए, आपकी व्यवस्था में से। एक।

दूसरी बात यह है कि हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं लेकिन आपकी व्यवस्था में यह तो आना चाहिए कि यह परम्परा नहीं बनेगी, यह परम्परा नहीं बनेगी और माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं, उनको भी बोलने का अधिकार होगा।

ये दो बातें हों और +++ शब्द इसमें से हटे, क्योंकि आसन की ही जिम्मेदारी है, +++ की नहीं है। कभी भी हमारी व्यवस्था में +++ शब्द आता नहीं है, +++ की सदन में चर्चा नहीं होती है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: खैर, वह +++ शब्द तो एक्सपंज हो जायेगा, मेरा वह आशय भी नहीं था, आसन की तरफ से, क्योंकि अपन सब शामिल हैं। तो जो भी अमेंडमेंड आये हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, वे माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उनको अधिकार होगा और यह परम्परा, आपकी बात से आसन सहमत है और मुख्य सचेतकजी ने और संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपकी बात को ताईद किया है, यह आइन्दा से परम्परा नहीं रहेगी। इस समय तो बिजनेस को आगे बढ़ाया जाय।

प्रश्न यह है, कोई बात नहीं, प्रश्न यह है कि, आसन भी यह चाहता है कि यह यदि अंतिम सत्र हो तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चले। न सत्ता पक्ष आपके खिलाफ है, न आप उनके खिलाफ हो, दोनों मिलकर चल रहे हैं, जनता में चलना है, वहां भी प्यार-प्रेम से चुनाव लड़ना है।

(श्री उपाध्यक्ष)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 32)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

प्रवर समिति (राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 पर गठित) के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। आन ए प्वाइंट आफ, मोस्ट अर्जेन्ट प्वाइंट आफ आर्डर है। यह प्रवर समिति का आप अगले सत्र के लिए बढ़ा रहे हैं, मतलब आप इस 13वीं विधान सभा का सरकार एक सत्र और बुलाने का विचार रखती है क्या? यह समाप्त होता है। यह बढ़ा नहीं सकते। यह तो विधान सभा का सत्र अगर दिसम्बर के पहले-पहले दोबारा होना है तब तो आप इसको स्वीकार करें, वरना तो यह अपने आप ही समाप्त हो जायेगा। हां।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर बात सामने आई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चार आनरेबल मेम्बर्स के द्वारा अमेंडमेंड पेश किये गये। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की टोटल प्रोसीडिंग्स जो थीं गोपनीय थीं, तो ये अमेंडमेंड कैसे पेश हो गये?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो उससे पहले ही कर दिये थे; जब आपने रखे, तभी कर दिये थे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह क्या जिम्मेदारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हर मेम्बर की नहीं है कि वह इसको गोपनीय रखे? और उसने गोपनीयता तोड़ी है तो उसके बाबत मैं आपका निर्देश, आपका आदेश चाहता हूं कि आप इसमें जो है, जिन लोगों ने यह गोपनीयता भंग की है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है, नियमों के तहत क्या कार्यवाही हो सकती है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मामला गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में कोई भी बिल रखा जाता है, उसके बाद संशोधन देने के लिए कोई जरूरी नहीं कि समय लिखा जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी सदन में बिल आ जाता है हमारे पास, हमारे पास जब बिल आ जाता है और बिल के आगे प्रोसीडिंग्स हैं, उसी दिन हम अपना अमेंडमेंड डाल देते हैं, चाहे वह किस तारीख को लगेगा, जिस तारीख को लगेगा उस दिन उसमें चला जायेगा लेकिन हमको डालने का अधिकार तो बिल जब हमारे पास आ जाता है, हमको अधिकार मिल जाता है और इस अधिकार के तहत, संसदीय मंत्रीजी, हमने अपने अधिकार का उपयोग किया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह बिल 'आयेगा, न आयेगा' पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है या आप ही तय कर लेते हो बिल आते ही? आप ही तय कर लेंगे?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिल आ गया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, उसको सूची...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं। यह इस तरीके से नहीं चलें, गलत बात। आप लोगों ने गोपनीयता भंग की है। निश्चित तौर पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए, सदन से क्षमा मांगनी चाहिए आपको। यह अधिकार नहीं था आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि अपनी गलती छुपाने के लिए आड़े-टेढ़े नहीं निकलना। (व्यवधान) यह ताली किस बात की बजा रहे हो? आपको अमेंडमेंड देने का या तो कभी अवसर ही नहीं आया, या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिंदगी में कभी अमेंडमेंड दिया ही नहीं। अगर दिया हो तो देख लो। जिस दिन यह हाउस में हमको सबमिट हो जाता है, उस दिन ही....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज ही सारा रिकार्ड मिला है सबको। मेरे अमेंडमेंड कितने आये, कितने नहीं आये, आपके वक्त में देख लेना, जब आप एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो मैं आपकी कापी लूंगा, तब देखूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह देख लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सामान्यत: प्रक्रिया यह है कि जब हमको बिल सबमिट हो जाता है, हम अमेंडमेंड दे देते हैं।

एक माननीय सदस्य: देखिये गुलाब जी, गुलाब जी। गुलाब जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह यहां का जो डिपार्टमेंट है, आपका सचिवालय, वह तय करता है कि वह किस दिन लिस्टेड होता है। जिस दिन लिस्टेड होता है, उस दिन हमारा अमेंडमेंड उसमें चला जाता है। अब आप गलती को छुपाने के लिए आड़े-टेढ़े मत चलो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अध्यादेश रख दिये ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, यह अभी माननीय एक ड्रू कापी की बात कर रहे थे, गुलाबजी की ड्रू कापी; मैं यह कह रहा हूं कि शांतिलालजी धारीवाल की तो ड्रू कापी बनी ही नहीं है कोई दूसरी। एक ही कापी है यह तो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक जो बहस हुई है ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो ओरिजनल है ना? ड्रू कापी नहीं, यह तो ओरिजनल तो है ना? बता दो आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के अधिकारों के बारे में जो चर्चा हुई, या फिर वह बेमानी है कि वे भी अवेयर होते हैं और वे डाल देते हैं, जैसे आप लोगों ने डाला। तो फिर दोनों बातें कैसे होंगी? हमने दोनों तरह की चर्चा की है इस सदन के अन्दर, एक तरफ हम उनके अधिकारों के संरक्षण की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ

(डा. रघु शर्मा)
आप अपनी बात को भी सही बता रहे हैं। जिस तरह से आपने अमेंडमेंट पेश किये, फिर माननीय दूसरे सदस्य भी कर सकते थे पेश।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, यह बहस का विषय नहीं है। इस सदन की हमेशा यह परिपाटी, जब भी आप हमको...

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय कटारिया जी, यह मसला ही नहीं रहा है। आप दोनों ने कोशिश की है कि आसन इसके बारे में कोई बोले। जब कोई मैटर हो या प्रकरण हो, तब बोले न आसन तो।

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब सत्र आएगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप कैसे मानते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मान रहे हो न, आएगा?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आएगा। आप यह कैसे मानकर चल रहे हो कि नहीं आएगा?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो रिकार्ड बना दिया तेरहवीं विधान सभा में सबसे कम बैठक होने का।

श्री उपाध्यक्ष: हर चीज सम्भव है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बारहवीं से लेकर के तेरहवीं विधान सभा तक सबसे कम बैठकें होने का रिकार्ड बना दिया और अब एक महीने के अन्दर सत्र बुलाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप तो, आप ही कहते हो, तीन दिन चलाइए। आपकी कार्य समिति में इस तरह की चर्चा है कि आप कम चलाने के लिए कहते हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, यह कार्य समिति की चर्चा थोड़ी ही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप चला रहे हैं ना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चर्चा यह हो रही है कि तेरहवीं विधान सभा का सत्र आएगा और हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप चुनाव आये तब तक चलायें, आसन को कोई एतराज नहीं है। आप विराजिए।

माननीय हेमारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्योंकि राजस्थान की सरकार हाउस बुलाने के लिए राज्यपाल को रिकमण्ड करती है। सबसे कम बैठकें बुलाने का रिकार्ड राजस्थान में तेरहवीं विधान सभा की सरकार ने किया है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल हेमारामजी का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हेमारामजी, आप रखिए।

समिति प्रतिवेदन

प्रवर समिति (राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2013 पर गठित) का प्रतिवेदन

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-2014 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वर्ष 2013-2014 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें, (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2013-14) (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वर्ष 2013-2014 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 । श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-20) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-20) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-16) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-16) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, विधेयक, 2013। श्री मांगीलाल गरासिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक-13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक-13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 । श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांगों के पारण सहित वित्तीय प्रक्रिया की पूर्णता के पूर्व वित्तीय व्यय आलिप्त करते विधेयकों का पुर:स्थापन विधि-विरुद्ध

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण पाइन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष: वह क्लिक पर आ जाएगा न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आ जाएगा। इसलिए कर रहा हूं, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आये और यह नहीं हो कि विधान सभा में जो-जो माननीय सदस्य बैठे थे, किसी ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसलिए मैं मेरी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं।

(16.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें वित्तीय ज्ञापन लिखा हुआ है, वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि 'जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर स्थापित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 पुर:स्थापित किया जा रहा है। इसके अधिनियमित होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की स्थापना में उपगत किये जाने वाले अनावर्ती और आवर्ती व्यय की संगणना की गई है। भवन के संनिर्माण और आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनुमानित 27 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और आवर्ती व्यय के लिए प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें समय-समय वृद्धि हो सकती है। इस व्यय के लिए पूरक मांग के माध्यम से समुचित उपबंध प्रस्तावित किया जा रहा है।'

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ने इसके लिए अभी पैसा पारित नहीं किया है। अनुपूरक अनुदान की मांग सरकार लेकर आयी है, कब लेकर आएगी, राज्यपाल महोदय ने इसके लिए कितना पैसा दिया, वह बात है। जब तक यह सदन इस वित्तीय ज्ञापन को मंजूर पहले नहीं कर लेता, बजट में घोषणाएं होती हैं, बजट पास होता है, उसके बाद बिल आता है। तो वित्तीय ज्ञापन से स्पष्ट है कि 27 करोड़ रुपये लगेंगे, 27 करोड़ की अभी व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही है वह अनुपूरक अनुदान की मांगें लेकर आएगी। लेकर आएगी, उस पर बहस होगी, पारित होगी कि नहीं होगी, कार्य सलाहकार समिति कब उसको करेगी। उसके बाद में विधेयक आये और इस विधेयक को पारित कराया जाए। ये सारे नियम, कानून-कायदे अगर हम ताक पर रख दें तो फिर वह सारी स्थिति सदन की खराब हो जाएगी। पूरे सदन का काम नहीं चलेगा, विधायिका का।

इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कार्य सलाहकार समिति पहले यह प्रतिवेदन तय कर दे कि राज्यपाल महोदय ने किस तारीख को सदन में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अनुपूरक अनुदान की मांगें रखी हैं उन अनुपूरक अनुदान की मांगों में यह रुपया स्वीकृत है। उसके बाद यह बिल आएगा तो संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी; उसके पहले अगर यह बिल आता है तो यह गलत बात है।

इसलिए मैं आपसे चाहूंगा, आपके मन में तकलीफ हो रही होगी कि मेरे से ही सारी व्यवस्थाएं कराना चाहते हैं लेकिन चूंकि आप इस समय सदन में आसन पर बैठे हैं और ये बिल आये हैं, तो मैं इन सभी बिलों को पास करने के पक्ष में हूं, मैं इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के पक्ष में हूं लेकिन सदन की जो प्रक्रिया है उसमें हम कोई चूक नहीं करें। अभी मांग है ही नहीं, इसका कोई लेनदेन ही नहीं है और आप कह रहे हो अनुपूरक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में, क्या सदन की गारंटी ले ली सरकार ने कि अनुपूरक अनुदान की मांगें वे पेश कर देंगे और हां-हां करके हाथ खड़ा कर देंगे? क्या कार्य सलाहकार समिति को गारंटी में ले लिया सरकार ने कि कार्य सलाहकार समिति में जाएंगे और कल वह पास कर देंगे?

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था करिये कि पहले कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में यह बात आये, अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बहस का टाइम तय हो, वे पारित हों, उसके बाद इस वित्तीय ज्ञापन के आधार पर यह बिल आये। उसके बिना ये सारे बिल जो आये हैं, वे अवैध हैं, गलत हैं। हमको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, आपकी और व्यवस्था को तो कोई चुनौती नहीं दे सकता लेकिन बिल के असंवैधानिक और संवैधानिक होने को न्यायालय में स्टेप-डाउन किया जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम हम नहीं करें जो इस प्रकार का हो और इस प्रकार सारी परम्पराओं को लेकर के...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सब में वित्तीय ज्ञापन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सब में वित्तीय ज्ञापन है; मैंने पढ़ा है, सब पर है। सब में वित्तीय ज्ञापन है, वित्तीय ज्ञापन के बिना तो ला ही नहीं सकते आप। अब यह साफ है कि इन वित्तीय ज्ञापन के बिना इन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये नहीं आएंगी और सदन में सारे बिल हमने पेश कर दिये। ये यूनिवर्सिटीज बनेंगी नहीं, ये चुनाव भी हो जाएंगे, इन यूनिवर्सिटीज का नाम भी हो जाएगा, ये सारा काम भी होगा। तो कम से कम हम सब कुछ, पालिटिकली जो कुछ करना चाहें, करें लेकिन सदन की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परम्पराओं को हम ध्वस्त नहीं करें और मान्यताओं के आधार पर अपन काम करें।

अगर इसको पारित किया जाता है, गुलाबजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर अगर सरकार इसको विलम्ब नहीं करती है तो मैं नहीं समझता कि हमको इसमें भागीदार बनना चाहिए। इन बिलों को पुर:स्थापित करने में प्रतिपक्ष भागीदार बने और नियमों को तोड़ने में हम सहभागी बनें, यह हम नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक तब तक पूरा नहीं होता, संविधान के अनुसार, जब तक उसके साथ उसका वित्तीय ज्ञापन नहीं हो और वित्तीय ज्ञापन में स्पष्ट यह उल्लेख करना पड़ता है कि इसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है। अब इसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रति वर्ष की बात कही है पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहा है कि पूरक मांग के माध्यम से समुचित उपबंध प्रस्तावित है, पूरक मांग अभी विचारार्थ आयी नहीं है, पूरक मांग को क्या सदन पारित करेगा या नहीं करेगा, यह भविष्य बताएगा; बिना उसके वित्तीय ज्ञापन के ये सारे अधूरे हैं, अवैधानिक हैं। मैं समझता हूं कि आपकी सदारत में इस प्रकार का अवैधानिक काम, जो राजस्थान विधान सभा की गरिमा के प्रतिकूल हो, जो इतिहास में लिखा जाएगा और उसमें साथ-साथ यह भी लिखा जाएगा कि दो सौ लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। मैं तो, उप नेताजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ध्यान आकर्षित किया।

इस सदन को एडजोर्न करो; उपाध्यक्ष महोदय, अभी एडजोर्न करो; मेरी मांग है आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे, आप एडजोर्न करो और उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाइये, फिर उसके बाद आप व्यवस्था करिये। हो क्या रहा है यह? यह संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यह नियम और प्रकिया की पुस्तिका क्यों दे रखी है हमें?

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीनियर मैम्बर हों, आदेशात्मक भाषा में बोलना चाहिए क्या आपको? आप तो मुख्य सचेतक हों, आदेशात्मक भाषा में तो नहीं बोलना चाहिए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रार्थना कर रहे हों लेकिन आदेशात्मक भाषा में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी सहृदयता है और मुझे मालूम है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करोगे, सदन को एडजोर्न करोगे और उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाओगे। सरकार क्षमायाचना करेगी। सदन का समय 31 तारीख के बाद और बढ़ायें, उसके बाद इन पर विचार-विमर्श करेंगे। एक तरफ अमेंडमेंट देने का अधिकार ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पण्डित हो क्या आप? पण्डित हो क्या? आपको सारी चीजें मालूम हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप इस बारे में कोई व्यवस्था दें। अगर आप व्यवस्था देने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो फिर हमारा यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात कह लें भले ही, मैंने कभी कोई असमर्थता प्रकट नहीं की है। मैंने तो केवल माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष से यह अनुरोध किया था कि इतने डिसिजन एक दिन में शायद कभी नहीं कराये होंगे आपने, कभी भी। इसलिए क्यों उस बात को रखते हो? इसलिए मैंने कहा था। इनको तो जरूर, मैंने माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ को कहा था कि आदेशात्मक भाषा में सदन में आसन से बात नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे क्षमा मांगने से कोई परहेज नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वह बात वहीं आ गई। अभी चार बजे आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है और यह बिल पुर:स्थापित हो रहा है, उसके बाद में आएगा। (व्यवधान) आप बात तो सुनिये। आप निर्णय कर रहे हो क्या? निर्णय तो आसन को करना है। इसलिए पुर:स्थापित करने की तो मैं आज्ञा देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वाक आउट। (व्यवधान) हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हम इसमें भाग नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें बहस करना, नहीं करना, आपकी इच्छा है। आपकी कार्य सलाहकार समिति ने निर्णय किया है यह। माननीय मुरारीलाल जी।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): एक तो सरकार ने इतना अच्छा फैसला किया है...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहाना बना रहे हैं ये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नो, नो, वाक-आउट करते हैं और इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक में भी नहीं आएंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर इस तरह से किसी भी बात पर अडिग रहना है तो कोई मतलब नहीं है। हम वाक-आउट भी करते हैं और उस कमेटी में भी नहीं जाएंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्योंकि आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, आपके पास कोई विचार नहीं हैं, इसलिए आप वाक-आउट कर रहे हो। यह सिर्फ पुर:स्थापित हो रहा है, आज कोई पारित नहीं हो रहा है, विचारार्थ नहीं हो रहा है। विचारार्थ नहीं लिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप किसानों के हितैषी नहीं हो। राज्य सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है, किसानों के लिए तीन विश्वविद्यालय और बनाये। आप किसानों के हितैषी नहीं हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इस पाप में हम शामिल नहीं होते हैं। मैं और मेरा दल इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 । श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 । श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरडक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पवन दुग्गल।

(अनुपस्थित)।

श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाडी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी।

(अनुपस्थित) ।

मंत्रीजी, कुछ बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या बोलें? कोई बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 और 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री हरजीराम बुरडक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला ।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित) ।

प्रश्न यह है कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 8 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि महाराणा प्रताप कृषि

(श्री मुरारीलाल मीणा)

और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित) ।

प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(**स्वीकृत**)

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो?

प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामकिशोर सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

अनुपस्थित

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार, श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता। उपस्थित हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6 । कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशोर सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा, डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी को कोई जवाब देना है नहीं।

प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा0 दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राधेश्यामजी गंगानगर, आपकी कुर्सी किधर है?

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(**स्वीकृत**)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठोड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री पवन कुमार दुग्गल। श्री पवन कुमार दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठोड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री पवन कुमार दुग्गल। श्री पवन कुमार दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी। श्री केसाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 । कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(**स्वीकृत**)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.39 बजे गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर में उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना

8. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् किस तिथि तक उच्च न्यायालय कार्य कर रहा था? इसकी स्थापना किस आदेश के अन्तर्गत की गई थी तथा इसे किस आदेश से बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ कब स्थापित की गई व इसकी स्थापना के मुख्य कारण एवं आधार क्या थे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उदयपुर सम्भाग के सभी जिले एवं भीलवाड़ा जिले से जोधपुर की न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मेवाड़ वागड़ अंचल के अधिवक्ताओं एवं अन्य संगठनों ने उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को कोई ज्ञापन दिया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वतंत्रता से पूर्व न्यायालयों की स्थापना का विषय तत्कालीन रियासतों से सम्बन्धित है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 10 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय जोधपुर में बैठेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकेगा जो राजप्रमुख द्वारा तय किये जायें। राजप्रमुख ने उक्त धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25.08.1949 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 29.08.1949 से जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की एवं साथ ही यह निर्देश दिया गया कि उच्च न्यायालय जयपुर और उदयपुर में भी बैठक करेगा। दिनांक 03.09.1949 को राजप्रमुख ने अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय पुराने मामलों को सुनने के लिए बीकानेर और कोटा में भी बैठक करेगा किन्तु वहां पर नये मामले नहीं सुने जायेंगे।

संविधान लागू होने के पश्चात दिनांक 08.05.1950 को राजप्रमुख ने

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

पुन: अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया कि दिनांक 22.05.1950 से उच्च न्यायालय बीकानेर, कोटा और उदयपुर में बैठक नहीं करेगा।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 10 के अधीन दिनांक 25.08.1949 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए जयपुर पीठ को उत्सादित (Abolish) कर दिया गया था। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य सरकार की अभिशंसा से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 08.12.1976 के द्वारा जयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की।

(3) उदयपुर से जोधपुर की बस द्वारा सड़क मार्ग से दूरी 256 किलोमीटर तथा ट्रेन द्वारा रेल मार्ग से दूरी 273 किलोमीटर है। भीलवाड़ा से जोधपुर की बस द्वारा सड़क मार्ग से दूरी 239 किलोमीटर है।

(4) जी हां। संयोजक, मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेन्च संघर्ष समिति का ज्ञापन दिनांक 13.08.2013 राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। सर्किट बेन्च की स्थापना तभी सम्भव होती है जब माननीय उच्च न्यायालय का प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया जावे।

नलका ग्राम (बारां) में कृषि प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि

9. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में बारां तहसील के ग्राम नलका में बारां-कोटा मुख्य सड़क के निकट स्थित पुराने खसरा नं. 336 (नया खसरा नम्बर 374) एवं 258 (नया खसरा नम्बर 380) स्थित हैं? यदि हां, तो 1970 से दिनांक 10 अगस्त, 2013 तक उपरोक्त खसरों के भू-स्वामियों का भूमि स्थानान्तरण, नामांतरण सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरों की भूमि बारां-कोटा मुख्य सड़क के मध्य से 50 गज की परिधि में स्थित है?

(3) उक्त खसरों की भूमि का भूमि आबंटन, उक्त अवधि में कृषि प्रयोजनार्थ किन-किन काश्तकारों को किया गया? उगाई गई फसलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त समयावधि में किया गया भूमि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में वर्णित प्रतिबंधित आबंटन की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि आबंटन की प्रक्रिया में कौन-कौन सम्मिलित थे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त खसरों की भूमि का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां के पक्ष में रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार वर्तमान संज्ञान के आधार पर उक्त आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हाल खसरा नं. 380 का साबिक खसरा नं. 258 न होकर 358 है। मिलान क्षेत्रफल परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्ष 1970 से दिनांक 10.8.2013 तक उक्त खसरों के भू-स्वामियों के नामान्तरकरण की फोटोप्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) रिकार्ड के अनुसार साबिक खसरा नं. 336 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नं. 374 रकबा 1.54 हेक्टेयर में से ख.नं. 374/1 रकबा 0.25 हेक्टेयर वर्तमान में कोटा-बारां मुख्य सड़क पर स्थित है, जो सड़क के मध्य से 50 गज की परिधि में स्थित है तथा ख.नं. 374 की शेष भूमि 1.29 हेक्टेयर कोटा-बारां मुख्य सड़क के रूप में है। अन्य साबिक खसरा नं. 358 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नं. 380 रकबा 0.63 हेक्टेयर कोटा-बारां मुख्य सड़क के मध्य से 50 गज की परिधि में स्थित नहीं है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) उक्त खसरा नम्बरान का आबंटन पत्रावली संख्या 5 दिनांक 9.5.1981 से श्री बिरधी लाल पुत्र श्री किशोर जाति बलाई सा. नलका के नाम साबिक खसरा नं. 336 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 358 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल 05 बीघा 03 बिस्वा भूमि आबंटित की गई थी।

दिनांक 28.1.1983 को कैम्प सुन्दलक में पुन: खसरा नं. 358 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा श्री चतुर्भुज पुत्र श्री भैंरूलाल जाति बलाई को आबंटन किया गया। वर्ष 1970 से 2013 तक की उगाई गई फसलों का विवरण, खसरा गिरदावरी परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(4) साबिक खसरा नं. 336 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन नियम, 1970 के नियम-4 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आता था। साबिक खसरा नम्बर 358 तत्समय प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं होकर बंजड़ दर्ज थी। आबंटन भू-आबंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। समिति में उपखण्ड अधिकारी, सरपंच, विकास अधिकारी व तहसीलदार सम्मिलित थे। भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण की फोटोप्रति परिशिष्ट "न" पर संलग्न है।

(5) जी हां। यह सही है कि वर्तमान खसरा नं. 374 के गत खसरा नं. 354 व 336 हैं, जिनमें खसरा नं. 354 गिरदावरी संवत् 2024-27 अनुसार रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु. सड़क महकमा पी.डब्ल्यू.डी. के दर्ज रिकार्ड तथा जमाबन्दी संवत् 2031-34 पर खसरा नं. 336 किस्म बंजड़ खाता सं. 1 सिवाय चक खाता सरकार बंजड़ में दर्ज रिकार्ड थी। किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नं0 354 व 336 को मिलाते हुए खसरा नं. 374 रकबा 1.54 हेक्टेयर गै.मु. सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज की गई, जो दिनांक 13.9.2012 तक पी.डब्ल्यू.डी. के नाम रही। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2067-70 में खसरा नं. 374 रकबा 1.54 हेक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क दर्ज रिकार्ड थी। इस भूमि में से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 107/08 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 30.6.2009 की पालना में नामा. सं. 599 दिनांक 14.9.2012 से 0.25 हेक्टेयर भूमि पर श्री बिरधी लाल पुत्र श्री किशोर जाति बलाई साकिन देह के नाम दर्ज हुई। श्री बिरधी लाल द्वारा उक्त भूमि के विक्रय किये जाने पर नामा. नं. 621 दिनांक 14.3.2013 से क्रेता विष्णु पुत्र देवीलाल जाति कोली सा. मेहरों का मोहल्ला, बारां के नाम दर्ज हुई।

(6) राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार बारां को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.6.2009 व राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के औषधि नियंत्रकों के विरुद्ध लम्बित जांचें

10. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में मुख्य औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक के

(श्री कालीचरण सराफ)

कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों पर वर्तमान में कौन-कौन पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों के विरुद्ध अनियमितता किये जाने की शिकायतों के आधार पर सी.सी.ए. नियमों के तहत जांच विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच लम्बित है, उनके द्वारा ही जीवन-रक्षक दवाओं एवं अन्य जांच के कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कब व प्राप्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मुख्य औषधि नियंत्रक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। औषधि नियंत्रक के 02 पद स्वीकृत हैं, जो भरे हुए हैं। सहायक औषधि नियंत्रकों के 35 पद स्वीकृत है, जिनमें से 09 पद भरे हुए हैं, शेष 26 पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

औषधि नियंत्रकों तथा सहायक औषधि नियंत्रकों के पदों पर पदस्थापित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त में से तीन सहायक औषधि नियंत्रकों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्मिक विभाग में जांच विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जीवन रक्षक दवाओं की जांच का कार्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, सेठी कालोनी, जयपुर के औषधि विश्लेषकों (ड्रग एनालिस्ट) के द्वारा किया जाता है, जिनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

(4) औषधियों की जांच/परीक्षण के लिये जिम्मेदार औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कोई जांच बकाया नहीं है।

परिशिष्ट-अ

पदस्थापित औषधि नियंत्रकों की सूची

क्रम संख्या	वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	श्री डी. के. श्रृंगी	औषधि	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
2	श्री विनोद कुमार ढल	औषधि नियंत्रक	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रकों की सूची

क्रम संख्या	पदस्थापन स्थान	वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का नाम
1	जयपुर (मु.)	श्री के. जयवन्त
2	जयपुर (मु.)	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (तदर्थ)
3	जयपुर (मु.)	श्री अजय कुमार जैन (तदर्थ)
4	जयपुर शहर	श्री दिवाकर पटेल (पद विरुद्ध)
5	सवाई माधोपुर	श्री सुनील गुप्ता
6	अलवर	श्री गोपाल कुमार (तदर्थ)
7	भरतपुर	श्री सी.बी. गुप्ता
8	बांसवाड़ा	श्री एस.एस. छिल्लर
9	जोधपुर	श्री अशोक भण्डारी

परिशिष्ट-ब

पदस्थापित 3 सहायक औषधि नियंत्रकों की सूची, जिनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्मिक विभाग में जांच विचाराधीन है

क्रम संख्या	नाम सहायक औषधि नियंत्रक	सीसीए नियम के तहत	सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्मिक विभाग में जांच विचाराधीन (विवरण)
1	श्री सुनील गुप्ता	17	1. कैप्सूल नेक्लोक्स, निर्माता नेस्टर फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., फरीदाबाद का सैम्पल जांच के लिये सी.आई.पी.एल. गाजियाबाद को विलम्ब से भेजने के कारण जांच कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।

क्रम संख्या	नाम सहायक औषधि नियंत्रक	सीसीए नियम के तहत	सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्मिक विभाग में जांच विचाराधीन (विवरण)
			2. माननीय मंत्री जनजाति, क्षेत्रीय विकास जन निराकरण, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय के अनुसार श्री गुप्ता की कार्यशैली एवं व्यवहार से आमजन एवं जनप्रतिनिधियों में असंतोष व्याप्त होने के कारण जांच कार्मिक विभाग में विचाराधीन है। 3. मैसर्स समराथल मेडिकल स्टोर ग्राम सिंहाणिया, जिला बाड़मेर में दुकान का साइज कम होने के बावजूद लाइसेंस जारी करने के कारण जांच कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।
2	श्री सी.बी. गुप्ता	17 16	1. मैसर्स जगदम्बा मेडिकल स्टोर, लम्बाखोह, (जिला बूंदी) एवं मैसर्स चित्तौड़ा मेडिकल स्टोर नमाना, (जिला-बूंदी) के लाइसेंस विलम्ब से जारी करने के प्रकरण में जांच कार्मिक विभाग में विचाराधीन है। 2. स्टराइल वाटर फार इन्जेक्शन निर्माता मैसर्स मोरिन्जर्स कैमिकल लैबोरेट्री, कलकत्ता के प्रकरण में फर्म के विरुद्ध वाद दायर करने में असफल होने पर कार्मिक विभाग में जांच विचाराधीन है।
3	श्री दिवाकर पटेल	-	कार्मिक विभाग द्वारा जारी निलम्बन से बहाली के आदेश क्रमांक प.1(61) कार्मिक/क-3/2012 दिनांक 8.8.2013 में विभागीय जांच विचाराधीन होना अंकित है।

प्रदेश में सहनिर्माण श्रमिकों को देय हित लाभ

11. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सह निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों को कौन-कौनसे हितलाभ देय हैं तथा उनके लिये क्या शर्तें निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) जुलाई, 2013 तक प्रदेश में कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बने तथा कितनों को हितलाभ से लाभान्वित किया गया व उन पर कुल कितना व्यय हुआ तथा इसके प्रचार-प्रसार (प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया) पर कितना व्यय हुआ? जिलेवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जुलाई, 2013 तक सहनिर्माण कल्याण बोर्ड में कितना पैसा जमा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना, दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना-2011, निजी आवास निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना-2011, सम्भागीय मुख्यालयों पर विश्राम गृह निर्माण योजना, हिताधिकारियों को नि:शुल्क साइकिल दिये जाने की योजना, एन पी एस स्वाबलम्बन योजना एवं छात्रावास निर्माण योजना, आदि योजनाओं के लाभ देय हैं। योजना के विवरण एवं पात्रता सम्बन्धी नियमावली संलग्न है।

(2) माह जुलाई 2013 तक 2,88,885 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर परिचय पत्र जारी किए गये हैं। जिलेवार विवरण संलग्नक-1 पर है। जिलेवार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित निर्माण श्रमिकों का विवरण संलग्नक-2 पर है। इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया पर किए गए प्रचार-प्रसार का विवरण संलग्नक-3 पर है।

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

(3) माह जुलाई, 2013 तक कल्याण मण्डल के पी.डी. खाते में राज्य सरकार द्वारा 239.53 करोड रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में बालिका महाविद्यालय की स्थापना

12. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने पर भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बार-बार मांग किये जाने के बाद भी बालिका महाविद्यालय नहीं खोला गया है?

(2) क्या सरकार आदिवासी बालिकाओं के हितों को ध्यान में रखकर उक्त स्थान पर बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में छात्र व अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजगढ़ (अलवर) में कोई बालिका महाविद्यालय नहीं है।

(2) राजगढ़ (अलवर) मे सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय संचालित है एवं इस महाविद्यालय में छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। राजगढ़ (अलवर) में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जयपुर में रिंग रोड परियोजना के लिए अवाप्त भूमि

13. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड का

(श्री मानसिंह)

निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त रिंग रोड के दोनों ओर किस-किस ग्राम के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि (खसरा नम्बर सहित) अवाप्त की गई? रिंग रोड की कार्ययोजना की प्रति, नक्शे के ब्ल्यूप्रिंट सहित रिंग रोड योजना में अब तक किये गये व शेष बचे कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिंग रोड का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार जयपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड प्रस्तावित है। प्रस्तावित नक्शे की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। यह रिंग रोड दो भागों तथा दक्षिणी कारिडोर (आगरा रोड - टोंक रोड - फागी रोड - अजमेर रोड) एवं उत्तरी कारिडोर (आगरा रोड - दिल्ली रोड - सीकर रोड - अजमेर रोड) में है। दक्षिणी कारिडोर (आगरा रोड - टोंक रोड - फागी रोड - अजमेर रोड) में रिंग रोड का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से डी.बी.एफ.ओ.टी. पर कन्सेशनर फर्म मैसर्स सेन्जोस सुप्रीम टोलवेज डवलपमेंट प्रा.लि. द्वारा करवाया जाना है। उत्तरी कारिडोर (आगरा रोड - दिल्ली रोड - सीकर रोड - अजमेर रोड) में रिंग रोड के निर्माण हेतु एन.एच.ए.आई. द्वारा एन.एच.डी.पी. (फेज-VII) के अन्तर्गत कार्य किया जाना है।

रिंग रोड एवं विकसित कारिडोर परियोजना हेतु तीन चरणों में भूमि की अवाप्ति की गई है। अवाप्त भूमि के विवरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के गजट में हुए प्रकाशन की छायाप्रतियां परिशिष्ट-2, 3 एवं 4 पर संलग्न हैं। उत्तरी कॉरिडोर के लिए भूमि की अवाप्ति नहीं की गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डी.बी.एफ.ओ.टी. पर क्रियान्वित की जाने वाली दक्षिणी कारिडोर (आगरा रोड - टोंक रोड - फागी रोड - अजमेर रोड) में रिंग रोड के नक्शे की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है एवं क्रास सेक्शन की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। सम्पूर्ण कार्ययोजना एवं रिंग रोड योजना में अब तक हुए व शेष बचे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिंग रोड परियोजना के क्रियान्वयन अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपाइन्टी दिनांक देने के पश्चात 21 माह की अवधि में रिंग रोड के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बिहाड़ा ग्राम पंचायत(भीलवाड़ा) में भूमिहीन काश्तकारों द्वारा अतिक्रमित भूमि का नियमन

14. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन/नियमन के लिए नियमों में क्या प्रावधान हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूमिहीन काश्तकारों द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर दिनांक 1 जनवरी, 2000 से पूर्व का अतिक्रमण होने पर भूमि नियमन की जा सकती है? यदि हां, तो नियमन की सिफारिश के लिए कौन अधिकारी सक्षम है तथा क्या नियमन योग्य प्रकरणों को आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखने का प्रावधान है या नियमन के अयोग्य प्रकरणों को भी उक्त समिति के समक्ष रखने का नियमों में प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 12 जनवरी, 2013 को भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बिहाड़ा में आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन हेतु 3 प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों की पत्रावलियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सदस्य सचिव द्वारा उक्त तीन प्रकरण नियमन योग्य पाये जाने पर सिफारिश के साथ आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो इन्हें नियमन नहीं किये जाने के क्या कारण रहे, और नहीं, तो नियम विरुद्ध नियमन की सिफारिश के प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं तथा क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि के आबंटन/नियमन हेतु राजस्थान भू राजस्व (राजकीय भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम 1970 प्रभावी हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी हां। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 11.1.2008 से पूर्व दिनांक 15.7.1994 की अवधि को बढ़ा कर दिनांक 1.1.2000 किया गया।

(राजस्व मंत्री)

इसके पश्चात, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.1.2013 से उक्त अवधि को बढ़ा कर 1.1.2005 किया गया।

तहसीलदार के द्वारा नियमन सम्बन्धी प्रकरणों को तैयार किया जाकर अपनी टिप्पणी के साथ पात्र/अपात्र, दोनों प्रकार के प्रकरणों को आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाकर नियमन की पात्रता के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की राय पर आबंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा नियमन के आदेश जारी किये जाते हैं।

(3) जी हां। 12 जनवरी, 2013 को भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बिहाड़ा पर आबंटन सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, जिसमें निम्न 3 प्रकरण नियमन हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

1-सोराम पिता गीला कीर नि. बालापुरा।

2-खाना पिता भागीरथ खाती नि. बिहाड़ा।

3-बाबू पिता देवा गुर्जर नि. बिहाड़ा।

(4) जी नहीं। तीनों प्रकरण नियमन योग्य नहीं थे, जो तहसीलदार के द्वारा आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष समिति की सिफारिश हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त तीनों प्रकरणों में नियमन की पात्रता नहीं रखने से आबंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर निरस्त किये गये।

1- सोराम पिता गीला कीर नि. बालापुरा के पास 18.03 बीघा भूमि, अधिकतम सीमा 15 बीघा से अधिक होने से आवेदन निरस्त किया गया।

2- खाना पिता भागीरथ खाती नि. बिहाड़ा का कब्जा 1.01.2000 से पूर्व का नहीं होने से आवेदन निरस्त किया गया।

3- बाबू पिता देवा गुर्जर नि. बिहाड़ा का अतिक्रमण रोड से लगती हुई सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने तथा 5 वर्ष की अवधि में कब्जा दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त किया गया।

उक्त समस्त कार्यवाही नियमों के प्रावधानों एवं परिपेक्ष्य में रहकर नियमानुसार की गई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नर्स ग्रेड द्वितीय की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन

15. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पानाचन्द)

(1) प्रदेश में नर्स ग्रेड द्वितीय की नियमित नियुक्ति की सीधी भर्ती के लिये वर्ष 2013 में कुल कितने आवेदन किस-किस श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्राप्त हुए? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने अभ्यर्थियों के आवेदन किस-किस कारण से निरस्त हुए? अभ्यर्थीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त आवेदनों में से किस-किस अभ्यर्थी को कितने प्रतिशत अंक शैक्षणिक एवं कितने प्रतिशत अंक अनुभव के आधार पर दिये गये? प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु कुल 41,936 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ग	पुरुष	महिला	कुल
एस.टी.	1789	465	2254
एस. टी. टीएसपी	776	843	1619
एस.सी.	4555	1593	6148
एस.सी. टीएसपी	118	84	202
ओ.बी.सी. सीएल	626	329	955
ओ.बी.सी. एनसीएल	12690	6481	19171
जनरल	7875	2923	10798
एस.बी.सी. सीएल	26	12	38
एस.बी.सी. एनसीएल	606	145	751
कुल	**29061**	**12875**	**41936**

उक्त आनलाइन आवेदन पत्रों के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी विभिन्न याचिकाओं में निर्णय पारित कर निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके 57 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आफलाइन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिनकी पालना में अभी तक 33 अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) वर्तमान में नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आवेदन पत्रों की जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांच समिति के द्वारा अभी तक किसी भी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की सिफारिश नहीं की गई है।

(3) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। काउंसलिंग की कार्यवाही समाप्त होने एवं जांच समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच किये जाने के पश्चात उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। इसके पश्चात ही अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया जाना सम्भव हो सकेगा। अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की गई है।

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार

16. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2009 एवं जनवरी, 2013 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी-कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में गत साढ़े चार वर्षों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं में से कितनों को नौकरी उपलब्ध करवाई गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2009 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 8,62,495 एवं जनवरी, 2013 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 7,32,482 है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में गत साढ़े चार साल में पंजीकृत युवाओं में से 11,533 पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां उपलब्ध करवाई गई हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में जनवरी 2009 में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सजीव पंजिका पर उपलब्ध कुल आशार्थी
1.	उप क्षे.रो.का. अजमेर	29477
2.	जि.रो.का. अलवर	55556
3.	जि.रो.का. बांसवाड़ा	12386
4.	जि.रो.का. बारां	15536
5.	जि.रो.का. बाड़मेर	11500
6.	जि.रो.का. भरतपुर	57997
7.	जि.रो.का. भीलवाड़ा	12777
8.	जि.रो.का. बीकानेर	24912
9.	जि.रो.का. बूंदी	14291
10.	जि.रो.का. चित्तौड़गढ़ एवं जि.रो.का. प्रतापगढ़	16515
11.	जि.रो.का. चूरू	25113
12.	जि.रो.का. दौसा	41451
13.	जि.रो.का. धौलपुर	17170
14.	जि.रो.का. डूंगरपुर	13994
15.	जि.रो.का. हनुमानगढ़	17210
16.	उप क्षे.रो.का. जयपुर	99771
17.	जि.रो.का. जैसलमेर	5802
18.	जि.रो.का. जालौर	7585
19.	जि.रो.का. झालावाड़	16992
20.	जि.रो.का. झुन्झुनू	60974
21.	उप क्षे.रो.का. जोधपुर	29113
22.	जि.रो.का. करौली	34841
23.	उप क्षे.रो.का. कोटा	45424
24.	जि.रो.का. नागौर	30416
25.	जि.रो.का. पाली	18923

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सजीव पंजिका पर उपलब्ध कुल आशार्थी
26.	जि.रो.का. राजसमंद	9636
27.	जि.रो.का. सवाई माधोपुर	29629
28.	जि.रो.का. सीकर	37088
29.	जि.रो.का. सिरोही	7095
30.	उप क्षे.रो.का. श्रीगंगानगर	19485
31.	जि.रो.का. टोंक	22555
32.	उप. क्षे.रो.का. उदयपुर	21311
	योग	**862495**

परिशिष्ट-ख

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में जनवरी 2013 में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सजीव पंजिका पर उपलब्ध कुल आशार्थी
1.	उप क्षे.रो.का. अजमेर	28153
2.	जि.रो.का. अलवर	62318
3.	जि.रो.का. बांसवाड़ा	10650
4.	जि.रो.का. बारां	11250
5.	जि.रो.का. बाड़मेर	6066
6.	जि.रो.का. भरतपुर	49952
7.	जि.रो.का. भीलवाड़ा	9467
8.	जि.रो.का. बीकानेर	20248
9.	जि.रो.का. बूंदी	12648
10.	जि.रो.का. चित्तौड़गढ़	7558
11.	जि.रो.का. चूरू	24508
12.	जि.रो.का. दौसा	31471
13.	जि.रो.का. धौलपुर	18964
14.	जि.रो.का. डूंगरपुर	8457
15.	जि.रो.का. हनुमानगढ़	12293

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सजीव पंजिका पर उपलब्ध कुल आशार्थी
16.	उप क्षे.रो.का. जयपुर	94311
17.	जि.रो.का. जैसलमेर	4940
18.	जि.रो.का. जालौर	4570
19.	जि.रो.का. झालावाड़	17458
20.	जि.रो.का. झुन्झुनूं	46825
21.	उप क्षे.रो.का. जोधपुर	25633
22.	जि.रो.का. करौली	18499
23.	उप क्षे.रो.का. कोटा	26825
24.	जि.रो.का. नागौर	33439
25.	जि.रो.का. पाली	19227
26.	जि.रो.का. राजसमंद	5472
27.	जि.रो.का. सवाई माधोपुर	28857
28.	जि.रो.का. सीकर	30115
29.	जि.रो.का. सिरोही	7080
30.	उप क्षे.रो.का. श्रीगंगानगर	14257
31.	जि.रो.का. टोंक	19749
32.	उप. क्षे.रो.का. उदयपुर	17329
33.	जि.रो.का. प्रतापगढ़	3893
	योग	**732482**

परिशिष्ट-ग

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में से नियोजन की स्थिति वर्ष 2009 से मई 2013 तक

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष 2009 से मई 2013 तक नियोजन
1.	उप क्षे.रो.का. अजमेर	381
2.	जि.रो.का. अलवर	2422
3.	जि.रो.का. बांसवाड़ा	13
4.	जि.रो.का. बारां	3
5.	जि.रो.का. बाड़मेर	0

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**वर्ष 2009 से मई 2013 तक नियोजन**
6.	जि.रो.का. भरतपुर	47
7.	जि.रो.का. भीलवाड़ा	20
8.	जि.रो.का. बीकानेर	322
9.	जि.रो.का. बूंदी	6
10.	जि.रो.का. चित्तौड़गढ़	8
11.	जि.रो.का. चूरू	58
12.	जि.रो.का. दौसा	9
13.	जि.रो.का. धौलपुर	1405
14.	जि.रो.का. डूंगरपुर	1196
15.	जि.रो.का. हनुमानगढ़	84
16.	उप क्षे.रो.का. जयपुर	710
17.	जि.रो.का. जैसलमेर	7
18.	जि.रो.का. जालौर	3
19.	जि.रो.का. झालावाड़	17
20.	जि.रो.का. झुन्झुनू	2604
21.	उप क्षे.रो.का. जोधपुर	519
22.	जि.रो.का. करौली	4
23.	उप क्षे.रो.का. कोटा	56
24.	जि.रो.का. नागौर	9
25.	जि.रो.का. पाली	188
26.	जि.रो.का. राजसमंद	46
27.	जि.रो.का. सवाई माधोपुर	0
28.	जि.रो.का. सीकर	0
29.	जि.रो.का. सिरोही	1096
30.	उप क्षे.रो.का. श्रीगंगानगर	66
31.	जि.रो.का. टोंक	122
32.	उप. क्षे.रो.का. उदयपुर	112
33.	जि.रो.का. प्रतापगढ़	0
	योग	**11533**

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बारां जिले में आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत आबंटित राशि

1. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में आई एच एस डी पी योजना में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक जिले के किस-किस निकाय को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस दिनांक को स्वीकृत की जा चुकी है? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले में उक्त योजना में किस-किस निकाय के किस-किस वार्ड के किस-किस परिवार का चयन किस-किस दिनांक को किस-किस माध्यम से किया गया? चयनित परिवारों के पूर्ण नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना अन्तर्गत अब तक कितनी-कितनी राशि का किस-किस दिनांक को किस-किस संस्था या व्यक्ति को किस-किस कार्य के लिए हस्तांतरण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आई एच एस डी पी योजना में आवास हेतु परिवारों के चयन के मानदण्ड, पात्रता एवं शर्तें क्या हैं? आदेश एवं परिपत्र की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निकायवार स्वीकृत राशि एवं अन्य विवरण व स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) निकायवार चयन का विवरण परिशिष्ट "ब' पर संलग्न है। परिवार का चयन कच्ची बस्ती की डी पी आर कंसल्टेंट के माध्यम से किया गया है।

(3) हस्तान्तरित राशि का विवरण परिशिष्ट "स' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार की आई.एच.एस.डी.पी. योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों (माह फरवरी, 2009) की प्रति परिशिष्ट " द" पर संलग्न है, जिसमें आवास हेतु परिवारों के चयन के मानदण्ड, पात्रता एवं शर्तें वर्णित हैं।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर एवं मूंडवा में मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

2. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, नागौर व नगरपालिका, मूंडवा में किन-किन बी पी एल व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना में जोड़ा गया एवं पहली व दूसरी किश्त कब-कब दी गई? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद, नागौर व नगरपालिका, मूंडवा में किन-किन पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई व किन-किन के आवेदन निरस्त किये गए? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, नागौर व नगरपालिका, मूंडवा में मुख्य मंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों की सूची एवं उन्हें जारी की गई पहली एवं दूसरी किश्त का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट "अ", "ब" व "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर परिषद, नागौर व नगरपालिका, मूंडवा में पेंशन स्वीकृति एवं आवेदन निरस्त किये जाने का विवरण क्रमशः परिशिष्ट '"द" एवं "य" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर नगरपालिका में शहरी बी.पी.एल. आवासीय योजनान्तर्गत मकानों का निर्माण

3. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका, गंगापुर में शहरी बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि के चैक कब-कब जारी किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके पास भूमि व मकान उपलब्ध नहीं हैं, एवं जिनको सरकार द्वारा आज तक पट्टे जारी नहीं किये गये? क्या सरकार उन्हें पट्टे व राशि देकर मकान निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका, गंगापुर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों की सूची एवं उन्हें जारी किये गये चैक का तिथिवार/राशिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क भूमि/आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रावधान विभागीय परिपत्र क्रमांक 9007 दिनांक 20.06.2013 द्वारा समाप्त किया गया था, जिसके कारण भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे दिया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माचेड़ा (जयपुर) की 4 सी स्कीम में पार्कों हेतु आरक्षित भूमि पर काटे गये भू-खण्ड

4. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मोती गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1983-84 में 4-सी स्कीम माचेड़ा के नाम से आवासीय योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में कहां-कहां सुविधा हेतु पार्क छोड़े गये थे? आवासीय योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित योजना में पार्क हेतु छोड़ी गई भूमि पर वर्तमान में भूखण्ड सं. सी-355ए, सी-355बी, सी-355सी एवं सी-355डी के प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलीभगत कर समिति द्वारा पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त पार्कों योजना में हेतु छोड़ी गई भूमि की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 में उक्त आवासीय योजना के भूखण्डों की विवरणिका जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त विवरणिका उक्त में भूखण्ड किसके नाम दर्ज थे? वर्ष 1994 में जारी विवरणिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

(श्री केसाराम चौधरी)

उक्त आवासीय योजना की कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अवाप्त की गई भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर 90-ए की कार्यवाही कर नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा क्षेत्र में सहकारी समिति द्वारा काटे गये भूखण्डों का भी नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु 2 पार्क छोड़े गये हैं। पार्क दर्शाते हुए अनुमोदित मानचित्र की प्रति परिशिष्ट **"अ"** पर संलग्न है।

(2) पार्क हेतु छोड़ी गई भूमि के भूखण्ड सं. सी-355ए, सी-355बी, सी-355सी एवं सी-355डी के पट्टे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किये गये हैं एवं योजना में दो पार्क दर्शित हैं, जिसमें मन्दिर निर्मित है। यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डी अवाप्ति के कारण भूखण्ड संख्या सी-178 से सी-387 अनुमोदित नहीं किये गये का नोट अनुमोदित मानचित्र में लगा हुआ है। परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 में उक्त आवासीय योजना के भूखण्डों की विवरणिका जारी की गई थी। उक्त विवरणिका (सदस्यता सूची) में भूखण्ड संख्या सी-355ए, सी-355बी, सी-355 सी एवं सी-355डी अंकित नहीं हैं। वर्ष 1994 में जारी विवरणिका (सदस्यता सूची) परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामसिंहपुरा ग्राम धौलाई (जयपुर) की गुलाब विहार योजना में मूलभूत सुविधाओं हेतु कार्य-योजना

5. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम रामसिंहपुरा धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित निजी खातेदार की आवासीय योजना गुलाब विहार की 90-बी की कार्यवाही की जाकर इस योजना का अनुमोदन कब किया गया? अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) क्या उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधाएं यथा-पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज, रोड लाइट्स एवं पार्कों के रखरखाव के सम्बन्ध में कोई कार्य-योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त योजना में पार्क हेतु कुल कितनी भूमि छोड़ी गई थी? क्या उक्त योजना का पार्क विकसित कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई व क्या-क्या कार्य करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त योजना में स्थित पार्क को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त योजना में कुल कितने व्यावसायिक भूखण्ड हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित निजी खातेदार की आवासीय योजना गुलाब विहार की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 06.06.2003 को की गई तथा इस योजना का अनुमोदन दिनांक 29.05.2004 को किया गया था। अनुमोदित नक्शे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा राशि में से 90 प्रतिशत तक के विकास कार्य किये जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। योजना में आउटफाल उपलब्ध नहीं होने के कारण सीवरेज की कोई योजना नहीं बनाई गई है, जो आउटफाल उपलब्ध होने पर ही बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त योजना में पार्क एवं सुविधा क्षेत्र हेतु 1,474 वर्ग गज भूमि छोड़ी गई है। उक्त योजना का पार्क विकसित नहीं किया गया है, किन्तु जमा राशि में से पार्क के विकास हेतु आनुपातिक राशि तक का प्रस्ताव तैयार कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। बिन्दु संख्या-3 के अनुसार।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) उक्त योजना में कुल 37 व्यावसायिक भूखण्ड हैं, जो कि परिशिष्ट "अ" पर योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार वर्णित हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पृथ्वीराज नगर योजना (जयपुर) की कालोनियों का नियमन

6. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पृथ्वीराज नगर योजना का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना की कालोनियों के नियमन करवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण आवेदन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो अब तक किस-किस कालोनी के आवेदन प्राप्त हुए?

(3) क्या सरकार प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में भूखण्डों के आबंटन हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक: प.6(15)नविवि/3/87पार्ट दिनांक 21.06.2012 को जारी किया जा चुका है। (परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है) इसके उपरान्त पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 2740/2006 सुगन सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 05.07.2013 को निर्णय हुआ है। उक्त निर्णय की पालना में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। पृथ्वीराज नगर की कालोनियों में भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों द्वारा सम्बन्धित कालोनियों का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। कालोनियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 2740/2006 सुगन सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक 05.07.2013 को निर्णय हो चुका है। उक्त निर्णय की पालना में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर शहर में बी.पी.एल. परिवारों को साड़ी व कम्बल के बदले जारी चैक

7. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों के लिए साड़ी व कम्बल के बदले राशि के चैक जारी किये गये हैं? यदि हां, तो, कब व कितनी राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर शहर में किन-किन बी.पी.एल. परिवारों को उक्त योजना के तहत चैक जारी किये गये? वार्डवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर परिषद, अलवर द्वारा उक्त योजना में मृतकों के नाम चैक जारी करने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने? वार्डवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को साड़ी एवं कम्बल के बदले माह जून-जुलाई, 2013 में रुपये 1,500/- प्रति परिवार की दर से चैक वितरित किये गये हैं।

(2) अलवर शहर में जिन-जिन बी.पी.एल. परिवारों को उक्त योजना के तहत चैक जारी किये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। 431 बी.पी.एल. परिवारों के मुखियाओं की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों द्वारा नगर परिषद में सूचना नहीं दिये जाने से उनके नाम चैक जारी कर दिये गये थे, परन्तु मुखिया की मृत्यु की सूचना चैक प्राप्ति के पश्चात देने पर मृतकों के आश्रितों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर आश्रितों के नाम संधोधित चैक जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में वानिकी पर्यटन के विकास हेतु कार्य योजना

8. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक वन संरक्षण के क्या-क्या कार्य किए गए? उक्त कार्यों पर कितना व्यय हुआ तथा क्या भौतिक उपलब्धियां अर्जित हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वानिकी पर्यटन की क्या संभावना है व किन-किन क्षेत्रों में पर्यटन विकास हो सकता है?

(3) उक्त अवधि में वानिकी पर्यटन को विकसित करने के क्या कार्य किए गए एवं उक्त कार्यों पर कितना व्यय हुआ?

(4) सरकार की वानिकी पर्यटन विकास की क्या कार्ययोजना है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कराये गये वन संरक्षण कार्यों का विवरण, उन पर हुए व्यय तथा अर्जित की गई भौतिक उपलब्धियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले में रावली-टाड़गढ़ एवं कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्यों के अधीन क्षेत्र में तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुख धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक इमारतें तथा प्रचुर जैव विविधता विद्यमान होने से वानिकी पर्यटन की अच्छी संभावनाएं है। पाली, उदयपुर एवं राजसमन्द जिले में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कुम्भलगढ़ एवं टाड़गढ़-रावली वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र को शामिल करते हुए कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय की विज्ञप्ति राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.11.2011 द्वारा प्रसारित की गई। कुम्भलगढ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में कुम्भलगढ़ दुर्ग, परशुराम महादेव तथा रावली-टाड़गढ़ अभयारण्य की सीमा में दिवेर के समीपवर्ती क्षेत्रों में वानिकी पर्यटन विकास हो सकता है।

(3) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक उपरोक्त अभयारण्यों में कुम्भलगढ़ किले के आस-पास के क्षेत्र तथा दिवेर मे वानिकी पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि से विकास कार्य कराये गये हैं। करवाये गये विकास कार्यों तथा उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(वन मंत्री)

(4) वर्तमान में जिले के कुम्भलगढ़ तथा रावली-टाडगढ़ अभयारण्यों में एक दिवसीय इको-ट्यूरिज्म कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। अभयारण्य क्षेत्रों में वानिकी पर्यटन में आमजन की बढ़ती हुई रूचि को दृष्टिगत रखते हुए कैम्पिंग सुविधाओं का विकास किया जाकर एक दिवस-एक रात्रि तथा दो दिवस-एक रात्रि के पारिस्थितिक पर्यटन कैम्प आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

9. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से जुलाई, 2013 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से बारां जिले के किस-किस गांव के कितने-कितने कृषकों की कितनी-कितनी भूमि का लाभ प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत राशि से किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य किस-किस दिनांक को प्रारम्भ हुए एवं किस-किस दिनांक को पूर्ण हुए? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजना की क्या गाइडलाइंस हैं एवं इसमें क्या -क्या कार्य स्वीकृत हो सकते हैं? जारी आदेश, परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजना के अन्तर्गत बारां जिले में वर्ष 2008-09 से जुलाई, 2013 तक सिंचाई वृत्त एवं भूमि विकास वृत्त के अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 1 'अ'

(सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री)

पर संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त, कृषि विस्तार इकाई के अन्तर्गत प्रदर्शन मद में बारां जिले हेतु वर्ष 2012-13 में 70 प्रदर्शन आयोजित करने हेतु राशि रुपये 1.70 लाख का आबंटन किया गया है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सिंचाई वृत्त, भूमि विकास वृत्त एवं कृषि विस्तार इकाई के द्वारा सम्पादित कार्यों से बारां जिले के लाभान्वित गांवों एवं कृषकों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 2, 2 'अ' एवं परिशिष्ट 2 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्तानुसार स्वीकृत राशि से सिंचाई वृत्त एवं भूमि विकास वृत्त के द्वारा वर्षवार सम्पादित कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 3 एवं परिशिष्ट 3 'अ' पर उपलब्ध है। कृषि विस्तार इकाई द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	व्यय राशि (रुपये लाख में)	कार्य
खरीफ, 2012	0.57	सोयाबीन प्रदर्शन
रबी, 2012-13	0.53	गेहूं प्रदर्शन

(4) सिंचाई वृत्त एवं भूमि विकास वृत्त द्वारा सम्पादित कार्यों के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 4 एवं परिशिष्ट 4 'अ' पर संलग्न है। कृषि विस्तार इकाई के अन्तर्गत सोयाबीन प्रदर्शन खरीफ, 2012 एवं गेहूं प्रदर्शन रबी, 2012-13 में आयोजित किये गये हैं।

(5) सिंचाई वृत्त एवं कृषि विस्तार इकाई के अधीन सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। भूमि विकास वृत्त के अन्तर्गत खेत सुधार के स्वीकृत कार्यों की निर्माण की स्थिति का विवरण परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

(6) जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. योजना की गाइडलाइन परिशिष्ट '6' पर संलग्न है, जिसके तहत खेत सुधार कार्य, इन्टरमीडिएट, फील्ड एवं लिंक ड्रेन, करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशियन्सी, जलमग्न क्षेत्रों का सुधार, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, ग्राह्य परीक्षण, इत्यादि कार्य स्वीकृत किए जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु कार्य योजना

10. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अनेक शहरों में छोटे बच्चों में विटामिन-डी की कमी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य बीमारियां निरन्तर बढती जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विटामिन की कमी और मोटापे के संयुक्त प्रभाव के कारण डायबिटीज, हृदय रोग और कैन्सर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बच्चों एवं अभिभावकों में शारीरिक सौष्ठव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छोटे बच्चों में विटामिन-डी की कमी व कम मोबिलिटी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य बीमारियां होने की सम्भावना रहती है, परन्तु इस प्रकार का कोई चिकित्सकीय अध्ययन/सर्वेक्षण प्रदेश के छोटे बच्चों पर अभी तक नहीं किया गया है।

(2) यह सही है कि विटामिन की कमी और मोटापे के चलते डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां होने की सम्भावना रहती है, लेकिन इस प्रकार का कोई चिकित्सकीय अध्ययन/सर्वेक्षण प्रदेश में अभी तक नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिले यथा भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर एवं गंगानगर में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ कैंसर, डाइबिटीज, कार्डियोवास्कूलर डिजीजेज एण्ड स्ट्रोक (एन पी सी डी सी एस) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त बीमारियों के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दवाइयां, उपकरण, लैंबरिएजेन्ट्स एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही, जिला चिकित्सालय के अन्तर्गत एन सी डी क्लीनिक के तहत कार्डियक केयर यूनिट, डे-केयर कैंसर फेसिलिटी सेन्टर बनाये जा रहे हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बच्चों एवं अभिभावकों में शारीरिक सौष्ठव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बारां जिले में चिकित्सा केन्द्रों में आर.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

11. **श्री पानाचन्द** (बारां-अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक आर.एच.एस.डी.पी., एन.आर.एच.एम. एवं अन्य योजना अन्तर्गत किस-किस चिकित्सा केन्द्र पर कितनी-कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत नहीं की गई? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कौन-कौनसा निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुका है एवं उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में कौन-कौनसा निर्माण कार्य निर्माणाधीन है एवं उसे किस दिनांक तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में कौन-कौनसा निर्माण कार्य किन-किन कारणों से अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर 2008 से अब तक आर.एच.एस.डी.पी., एन.आर.एच.एम. एवं अन्य योजना अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ (कालम संख्या 7) पर संलग्न है। स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में से पूर्ण हो चुके कार्यों के पूर्ण होने की तिथि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ (कालम संख्या 8 व 9) पर संलग्न है।

(3) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माणाधीन कार्यों एवं उन कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि परिशिष्ट-अ (कालम संख्या 10 एवं 11) पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ (कालम संख्या 12) पर संलग्न है।

(विवरण प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सहाड़ा में भवन-विहीन स्वास्थ्य केन्द्र

12. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नवीन खोले गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नवीन खोले गये केन्द्रों जिनके पास सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, के लिये भवन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं, जो भवन उपलब्ध करवाने को तैयार नहीं हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 93 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नवीन खोले गये 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोटला एवं कोशीथल को प्रारम्भ कर दिया गया है।

4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारोई-का-कलां प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खांखला, देवरियां एवं गाडरमाला/भोपालगढ़ को प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

26 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहपुरा, बाड़ी पंचायत समिति रायपुर एवं आटावाडा, आलोली पंचायत समिति सहाड़ा तथा दादिया, दुड़िया, समोडी नाथड़ियास, कान्याखेड़ी एवं तगतपुरा पंचायत समिति सुवाणा प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शेष 16 उप स्वास्थ्य केन्द्र राणास, मौखमपुरा, कलालखेड़ी, बाड़ियाखुर्द, आसुणा, भटेवर, मियाला, डांगली पंचायत समिति रायपुर एवं गुढा, झुमपुरा, फूकिया, रायथलियास, मेहन्दी पंचायत समिति सहाड़ा तथा जागदरी, एकलिंगपुरा, आमलीपुरावतान पंचायत समिति सुवाणा में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र का राजकीय भवन उपलब्ध है। 26 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं जिनमें से 7 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वैकल्पिक भवन उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वैकल्पिक भवन ग्राम पंचायतों के द्वारा उपलब्ध करवा दिये गये हैं। जिनके लिखित में प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए वैकल्पिक भवन उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव देने के लिए मना किया हो। 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ग्राम पंचायतों ने वैकल्पिक भवन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं की निविदा की शर्तें

13. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिये निविदा प्रस्तुत करने में मूलभूत शर्तें क्या-क्या हैं तथा उक्त शर्तों को निविदा में शामिल कम्पनियों में कौन-कौन सी कम्पनियों द्वारा पूरा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं में कुल कितनी एम्बुलेंस हैं व उनमें से कितनी एम्बुलेंस कहां-कहां उपयोग में लाई जा रहीं तथा कितनी

(डा. दिगम्बर सिंह)

खराब हो चुकी हैं? वर्तमान समय में उक्त सेवाओं के लिये कौन-कौन सी कम्पनी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रोगी वाहनों के संदर्भ में पूर्व में चिगित्सा कम्पनी के विरुद्ध अनियमितताओं के संदर्भ में जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या हाल ही में दिल्ली जयपुर नेशनल हाइवे पर दुर्घटना की स्थिति में मरीजों की सेवार्थ 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा का सरकार द्वारा उद्‌घाटन किया गया है तथा क्या इस हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो निविदा की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिये निविदा प्रस्तुत करने में मूलभूत शर्तों की प्रति **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है। इस निविदा के तहत 4 निविदादाताओं द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से केवल मैसर्स जी.वी.के. ई एम आर आई द्वारा निविदा शर्तों को पूरा किया गया।

(2) राज्य में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं में वर्तमान में 483 एम्बुलेंस हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। 483 एम्बुलेंस में से 42 एम्बुलेंस बियोन्ड इकोनोमिकल रिपेयर थीं, जिनको वर्तमान में बदल दिया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त सेवाओं का संचालन मैसर्स जी.वी.के. ई एम आर आई द्वारा किया जा रहा है।

(3) एम्बुलेंसों के सम्बन्ध में अनियमितताओं, यथा ट्रिप की गलत व्याख्या, एम्बुलेंसों में ले जाये गये रोगियों की संख्या, बिलों में अधिक राशि दिखाना, एम्बुलेसों की समय पर मरम्मत नहीं कराना, आदि अनियमितताओं के लिए मैसर्स जिकित्सा हैल्थ केयर लिमिटेड के बिलों से राशि काटी गई है। मरम्मत करवाने के लिए राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है। उक्त अनियमितताओं के लिए मैसर्स जिकित्सा हैल्थ केयर लिमिटेड की बैंक गारण्टी को रिवोक करना सक्षम स्तर से निर्णीत है एवं अन्य बिन्दुओं पर संस्था के विरुद्ध नियम संगत आवश्यक कार्यवाही कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) यह परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के दिल्ली-जयपुर खण्ड पर दुर्घटना-ग्रस्ति व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के लिए दिनांक 29.7.2013 को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1033 टोल-फ्री नम्बर पर फोन करने पर तुरन्त हाइवे पर नजदीक की एम्बुलेंस से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को नजदीक के सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जायेगा, जहां रुपये 30,000/- अथवा 48 घन्टे, जो भी पहले हो, तक का उन्हें मुफ्त इलाज दिया जायेगा। इसके लिए मंत्रालय ने मैसर्स आई सी आई सी आई लोम्बार्ड से करार किया है।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर शहर में श्रमिकों के बच्चों हेतु छात्रावास भवन का निर्माण

14. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां व कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में अलवर शहर में वर्तमान में छात्रावास किराये के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो कहां? भवन मालिक के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त छात्रावास में कितने बच्चे निवास कर रहे हैं? सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सभी जिलों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए एक करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास बनाये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में की गई थी। इसमें अलवर जिला भी सम्मिलित है। उप श्रम आयुक्त, अलवर द्वारा छात्रावास के लिए भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव दिनांक 24.7.13 को जिला कलक्टर, अलवर को भिजवाए हुए हैं। छात्रावास हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) जी नहीं। अलवर शहर में छात्रावास नहीं चल रहा है। भूमि आबंटन नहीं होने के कारण छात्रावास का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है। किराए के भवन में छात्रावास संचालन हेतु दिए गए विज्ञापन में चार भवन मालिकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया।

(3) छात्रावास में प्रवेश हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी जाकर बच्चों से आवेदन चाहे गये थे किन्तु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः छात्रावास संचालित नहीं हो पाने के कारण निवास करने वाले बच्चों की संख्या शून्य है।

बारां जिले में तालाबों से सिंचित भूमि

15. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में विभाग के अधीन कौन कौन से तालाब कितनी-कितनी जल भराव क्षमता के हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तालाबों से किस-किस गांव में कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी भूमि सिंचित होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तालाबों में वर्ष 2001 से 2013 तक कितने-कितने पानी का भराव किस-किस नदी या नाले से हुआ? तालाबवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अधीन स्थित बांधों/तालाबों का विवरण मय जल भराव क्षमता के परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त बांधों/तालाबों की ग्रामवार सिंचित भूमि व कृषकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त बांधों/तालाबों में वर्ष 2001 से 2013 तक हुए पानी के भराव मय नदी-नालों के विवरण सहित, परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

16. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पानाचन्द)

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी के नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति किस-किस दिनांक को जारी हुई एवं इनका नियमित संचालन किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से किन-किन को लाभांवित किया जाता है तथा इसके मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभांवितों को प्रतिदिन क्या-क्या सामग्री दी जाती है एवं अन्य क्या-क्या गतिविधियां होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर 2008 से जुलाई 2013 तक खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है -

परियोजना	**विधान सभा क्षेत्र**	**स्वीकृत केन्द्र संख्या**		**योग**
		आ.बा. केन्द्र	**मिनी आ.बा. केन्द्र**	
अन्ता	अन्ता	11	4	15
अटरू	अटरू	29	29	58
बारां शहर	बारां अटरू	18	3	21
	अन्ता	6	2	8
	छबड़ा	4	0	4
बारां ग्रामीण	बारां अटरू	10	8	18
छबड़ा	छबड़ा	7	7	14
छीपाबड़ौद	छबड़ा	42	6	48
किशनगंज	किशनगंज	39	20	59
शाहबाद	किशनगंज	16	32	48
योग		**182**	**111**	**293**

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) उक्त नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति एवं संचालन के आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' में ही समाहित है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में स्थित सभी पात्र लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएं एवं प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र दो किशोरी बालिकाएं, जो आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, का पंजीकरण कर लाभान्वित किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, बारां जिले में सहरिया जनजाति में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2012 से स्कूल न जाने वाली समस्त इच्छुक सहरिया किशोरी बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है।

(5) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभान्वितों को दिया जाने वाला पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं-

1- पूरक पोषाहार;

2- शालापूर्व शिक्षा;

3- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा;

4- प्रतिरक्षण (टीकाकरण);

5- स्वास्थ्य जांच; एवं

6- संदर्भ (रेफरल) सेवाएं।

उपरोक्त सेवाओं में से क्रम संख्या 4 से 6 तक की सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आंगनबाड़ी कार्मिकों को पेंशन का लाभ देने हेतु कार्य योजना

17. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन को पेन्शन योजना का लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन के मानदेय में वृद्धि दिनांक 01-04-2013 से की गई है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन को पेन्शन योजना का लाभ देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि उक्त कार्मिक मानदेय पर कार्यरत हैं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विषय के व्याख्याताओं के रिक्त पद

18. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में सरकारी स्तर पर कहां-कहां पर विश्वविद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्तर के विश्वविद्यालय कब-कब, कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पुराने एवं नये विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विषय के व्याख्याताओं के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विश्वविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार पोषित विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पिछले पांच वर्षों में राज्य पोषित कुल आठ विश्वविद्यालय खोले गये। इनमें सात नये विश्वविद्यालय 2012 में तथा एक विश्वविद्यालय 2013 में खोला गया, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) उक्त पुराने एवं नये विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विषय के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राज्य सरकार पोषित विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1947
2	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1962
3	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1962
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	1987
5	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	1987
6	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1987
7	महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1987
8	जगद् गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, गांव-मांड्र पोस्ट भांकरोटा, जयपुर-302026	1998
9	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	2000
10	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2002
11	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	2003
12	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	2003
13	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	2004
14	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	2005
15	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	2010
16	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	2012
17	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	2012
18	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	2012

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष
19	राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर	2012
20	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर	2012
21	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	2012
22	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	2012
23	राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं	2013

परिशिष्ट-ब

राज्य में गत 5 वर्षों में स्थापित राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष
1	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	2012
2	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	2012
3	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	2012
4	राजीव गांधी ट्राईबल विश्वविद्यालय, उदयपुर	2012
5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर	2012
6	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	2012
7	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	2012
8	राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं	2013

परिशिष्ट-स

राज्य सरकार पोषित विश्वविद्यालयों में वाणिज्य संकाय में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वाणिज्य संकाय में रिक्त शिक्षकों के पद (असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिऐट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर)
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	34
2	मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वविद्यालय, उदयपुर	07
3	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	17
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	01

महाराजा कालेज (जयपुर) में मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

19. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ''मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना'' के अन्तर्गत महाराजा महाविद्यालय जयपुर के छात्रों द्वारा आवेदन किये गये हैं? यदि हां, तो शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिये कितने छात्रों ने आवेदन प्रस्तुत किये तथा इनमें से कितने छात्रों के आवेदन सही पाये गये? सही पाये गये आवेदन पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सही पाये गये आवेदनों में से कई छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों तथा किन-किन छात्रों को? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अब ऐसे आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कर सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रथम वर्ष के आवेदन पत्रों के आधार पर इसे जारी रखने तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा पुन: फार्म भरने की अनिवार्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महाराजा महाविद्यालय, जयपुर के कुल 158 छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें से 156 छात्रों के आवेदन सही पाये गये। सही पाये गये आवेदन पत्रों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-'अ')

(2) कुल स्वीकृत 156 छात्रों में से 08 विद्यार्थियों के खाते बंद होने के कारण एवं 03 विद्यार्थियों को बजट देरी से प्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। (सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।)

(3) 08 विद्यार्थियों को छात्रवृति सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा खाता चालू करवाकर जिला नोडल अधिकारी, कालाडेरा, जयपुर को सूचित करने पर उनके खाते में छात्रवृत्ति जमा करवाई जा सकेगी एवं 03 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गई है तथा बैंक में राशि जमा करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु पृथक से

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

नवीनीकरण आवेदन पत्र भरने पर छात्रवृत्ति देय होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने एवं नियमित अध्ययनरत होने पर ही छात्रवृत्ति देय है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कैथ लैब टैक्निशियनों के पदनाम में परिवर्तन

20. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के किन-किन राजकीय अस्पतालों में वर्तमान में कैथ लैब स्थापित हैं? उक्त कैथ लैबों में कितने-कितने लैब टैक्निशियन कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पी बी एम चिकित्सालय, बीकानेर में कैथ लैब में कार्यरत लेब टैक्निशियनों के पदनाम परिवर्तित किये गये हैं? यदि हां, तो कब तक व क्या?

(3) क्या सरकार पी बी एम चिकित्सालय, बीकानेर के समान प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के कैथ लैबों में कार्यरत लैब टैक्निशियनों के पदनाम परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के निम्न चिकित्सालयों में कैथ लैब स्थापित हैं तथा इनमें कार्यरत लैब टैक्निशियनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>चिकित्सालय का नाम</th><th>कैथ लैब की संख्या</th><th>कार्यरत लैब टैक्निशियन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर</td><td>02</td><td>08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर</td><td>01</td><td>00</td></tr>
<tr><td colspan="2">एक नर्स श्रेणी प्रथम तथा दो नर्स श्रेणी द्वितीय को प्रशिक्षित कर कार्य संपादित करवाया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर</td><td>01</td><td>04</td></tr>
</table>

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	कैथ लैब की संख्या	कार्यरत लैब टैक्निशियन
4	पी बी एम चिकित्सालय, बीकानेर	01	03
5	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	01	03

(2) पी बी एम चिकित्सालय, बीकानेर में कैथ लैब में कार्यरत लैब टैक्निशियनों के पदनाम में परिवर्तन नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुरूप लागू नहीं है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

प्रतिवर्ष वर्षा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया जाता है।

इस वर्ष भी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के सर्वे का कार्य शुरू करवा दिया गया है, वह एक सतत् प्रक्रिया है। वर्षा का दौर अभी भी जारी है। अत: सर्वे का कार्य 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण किया जाएगा।

दिनांक 23 अगस्त, 2013 तक करवाए गए सर्वे के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :-

कार्यकारी एजेन्सी	पेच रिपेयर (वर्गमीटर)	अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)	नवीनीकरण कि.मी.	अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)	कुल अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)
नगर निगम जयपुर	3,29,549	20.66	243.09	43.20	63.86
जयपुर विकास प्राधिकरण	4,32,572	20.47	799.31	195.60	216.07
राजस्थान आवासन मण्डल	62,650	04.31	40.02	10.01	14.32
कुल योग	**8,24,771**	**45.44**	**1082.42**	**248.81**	**294.25**

उपरोक्त में से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं होने वाला अनुमानित व्यय निम्न प्रकार है :-

कार्यकारी एजेन्सी	पेच रिपेयर (वर्गमीटर)	अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)	नवीनीकरण कि.मी.	अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)	कुल अनुमानित व्यय राशि रु. (करोड़ में)
नगर निगम जयपुर	48,718	03.24	58.59	12.97	16.21
जयपुर विकास प्राधिकरण	34,711	01.59	89.67	28.10	29.69
राजस्थान आवासन मण्डल	10,200	00.48	12.83	01.64	02.12
कुल योग	**93,629**	**05.31**	**161.09**	**42.71**	**48.02**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-5 का विवरण)

परिशिष्ट-क

शाहपुरा (जयपुर) खेल स्टेडियम में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई स्वीकृति एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरणः-

क्र. सं.	स्वीकृति का विवरण		प्रस्तावित कार्यों का विवरण	व्यय राशि (लाखों में)
	दिनांक	राशि (लाखों में)		
1	19.02.1999 30.01.2001 09.11.2001	2.00 3.00 4.00 कुल 9.00	चारों कोनों पर एल टाइप दीवार निर्माण, भूमि की तारबन्दी का कार्य तथा भूमि के समतलीकरण का कार्य	8.93
2	02.11.2011	40.00	1. 400 मीटर एथलेटिक ट्रेक 2. दर्शक दीर्घा 30 मीटर	39.90
महायोग		**49.00 लाख**		**48.83**

परिशिष्ट-3

श्रीमती गोलमा की नियम 295 के तहत दी गयी सूचना, जो पढ़ी हुई मानी गयी

फागी थाने में हुए झगड़े की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच

श्रीमती गोलमा (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 295 के तहत बोलने की अनुमति दिये जाने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में दिनांक 20.08.2013 को जिला जयपुर के फागी थाने में चौथवसूली (बन्धी) के बंटवारे को लेकर थाने के स्टाफ ने थाना इंचार्ज की पिटाई कर दी और शराब के नशे में धुत्त पुलिस स्टाफ झगड़ पड़ा। सी.आई. के कहने पर श्री सीताराम पारीक, पूर्व सरपंच, फागी एवं श्री बिशनसिंह, पूर्व सरपंच, मण्डौर को फोन करके बुलाया कि मुझे थाने का स्टाफ पीट रहा है, मुझे बचाओ। ये लोग बचाने पहुंचे तो थाने का स्टाफ दोनों सरपंचों पर लाठियां लेकर टूट पड़ा और बेरहमी से मारपीट कर घायल अवस्था में सीताराम पारीक, पूर्व सरपंच को जबरन पेशाब तक पिला दिया। जनता ने विरोध किया तो पुलिस बल ने लाठी-चार्ज कर अनेक लोगों को घायल कर दिया, दूर-दूर से लोगों की मोटरसाइकिलों को लाकर थाने में खड़ा कर दिया, यहां तक कि महिलाओं को पीटा।

जनता द्वारा सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने फागी क्षेत्र के दर्जनों लोगों पर मनगढ़ंत व झूठे मुकदमे लगा दिये तथा 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। श्री सीताराम पारीक एवं श्री बिशनसिंह, पूर्व सरपंच मण्डौर ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है लेकिन उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

अत: मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूं कि चौथवसूली (बन्धी) के बंटवारे को लेकर पुलिस थाने पर सी.आई. की पिटाई की गई और वहां चौथवसूली बतौर शराब ठेकेदारों व अन्य व्यवसायियों से प्रति माह पांच-पांच हजार रुपये एवं बजरी रायल्टी ठेकेदारों से बीस हजार की बन्धी लेते हैं, जिससे आम जनता परेशान है। इस चौथवसूली (बन्धी) की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (ए.सी.डी.) से जांच करायी जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को दण्डित किया जाए। जन-प्रतिनिधियों द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराये गये मुकदमों में उन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किये गये हैं, उन्हें रफा-दफा किया जाए।